आई एस॰एस॰एन॰ 0970-9398

हिंदी दिवस विशेषांक

राजभाषा भारती

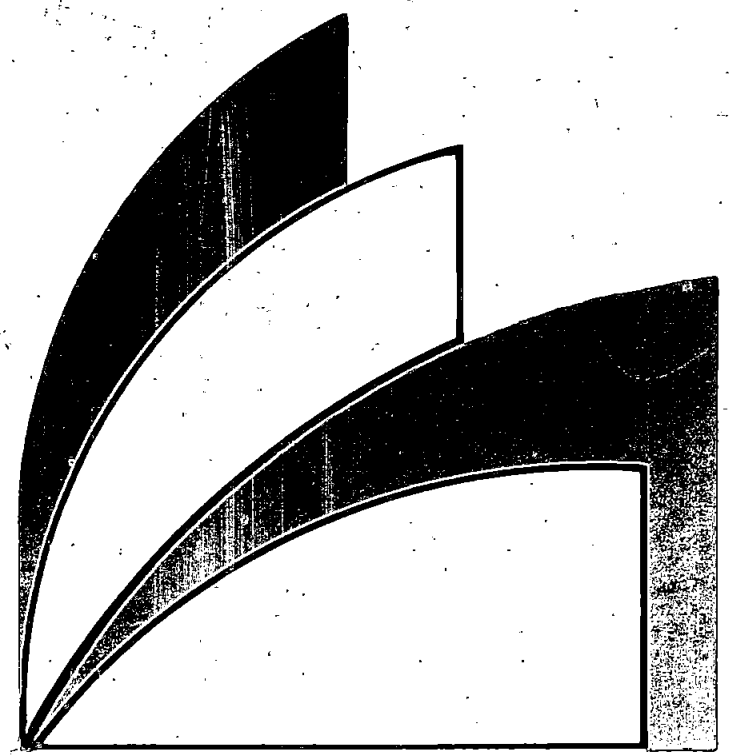

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

गांधी जी ने कहा था.....

"यदि हम अंग्रेजी के आदी नहीं हो गए होते, तो यह समझने में हमें देर नहीं लगती कि अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम होने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कट कर दूर हो गई है, हम अपनी जनता से अलग हो गए हैं, जाति के सर्वश्रेष्ठ विभागों का विकास रुक गया है, और जो विचार हमें अंग्रेजी के माध्यम से मिले, उन्हें हम जनता में फैलाने में नाकामयाब रहे हैं। पिछले साठ वर्षों से हमने विचित्र-विचित्र शब्दों को केवल रटना सीखा है, तथ्यपूर्ण ज्ञान पचाने के बदले हमने शब्दों का उच्चारण सीखा है। जो विरासत में हमें अपने बाप-दादाओं से हासिल हुई, उसके आधार पर नव-निर्माण करने के बदले, हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में नहीं है। यह तो राष्ट्रीय शोक अथवा ट्रेजेडी का विषय है। आज की पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा है कि हम अपनी भाषाओं की ओर मुड़ें और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। हमें अपनी सभी प्रादेशिक कार्रवाईयां अपनी-अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए तथा हमारी राष्ट्रीय कार्रवाईयों की भाषा हिन्दी होनी चाहिए।"

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय (फोटो लिथो युनिट) मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110 002 द्वारा मुद्रित

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 18 अंक : 70 आषाढ़-भाद्रपद 1917 शक
जुलाई-सितंबर, 1995

□ संपादक :
राज कुमार सैनी
निदेशक (अनुसंधान)
फोन: 4617807

□ उपसंपादक :
नेत्रसिंह रावत
फोन : 4698054

सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा
फोन : 4699441

□ संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल

□ साज-सज्जा :
एम॰ के॰ नाइक

निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन, (11वां तल)
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
फोन : 4698054,

अनुक्रम

अनुक्रम		पृष्ठ
□ सम्पादकीय		
□ चिंतन		
1. श्री मोटूरि सत्यनारायण : संक्षिप्त परिचय	—जगदीश प्रसाद शर्मा	1
2. भारत के संविधान में सामासिक संस्कृति और भारतीय भाषाएं	—डॉ॰ मोटूरि सत्यनारायण	2
3. डॉ॰ मोटूरि सत्यनारायण	—टी॰ वीरेन्द्र	5
4. श्री विनोबा कौन हैं?	—महात्मा गांधी	7
5. राष्ट्रकविः सुब्रमण्य भारती	—इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि॰ की "स्नेहा" पत्रिका से साभार	8
6. संसदीय राजभाषा समिति/संदर्भ तथा व्याख्या	—शंकर दयाल सिंह	10
7. भारतीय भाषाओं की संजीवनी शक्ति और राष्ट्रीय ऊर्जा	—डॉ॰ पोलिविजय राघव रेड्डी	14
□ पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य		
8. पतन गाथा का नायक कवि रमेश गौड़	—डा॰ शैलेन्द्र श्रीवास्तव	17
□ विश्व हिन्दी दर्शन		
9. हिंदीः अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ/राष्ट्रीय धर्म	—शंकर दयाल सिंह	21
□ संस्कृति दर्शन		
10. संस्कृत साहित्य का परिचयात्मक इतिहास	—डा॰ शशि तिवारी	23
□ भारतीय भाषा संगम		
पंजाबी कविता—घर घर	कविः सुरजीत पातर (रूपांतरकारः फूल चंद मानव)	30
पंजाबी कविता—माला तक	कविः पाल कौर (रूपांतरकारः योगेश्वर)	31

तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार?

—सुमित्रा नन्दन पन्त

सम्पादकीय

"राजभाषा भारती" का हिंदी दिवस विशेषांक स्वर्गीय श्री मोटूरि सत्यनारायण की पवित्र स्मृतियों को समर्पित है। श्री मोटूरि सत्यनारायण भारत की संविधान सभा के माननीय सदस्य थे और हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने के मुद्दे पर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दरअसल हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में हिंदी भाषियों से अधिक अहिंदी भाषियों का योगदान रहा है। ऋषि दयानन्द, आचार्य केशवचन्द्र सेन, कवीन्द्र रवीन्द्र नाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, आचार्य विनोबा भावे जैसे सभी महापुरुष अहिंदी भाषी थे। इनका सपना था कि देश स्वाधीन हो और हिंदी स्वाधीन देश की सम्पर्क भाषा तथा केन्द्र की राजभाषा हो। इसी श्रृंखला में श्री मोटूरि सत्यनारायण का नाम भी उल्लेखनीय है। हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़े/हिंदी मास के अवसर पर प्रकाशित "राजभाषा भारती" का यह अंक (जुलाई-सितम्बर) श्री मोटूरि सत्यनारायण के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। श्री मोटूरि सत्यनारायण की स्मृति के साथ-साथ इस अवसर पर राजभाषा भारती परिवार उन सभी अहिंदी भाषी महापुरुषों, विद्वानों, हिंदी-सेवियों और पत्रकारों को भी अपनी हार्दिक श्रद्धाजंलि अर्पित करता है, जो आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन जिन्हें हिंदी पाठक सदा कृतज्ञतापूर्वक याद करते रहेंगे। हिंदी का आज जो विकास और प्रसार हो रहा है उसका अधिकांश श्रेय ऐसे ही अहिंदी-भाषी हिंदी-प्रेमियों को है जिनके सदाशयों और प्रयासों के फलस्वरूप हिंदी आज देश की राजभाषा के रूप में समादृत है।

—राजकुमार सैनी

श्री मोटूरि सत्यनारायणः संक्षिप्त परिचय

— श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोटूरि सत्यनारायण जी का 6 मार्च, 1995 को प्रातः मद्रास में निधन हो गया। श्री सत्यनारायणजी के निधन से हिन्दी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में अपार क्षति हुई है। मोटूरि सत्यनारायण हिन्दी प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में विशेषकर दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के प्रबल समर्थक और प्रचारक रहे। दक्षिण के चारों प्रान्तों में आज कोई ऐसा हिन्दी प्रचारक नहीं होगा जो मोटूरि सत्यनारायणजी के नाम से परिचित न हो।

मोटूरि सयनारायण जी का जन्म 2 फरवरी, 1902 को आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिला के दौण्ड पाडु गांव में हुआ। सत्यनारायणजी हिन्दुओं की कम्मा उपजाति के सम्पन्न और ख्यातिप्राप्त परिवार के थे। मोटूरि सत्यनारायण ने किसी विद्यालय-महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की। उनके पास शिक्षा की कोई उपाधि भी नहीं थी। वे स्वयं शिक्षित थे। कुछ दिनों के लिए मछली-पट्टणम के राष्ट्रीय कला शाला में शिक्षित हुए। परन्तु वे प्रतिभा सम्पन्न स्वतन्त्र चिन्तक थे। उनकी सूझ-बूझ आश्चर्यजनक थी। सत्यनारायणजी की मातृभाषा तेलुगु थी। हिन्दी उनकी मातृभाषा जैसी थी। वे तमिल, कन्नड़, मलयालम के साथ-साथ मराठी, गुजराती, बंगाली भी जानते थे। वे अंग्रेजी के भी अच्छे ज्ञाता थे। अपनी प्रतिभा के बल पर वे भारत के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के बोर्ड आॅफ स्टडीज़ के सदस्य रहे। उनको नृत्य, संगीत, चित्रकला, नाटक आदि का भी शौक था। वे मद्रास सरकार द्वारा स्थापित नाटक प्रोत्साहन समिति के सदस्य भी रहे। वे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त फिल्म इन्क्वायरी कमेटी के सदस्य थे और कई वर्षों तक केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड के सदस्य रहे। महात्मा गांधीजी की प्रेरणा से हिन्दी प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में आए और राजाजी के आदेशानुसार मोटूरि सत्यनारायण दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री नियुक्त हुए। सभा के बहुमुखी विकास का श्रेय मोटूरि सत्यनारायणजी को ही है। उनके अथक् परिश्रम से मद्रास सभा की रजत जयन्ती बड़े पैमाने पर मनाई गई, जिसके अध्यक्ष स्वयं महात्मा गांधीजी थे। श्री सत्यनारायणजी को उनकी हिन्दी प्रचार-प्रसार सम्बन्धी सेवा के सम्मान-स्वरूप भारत सरकार ने उनको पदम्-विभूषण की पदवी देकर सम्मानित किया। 1961 में वे सभा के प्रधान मंत्री पद से सेवानिवृत्त हुए। मोटूरि सत्यनारायण 1954 से 1966 तक दो बार राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के लगभग 10 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। आगरा संस्थान के अध्यक्ष के रूप में आपने हिन्दी की जो सेवा की वह प्रशंसनीय है। श्री सत्यनारायणजी ने अनेक पुस्तकों, ग्रन्थों का सम्पादन भी किया। उनके सम्पादन में विश्व ज्ञान संहिता विभिन्न खण्डों में प्रकाशित हुई है। हिन्दी भाषा के उन्नयन और विकास के साथ-साथ दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की अभिवृद्धि के लिए किए गए कार्यों के लिए आपने बापूजी, डा॰ राजेन्द्रप्रसाद आदि लोगों का आदर प्राप्त किया। दक्षिण में हिन्दी प्रचार-प्रसार की मजबूत नींव डाली। सन् 1936 में वर्धा में महात्मा गांधीजी ने राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना की। मद्रास से उन्होंने श्री मोटूरि सत्यनारायणजी को बुलाकर विशेष रूप से समिति के प्रथम प्रधान मंत्री पद का कार्यभार उन्हें सौंपा। समिति की नींव मजबूत बनाने में श्री सत्यनारायणजी का विशेष हाथ रहा।

मोटूरि सत्यनारायणजी वरिष्ठ स्वतन्त्रता सेनानी थे। 1940 से 1942 के आन्दोलन में जेल में रहते हुए भी हिन्दी की महत्वपूर्ण सेवा की। हिन्दी प्रचार में गति लाने के लिए नई योजनाएँ बनाई। जिनमें मंडल योजना, दक्षिण साहित्य प्रकाशन, कला भारती की योजना विशेष उल्लेखनीय है। **श्री सत्यनारायणजी भारत की संविधान सभा के सदस्य मनोनीत किए गए। वहां उन्होंने अपने पूरे मनोयोग से हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में संविधान द्वारा स्वीकृत कराने में बहुत योगदान दिया।** इस कारण दक्षिण में हिन्दी प्रचार-प्रसार को बल मिला। मोटूरि सत्यनारायणजी हिन्दीतर प्रदेशों से हिन्दी प्रदेशों को जोड़ने वाले अद्वितीय सेतु थे। वे पुरानी पीढ़ी के होते हुए भी नई पीढ़ी के प्रेरणास्रोत और मार्गदर्शक थे।

मोटूरि सत्यनारायणजी ने हिन्दी प्रचार-प्रसार को एक नई दिशा दी। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य किया। मोटूरि सत्यनारायणजी के निधन से हिन्दी प्रचार-प्रसार की अपार क्षति हुई है। वे हिन्दी के एक सबल समर्थक नेता थे। ■

भारत के संविधान में सामासिक संस्कृति और भारतीय भाषाएं

डा० मोदूरि सत्यनारयाण

औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप यूरोपीय भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी में बहुत से शब्द प्रचलित हुए जैसे—स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता लोकतंत्र, संस्कृति इत्यादि। इन शब्दों ने नए अर्थ और संकल्पनाएं ग्रहण कीं जिनके आधार पर सामाजिक एकता और प्रगति के कार्यक्रम निरन्तर बनाए और कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन शब्दों में से "संस्कृति" शब्द सर्वाधिक व्यापक हुआ जिसमें संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप चाहे वे बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यत्मिक हों या सामाजिक, सम्मिलित हो गए। प्राक् उद्योग युग में काफी लम्बे समय तक "संस्कृति" शब्द सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक क्रियाकलापों के अर्थ में ही लिया जाता था। विगत सौ वर्षों या उससे अधिक समय से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से समाज में परिवर्तन आ रहा है। अध्ययन के अन्य बहुत से क्षेत्रों में "संस्कृति" शब्द का गहन प्रयोग हुआ है, न केवल सौंदर्यशास्त्र, धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में बल्कि सामाजिक व्यवहार के स्वरूपों समाज निर्माण और विभिन्न सामाजिक रूपों से संबंधित अध्ययन के क्षेत्रों में भी "संस्कृति" किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का लक्षण होने के अतिरिक्त समाज का, और काफी हद तक संपूर्ण राष्ट्र का भी एक लक्षण है। "संस्कृति" शब्द का प्रयोग विज्ञान की अनेक शाखाओं में भी व्यापक रूप से किया जाता है। हमारे देश में "संस्कृति" शब्द का प्रयोग सामान्यतः मानवीय आचरण और सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में अधिक प्रयोग होता है जो न केवल प्रबोधन को प्रतिबिंबित करता है बल्कि विभिन्न अध्ययनों से संबंधित गहन ज्ञान को भी दर्शाता है।

सामान्यतः यह समझा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता संबंधी दस्तावेज में "संस्कृति" शब्द को कोई स्थान नहीं मिलता है किन्तु, भारत के संविधान जैसे दस्तोवज में "संस्कृति" शब्द का उल्लेख किया गया है, परन्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख अनुच्छेद 351 में किया गया है। यह अनुच्छेद इस प्रकार से है—

351. संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों का आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

अनुच्छेद 351 संविधान के भाग 17 में जो संघ की राजभाषा और भारतीय भाषाओं की स्थिति और कार्य से संबंधित है, संविधान की आठवीं अनुसूची में संघ में प्रयोग किए जाने की लिए 15 भाषाओं की सूची दी गई है। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि इन 15 भाषाओं में से 12 भाषाएं पहले ही उन राज्यों द्वारा राज्यों के उन क्षेत्रों में विकसित किए जाने के प्रयोजन से चुनी जा चुकी हैं जिनमें उनकी प्रधानता है। देश के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल ने अपने-अपने राज्यों की प्रमुख भाषा को पहले ही अपना लिया है और असम, पंजाब और कश्मीर राज्यों में क्रमशः असमी, पंजाबी और कश्मीर/उर्दू राजभाषा की भूमिका निभा रही हैं। मध्य भारत में 7 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली ने हिन्दी को अपनाया। 15 भाषाओं में से संस्कृत, कश्मीरी और सिंधी को छोड़कर शेष 12 भाषाओं (उर्दू सहित), का आज उन सभी प्रयोजनों से विकास और प्रयोग किया जा रहा है, जिनके लिए किसी विकसित भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इन भाषाओं के विकास के इन क्षेत्रों को सामाजिक प्रगति से निकट संबंध है, अतः इसका प्रयोग उस राज्य तक सीमित रहता है जिसमें न केवल राजभाषा के रूप में अपितु शिक्षा, व्यापार, कारोबार के माध्यम, साहित्य और उद्योगों के विकास के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, । यह भी ज्ञात है कि इन भाषाओं का यह विकास इनको बोलने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है, ताकि अंततः राज्य की प्रगति में योगदान प्रदान करने के लिए वे आत्मनिर्भर बन जाए।

एक भ्रान्त धारणा है कि जो हिन्दी आज 7 राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रचलित है यह वही भाषा है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। यह धारणा अधिकांशतः इस मान्यता के कारण बनी है कि भारत संघ की राजभाषा के विकास और प्रसार के लिए किसी अन्य भारतीय भाषा के सहयोग, सहबद्धता और योगदान की आवश्यकता नहीं है।

यह सर्वविदित है कि भाषा संस्कृति के विकास का एक अनिवार्य अंग है और यह भी एक मानी हुई बात है कि सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया साथ-साथ चलती रहती है और समाज का विकास अधिकांशतः भाषा के माध्यम से प्रतिबिम्बित होता है। भाषा, संस्कृति, व्यापार, आस्था और व्यवसाय, धर्म और दर्शन सामाजिक नियम और सामाजिक प्रथाओं की विविधता होते हुए भी भाषा और संस्कृति के विकास की दृष्टि से भारत की एक विलक्षण स्थिति है। भारत की विविधता में एकता दर्शाने के अविरत, निरन्तर और सफल प्रयास किए जाते रहे हैं।

संविधान सभा ने जिसके 299 प्रतिनिधि सदस्य भारत के कोने-कोने से लिए गए थे, जहां 1652 मातृ भाषाएं हैं, देश के बहुभाषी आधार से एक-भाषी माध्यम लागू करने की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए 3 वर्ष तक विचार विमर्श किया। भारत की 15 प्रमुख भाषाओं के विकास का एक लम्बा इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। गत जनगणना के

अनुसार, देश के 90% भू-भाग में और 95% जनसंख्या द्वारा ये भाषाएं बोली जाती हैं। अतः संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि सतत प्रयासों और कार्यक्रमों से एक ऐसी सामान्य भाषा संबंधी रूपरेखा सामने आएगी जो सभी भाषा-वर्गों को स्वीकार्य होगी। यह कार्य अपने को न केवल राजभाषा हिन्दी के विकास के साथ बल्कि देश की संस्कृति के संवर्धन के साथ भी सहबद्ध करके किया जाएगा। जो अपने विकास और प्रसार में अनादिकाल से सामाजिक स्वरूप की रही है और अनन्त काल तक सामासिक स्वरूप की रहेगी।

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भारत ने धार्मिक ओर भाषाई मतभेदों और तरह-तरह के सम्प्रदायों और सामाजिक नियमों के बावजूद एकता की ठोस शक्ति प्राप्त कर ली थी इसी एकता को और अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ और स्थायी बनाने की आवश्यकता थी। देश को एक सूत्र में पिरोकर रखने के लिए एक प्रशासनिक साधन के रूप में सम्प्रेषण और कार्यचालन के लिए एक भाषाई माध्यम की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि स्वतन्त्रता और एकता को सुरक्षित और अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान में पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई हैं। इसलिए यह सोचा गया कि इस एकता को भाषा के माध्यम से एक मजबूत नींव पर कायम रखा जा सकता है। यह भाषा माध्यम हमारे सामासिक और अपरिमित सांस्कृतिक और भाषाई वैभव से तैयार किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 8वीं अनुसूची की प्रमुख भाषाओं में से कई भाषाएं अपने प्रसार की दृष्टि से अंग्रेजी सहित यूरोप की किसी भी महाद्वीपीय भाषा से अधिक व्यापक हैं। उनका इतिहास बहुत प्रचीन है और उनकी शब्द सम्पदा और साहित्य विशाल है। वस्तुतः यह अपरिहार्य समझा गया कि युगों से संचित अपनी सामासिकता के द्वारा ये भाषाएं संघ भाषा के समुचित विकास का समाधान प्रस्तुत करेंगी।

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी अपना मत पूरी तरह से इस समस्या को संयुक्त और बहुपक्षीय प्रयास माने जाने के हक में दिया है न कि एकपक्षीय माने जाने के हक में, जैसा कुछ लोगों का विश्वास है। इसी कारण से एक निर्देशात्मक अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिन्दी को विसकित और संवर्धित करने का और साथ ही 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के रूप, उनकी शैली और अभिव्यक्ति को आत्मसात करते हुए हिन्दी को समृद्ध बनाने का दायित्व संघ को सौंपा गया है। यह एक ऐसा अध्यादेश है जिसका अनुपालन अनुच्छेद 351 के अधीन हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए उत्तरदायी संघ सरकार को करना है।

इस संबंध में स्मरणीय है कि संविधान सभा के अध्यक्ष, डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इस धारणा को पुष्ट करने के लिए समुचित कदम उठाए कि समस्त भारत में हिन्दी की शब्दावली के प्रयोग में यथासाध्य एकरूपता होनी चाहिए। संविधान पर सदस्यों के हस्ताक्षर होने से पूर्व उन्होंने स्वयं आयोजित किए गए सम्मेलन में आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं के प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित भारतीय भाषाओं के मूलपाठ में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का अन्वय कराया। अंग्रेजी और भारतीय भाषा अर्थात् हिन्दी में तैयार किए गए संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा बिना किसी असहमति के हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार भारतीय भाषा में लिखे गए मूलपाठ को, जिसे संसद द्वारा नवंबर, 1988 में अधिप्रमाणित भी किया गया, वही महत्व प्राप्त हो गया जो अंग्रेजी में लिखे मूल पाठ को मिला हुआ है। तकनीकी शब्दों में एकरूपता लाने का निःसंदेह प्रयास किया जा रहा है और ये शब्द कुछ हद तक लोकप्रिय भी हुए हैं लेकिन संघ भाषा के विकास के साथ भारतीय भाषाओं को सहबद्ध करने का, विशेष रूप से सामासिक संस्कृति के विकास के क्षेत्र में अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है।

कुछ समय से सामाजिक पहचान और सत्ता के अधिग्रहण के लिए भाषा को काफी महत्व दिया जा रहा है। यह बात समस्त विश्व में देखने में आ रही है। अतः यह समय है जबकि मूलतः भाषा के साँस्कृतिक अस्तित्व को समझा जाए और सामासिक संस्कृतिक को समूचे राष्ट्र की संस्कृतिक समझा जाए और देश में विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के बावजूद संघ की भाषा के विकास को राष्ट्रीय कार्यकलाप समझा जाए।

संप्रेषण माध्यम और कार्यमूलक होने के साथ-साथ, भाषा की सांस्कृति माध्यम की भूमिका भी महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है। लोगों का सहयोग प्राप्त होने पर अब सामासिक सांस्कृतिक के माध्यम के रूप में हिन्दी के विकास का कार्यक्रम संघ सरकार द्वारा तैयार किया जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए।

इस समय देश में सरकारी प्रयोग के लिए जिन भाषाओं का विकास किया जा रहा है, ये सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह विकास क्षेत्रीय है, फिर भी वे ऐसे घटक और अवयव हैं जिन्हें अंततः भाषाओं की एक राष्ट्रीय संपदा समझा जाए। सहभाज्य लोकतंत्र के माध्यम से इस संपदा पर दावा और अधिकार जताया जा सकता है। राष्ट्रीय संस्कृति के एकीकरणात्मक विकास के प्रक्रम में ऐसा माना जाता है कि यह संस्कृतिक, सामासिक संस्कृति होगी जो सभी आवश्यक घटकों अर्थात् भारतीय भाषाओं से समान रूप से संबद्ध होगी।

देश में सांस्कृतिक एकीकरण का कार्यक्रम उतना ही पुराना है जितना भारत का इतिहास। इसका भारत के भौतिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई भूगोल के साथ बहुत गहरा संबंध है। यदि ऐसा न होता तो भारत में सही सामाजिक आचरण के लिए निर्देशक सिद्धांतों के रूप में पौराणिक साहित्य के प्रयोग में एकरूपता न आ पाती और सामाजिक विधि, सामाजिक व राजनीतिक साहित्य तथा प्रशासन, व्यापार और वाणिज्य में समग्र शब्द व्यापक मात्रा में न मिलते यह अस्तित्व अनादिकाल से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यकलापों से पूर्णतः जुड़ा रहा है। इस समय भारतीय भाषाओं और साहित्य में जो प्रगति हो रही है, उसका राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांस्कृतिक विकास से गहरा संबंध है। सामाजिक सांस्कृति की पहचान करने और उसे संघ की भाषा में अन्य भाषाओं के योगदान में पुष्ट करने को अनुच्छेद 351 में परिकल्पित कार्यक्रम के अंतर्गत सहभाज्य कार्यकलाप द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने का यह उपयुक्त अवसर है अर्थात सांस्कृति राष्ट्रीयता हासिल करने का उद्देश्य जो भारत की सामासिक संस्कृति के लिए हिन्दी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर पूरा किया जा सकता है जैसा कि संविधान निर्माताओं ने निर्देश के रूप में विहित किया था। इस प्रकार अनुच्छेद 343 में उल्लिखित हिन्दी को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 345 के अन्तर्गत अपनाई गई हिन्दी संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जानी वाली सरकारी भाषा होगी।

अपनी अनुकूलशीलता के कारण संप्रेषण-माध्यम के रूप में अपनाई गई संपर्क भाषा, हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार, इसके अखिल भारतीय संप्रेषण आधार के कारण इसे देश में सभी क्षेत्रों में कार्यमूलक आधार प्राप्त हुआ। सामाजिकता के साथ-साथ सास्कृतिक आधार तभी प्राप्त हो सकता है जब क्षेत्र के भीतर और क्षेत्र के बाहर होने वाले समवर्ती द्विभाषी आंदोलनों में गहरा संबंध और आत्मसात्करण हो। इस प्रक्रिया में हिन्दी देश की शब्द संपदा को आत्मसात कर सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उभर कर सामने आएगी और इसमें विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय मुहावरों का बाहुल्य होगा। इस प्रक्रिया से सभी तीन क्षेत्रों अर्थात् संप्रेषण, कार्य निष्पादन और सामासिक संस्कृति के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर समान सजात शब्दों के विकास और प्रसार तथा राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

सभ्यता के इतिहास से पर्याप्त प्रमाण मिलता है कि समाज के निर्माण में धर्म ने एकताकारी ताकत के रूप में भूमिका अदा की। औद्योगिक क्रांति के शुरू होते ही इसी प्रयोजन के लिए देशभक्ति ने धार्मिक निष्ठा की जगह ले ली। धर्म का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। तो देशभक्ति समाज को जोड़ने वाली प्रबल शक्ति है। समाज के विभिन्न वर्गों को राष्ट्रीय आकार प्रदान करने वाली यह स्वयंसिद्ध शक्ति है। इस प्रकार, देशभक्ति, राष्ट्रीयता के लिए पूर्वापेक्षा है। राष्ट्रीयता से अलग होने पर देशभक्ति धर्म के साथ जुड़ जाती है और इसमें एकता की प्रबल शक्ति आ जाती है राष्ट्रीयता की संकल्पना को समस्त विश्व में लौकिक धर्म समझा जा रहा है। हमारे देश में राष्ट्रीयता एकाश्म नहीं है। यह बहु-स्तरीय है। ■

डा॰ मोटूरि सत्यनारायण

—टी॰ वीरेन्द्र

सन् 1994 के मई मास की भयंकर गर्मी के दिन थे। मैं प्रथम बार पद्मविभूषित डा॰ मोटूरि सत्यनारायण जी से मिलने जा रहा था। मेरे साथ हमारी फिल्म के लेखक डा॰ किशोर वासवानी भी थे, वे ही हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे थे। वे बता रहे थे कि मोटूरि जी संविधान निर्मातृ सभा के सदस्य तथा तेलगू विश्व ज्ञान कोश के संपादक व हिंदी के समर्पित विद्वान सेवी हैं। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए उनके बहुमूल्य योगदान को हिंदी जगत कभी भुला नहीं पायेगा।

उनके सम्मुख पहुंचने पर लगा कि वे बहुत गंभीर व्यक्तित्व के योगी पुरुष थे। 95 वर्ष की आयु में भी वे पूर्णतया स्वस्थ एवं अपने कार्य स्वयं करने में सक्षम थे, कुछ देर की बातचीत तथा परिचय होने पर मैंने अपने आने का आशय प्रकट किया, कि हम भारत की सामासिक संस्कृति के तार एवं एकता की कड़ी हिंदी पर एक वृत्तचित्र का निर्माण कर रहे हैं और वो भी विशेषकर तमिलनाडु में, क्योंकि हमेशा यहीं से साफ तौर पर दबी-दबी आवाज में हिंदी विरोध की आवाजें उठती रही हैं।

मोटूरि जीः- इससे क्या फायदा होगा?

टी॰ वीरेन्द्रः- इससे पूरे देश को तमिलनाडु में हिंदी की स्थिति की जानकारी मिलेगी तथा यहां हिंदी के प्रचार-प्रसार एव प्रगति का पता चलेगा।

वे मुस्कराये और बोले, कुछ समय से सामाजिक पहचान और सत्ता के अधिग्रहण के लिए भाषा को काफी अधिक महत्व दिया जा रहा है अतः यही समय है जबकि मूलतः भाषा के सांस्कृतिक अस्तित्व को समझा जाए और सामासिक संस्कृति को पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की संस्कृति समझा जाए और देश में विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के बावजूद संघ की भाषा के विकास को राष्ट्रीय कार्यकलाप समझा जाए।

मैं समझ गया कि मैं सागर के सम्मुख खड़ा हूँ--------

हम दो दिन तक लगातार उनके गांधी नगर स्थित घर पर शूटिंग करते रहे, हमारी फिल्म का नाम "सेतु" है भाषा तो स्वयं ही एक सेतु है फिर भी मैंने उन्हें सेतु नाम दे दिया, तो वे बच्चों की तरह खिल उठे और बोले मैं तुम्हारी फिल्म सेतु में कार्य करते हुए सत्यनारायण से सेतु कैसे बन गया। मुझे सेतु क्यों बना दिया।

मैंने चरण छूकर, हाथ जोड़कर कहा, "आप हिंदीत्तर प्रदेशों से हिंदी प्रदेशों को जोड़ने वाले अद्वितीय सेतु हैं। और मोटूरि जी मुझे स्नेह भरे नयनों से चश्में के पीछे से देखते रह गए।

यह हकीकत है कि जितना कार्य श्री मोटूरि सत्यनारायण जी ने हिंदी के लिए किया, उतना शायद किसी ने नहीं किया। वे तेलुगु भाषी थे। उनका जन्म 2 फरवरी, 1902 को आन्ध्र प्रदेश के जिला कृष्णां के दोड़पाडु गांव में हुआ। वे हिन्दुओं की कम्मा उपजाति के संपन्न और ख्यातिप्राप्त परिवार के थे। सत्यनारायण जी ने किसी विदयालय या महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त नहीं की, न ही उनके पास शिक्षा की कोई उपाधि थी, हां कुछ समय के लिए वे मछलीपट्टणम में शिक्षा के लिए गए। तेलुगुभाषी होने के उपरांत भी हिंदी उनकी मातृभाषा जैसी थी। वे मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, बंगाली भी जानते थे। अंग्रेजी के भी अच्छे ज्ञाता थे। कला, राजनीति, धर्म, संस्कृति, इत्यादि त्रिषयों पर उनकी अच्छी पकड़ थी।

उन्होंने मुझे शूटिंग के दौरान बताया कि वे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त फिल्म इंक्वायरी कमेटी के सदस्य रहे, और केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य भी गई वर्षों तक रहे।

महात्मा गांधी जी ने उनसे पूछा, क्या तुम मंत्री बनना चाहते हो। सत्यनारायण जी ने कहा मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूं। तब गांधी जी के कहने से, मोटूरि जी हिंदी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में आए और मद्रास में गांधी जी द्वारा स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। दक्षिण में हिंदी के प्रचार प्रसार की नींव डाली, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के बहुमुखी विकास का श्रेय मोटूरि सत्यनारायण जी को ही है। उनके अथक परिश्रम से मद्रास सभा की रजत जयंती बड़े पैमाने पर मनाई गई, जिसमें स्वयं महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। सत्यनारायण जी को हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी सेवा के सम्मान में भारत सरकार ने उनको पद्म-विभूषण की पदवी देकर सम्मानित किया था। वे केन्द्रीय हिंदी संस्थान आगरा के कई वर्षों तक अध्यक्ष भी रहे। हिंदी की सेवा के लिए जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए कम है।

राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती

"भारती की कविताओं को सुनकर मुर्दा भी जी उठेगा। पराधीन देश पाँच ही मिनट में स्वाधीन हो जायेगा।"। भारत के राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती की कविताओं के बारे में चिन्ड्रे नामक जज ने ऐसा कहा था। उतनी शक्ति थी इस कवि की वाणी में। स्वयं सरस्वती इनकी जीभ पर नाचती थी। इसीलिए इनको "भारती" की उपाधि दी गई थी। भारती याने वाणी, सरस्वती।

जीवन में शुरु से अंत तक संघर्ष, कष्ट, वेदना को सहन करते हुए इनकी वाणी इतनी जोरदार थी कि इनकी कविताओं को पढ़ते ही देशभक्तों के खून तपने लग जाता था। इनकी वाणी में यह अपार शक्ति थी।

"भारती" का जन्म 11 दिसम्बर 1882 को तमिलनाडु के तिरुनेल्वेली जिला, एट्टयपुरम गाँव मे हुआ। ग्यारह वर्ष की उम्र में ही उन्हें "भारती" की उपाधि प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त हुआ। वे अपने अध्ययन के लिए कुछ वर्ष काशी, में रहे। 1906 में क्रान्तिकारी साप्ताहिक पत्रिका "इंडिया" के सम्पादक बने।

भारती के सम्पादकीयों में उत्कट राष्ट्रप्रेम का ज्वार उमड़ता, अंग्रेज तिलमिला उठते। उनकी वाणी में जो जोश था, वह आम जनता के मन में आजादी की आग लगा देती थी। इससे डरकर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कारागार में उनका मन तीव्र गति काम करता रहा। उनका कवि हृदय मानव जाति के कल्याण तथा स्वतंत्रता के लिए कविताओं की रचना करने लगा।

राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती की कविताओं के बारे में आज पूरे भारत के कई विश्वविद्यालयों में अनुसंधान हो रहा है। उनकी कविता में जो सरलता और मधुरिमा थी, वह आज तक और किसी की कविताओं में नहीं मिलती है। उन्होंने भारतीय जीवन के समसमायिक परिस्थिति के सभी पहलुओं पर अपना विचार व्यक्त किया है। प्रस्तुत लेख में कुछ मुख्य पहलुओं पर उनके विचार को हम आपके सामने लाते हैं।

भारत की एकता

दक्षिण भारत की इस "भारतीय आत्मा" ने अपनी भारत माता के बारे में अनेक कल्पना की है। वे भारत माता का वर्णन करते हुए देश की एकता के प्रति उनके मन की बात को भी प्रकट करते हैं।

"मेरी भारत माँ बोले अष्टदश भाषाएँ
परिधान मात्र हैं वे सब उसके एक विचार के
तीस कोटि चेहरे हैं मेरी भारत माँ के
पर प्राण एक है, जीव एक हैं, उन सबमें।

भारती की वैज्ञानिक दृष्टि

इस दीर्घदर्शी ने तभी बता दिया कि राष्ट्र में एकता कैसे लायें। साथ साथ उन्होंने भारती की वैज्ञानिक प्रगति की भी परिकल्पना की है।

"राका निशि में सिंधु नदी पर, संग केरल सुंदरियाँ हों,
आंध्र देश के मधुर गीत गा, नैया में हम रमण करेंगे।
हम देकर कावेरी तट का पान, गंगा तट का गेहूँ लेंगे।
हम देंगे चेर देश का हाथी दांत, बदले में वीर मराठों की कविता लेंगे।

काशी नगरी के विद्वानों की वाणी, कांची में बैठे-बैठे सुनने का यंत्र बनाएंगे।

राजस्थानी वीरों को हम कर्नाटक का सोना देंगे।

भारती की आधुनिक नारी

आज आम तौर पर चर्चा की जाने वाली बात है - 'नारी स्वतंत्र' सुब्रह्मण्य भारती अपनी कविता की सृष्टि में नवीनता लाये। अन्य कवियों की तरह नख-शिख वर्णन न करके नारी की आत्म निर्भरता को जगाने के लिए तथा उसकी मानसिक दृढता के लिए कई कविताओं की रचना की।

"जग में विधि बनाने और शिक्षा पाने में नारी आगे है
अष्टदिख में नर से नारी श्रेष्ठ है कहके नाच री।"

और वे कहते हैं:

"महिलाओं को नीच दिखानेवाली मूढ़ता को जलाएंगे।"

भारती एक मानवतावादी

वे एक सच्चे मानवतावादी कवि थे। भूख से मरते गरीबों को देखकर वे तड़पने लगये थे।

"मानव का भोजन मानव छीने—
यह बर्बरता और कब तक रहेगी?
मानव के कष्ट को देखता हुआ मानव मौन रहे
कटुता पूर्ण यह दशा कब तक रहेगी?"

वे हर एक मनुष्य को महत्व देते हैं। चाहे वह गरीब हो या धनवान। हर एक मनुष्य को जीने की मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी चाहिए। समाजवादी दृष्टि में उनका दृढ़ अभिप्राय था। वे कहते हैं:

"खाना ना मिले
अगर एक मनुष्य को भी
तो नाश कर देंगे
पूरे जगत को"

भारती एक समाजवादी

आज की युवा पीढ़ी जो देश प्रेम, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से वंचित हैं, उनको भारती की वाणी एक उत्प्रेरणादायक होगी।

मन में दृढ़ता चाहिए
बोली मीठी होनी चाहिए
स्वच्छ मन से सोचना चाहिए
इच्छित चीज को पाना चाहिए
स्वपन सच होना चाहिए
प्राप्ति शीघ्र होनी चाहिए
धन और आनंद चाहिए
धरती पर कीर्ति चाहिए
नारी स्वतंत्रता चाहिए
महाशक्ति का आशीर्वाद चाहिए
सत्य शाश्वत होना चाहिए
ॐ ॐ ॐ ॐ

खुद पाप करना ही अपराध नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा किए जाने वाले अन्याय को देखकर चुप रहना भी पाप ही है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए मन में धैर्य होना चाहिए। भय से मुक्ति पाना चाहिए। नवयुवकों को यह संदेश देते हुए भारती ने कहा है:

"भीति नहीं भीति नही,
भीति नाम की वस्तु नहीं है।
समस्त धरती बाधा डाले
सामना क्यों न करें
भीति नहीं भीति नहीं
भीति नाम की वस्तु नहीं है।
भले ही गज गिरे सिर पर
या कि टूटती नभस्थली हो
भीति नहीं भीति नहीं
भीति नाम की वस्तु नहीं है।

भारती की हर एक कविता एक मणि के समान है। उसे पढ़ने से हमारा मन प्रकाशमय हो जायेगा। इनकी कविताएं जीवन के हर पहलू और हर उम्र के मनुष्य के लिये लिखी गयी हैं।

बच्चों के लिए भारती की चिंतनधारा

यह महाकवि बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। बच्चों के लिए उन्होंने अनगिनत कविताओं की रचना की है। वे बच्चों को छोटी उम्र में ही जीवन को कैसे क्रमबद्ध रूप में बिताना है, इसके लिए उन्होंने एक कविता की रचना की है, जो विश्वप्रसिद्ध है:

"दाड दौड खेलरी बिटिया
तू कभी सुस्त नहीं रहना
सुबह उठके पढ़ना-फिर
मन बहानेवाली गाना
शाम भर को खेलना—ऐसे
बिटिया तू आदत कर लेना।

भारतीय जाति-पांति के विरोध

वे सोचते हैं कि बच्चों को जाति वंश आदि के बारे में विकल्पता ही नहीं मालूम होना चाहिए। वे कहते हैं:

"जाति ही नहीं री बिटिया—वंश में
ऊँच नीच कहना पाप है।"

इस प्रकार भारत ने देशभक्त के रुप में तथा समाजसुधारक के रूप में विशिष्ट सेवा की है। इनकी कविताओं में जो जोश है, उसमें आज के मंद, निराश युवक को नींद से जगाने की शक्ति है।

□□□

"प्रचार शब्द हिन्दी से अब निकाल देना चाहिये। हिन्दी अपने आप बढ़ेगी। किसी आन्दोलन से वह छोड़ी नहीं जायेगी.....। उस समय की प्रतीक्षा में हम हैं, जब हिन्दी पूर्णरूपेण राष्ट्रभाषा के रूप में भारत की धरती में जड़ पकड़ेगी।"

— पी॰ वी॰ नरसिंहराव

संसदीय राजभाषा समिति/संदर्भ तथा व्याख्या

—शंकर दयाल सिंह

वर्तमान समय में निःसंदेह संसदीय राजभाषा समिति राजभाषा के मामले में देश की सर्वोच्च समिति है। तीन उपसमितियों में विभक्त इसके सदस्यों के जिम्मे अलग-अलग विभाग हैं, जहां ये समितियां निरीक्षण-परीक्षण हेतु जाती हैं। वर्तमान समय में तीनों उपसमितियों के विभागों, सदस्यों तथा उनके संयोजकों के नामों का उल्लेख यहां संदर्भ के लिए देना आवश्यक है—

अध्यक्षः श्री शंकर राव चव्हाण, गृहमंत्री, भारत सरकार

उपाध्यक्षः श्री शंकर दयाल सिंह, संसद सदस्य

पहली उपसमिति

सयोजकः श्री नाथु राम मिर्धा

अन्य सदस्यः सर्वश्री राम पूजन पटेल, प्रो० रासा सिंह रावत, चन्दुभाई देशमुख, पी० एम० सईद, प्रो० आई० जी० सनदी, विष्णु कान्त शास्त्री, इकबाल सिंह तथा इर्श दत्त यादव।

इस समिति के जिम्मे गृह, विदेश, रक्षा, मानव संसाधन विकास, विधि, न्याय और कंपनी कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, कल्याण, जल-भूतल परिवहन तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय हैं।

दूसरी उपसमिति

संयोजकः डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय

अन्य सदस्यः सर्वश्री राम विलास पासवान, जगदीश प्रसाद माथुर, उदय प्रताप सिंह, चुन चुन प्रसाद यादव, चौधरी हरमोहन सिंह, सैयद मसूदल हुसैन, के राममूर्ति, विजय कृष्ण हांडिक तथा श्री नन्दी एल्लैया।

इस समिति के जिम्मे रेल, संचार, सूचना और प्रसारण, नागर विमानन और पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जल संसाधन, खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत और अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी विभाग, महासागर विकास विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग हैं

तीसरी उपसमिति

संयोजक-श्री शंकर दयाल सिंह

समिति के अन्य सदस्यः सर्वश्री विजय कुमार यादव, श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर, परसराम भारद्वाज, सत्य नारायण जटिया, जी० स्वामीनाथन, कबीन्द्र पुरकायस्थ, श्रीमती संतोष चौधरी, डा० श्रीमती चन्द्रकला पाण्डेय

इस समिति के जिम्मे वित्त, वाणिज्य, उद्योग, इस्पात, खान, वस्त्र, शहरी विकास, श्रम, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन, पर्यावरण और वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कोयला, संसदीय कार्य, कंपनी कार्य विभाग विधि, न्याय और कंपनी कार्य, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक आदि मंत्रालय और विभाग हैं।

इस भांति यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि जब से संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ है, उस समय से लेकर अब तक 6 उपाध्यक्ष हुए जिनके नाम और कार्यकाल की अवधि निम्नलिखित है:—

नाम	कार्यकाल की से	अवधि तक
1. श्री ओम मेहता	6.12.77	02.4.82
2. श्री चिरंजी लाल शर्मा	4.5.83	31.12.84
3. श्री श्रीकान्त वर्मा	5.6.85	25.5.86
4. डा० रूद्र प्रताप सिंह	29.8.86	28.6.92
5. श्रीमती वीणा वर्मा	2.7.92	2.4.94
6. श्री शंकर दयाल सिंह	7.6.94	अब तक

उसी भांति सन् 1976 से लेकर अब तक 7 सचिव हुए जिनके नाम और कार्यकाल की अवधि निम्नलिखित है:

क्रम सं०	नाम	कार्यकाल की अवधि से	तक
1.	श्री सुधाकर द्विवेदी	1-1-76	15-3-78
2.	श्री मनीश गुप्ता	17-7-78	17-5-80
3.	श्री सूर्य प्रकाश बागला	1-6-80	18-3-82
4.	श्री हर्ष वर्धन गोस्वामी	3-6-82	2-12-85
5.	श्री एन० के० महाजन	2-5-86	4-10-89
6.	श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर	5-10-89	31-12-94
7.	श्री रमेश कुमार	17-4-95	अब तक

इस समिति का व्यवहारिक पक्ष यह है कि इसे निरीक्षण तथा साक्ष्य का अधिकार प्राप्त है, जिसमें बड़े अधिकारी, विभागाध्यक्ष और कभी-कभी स्वयं उस विभाग के मंत्री भी शामिल होते हैं। इस अवसर पर सदस्यों का सबसे बड़ा जोर तीन बातों पर होता है—

क—राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों का पालन आवश्यक रूप से किया जाए।

ख—गृह मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमों को विभागाध्यक्ष लागू करें तथा

ग—पिछले निरीक्षण के समय जो आश्वासन दिया गया था, उसका पालन हो।

निरीक्षण बैठकों की अध्यक्षता संयोजन करते हैं तथा साक्ष्य बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष। साक्ष्य के समय उस विभाग अथवा मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, जिनका सीधा संबंध इस विषय से है, रहना अनिवार्य होता है। साक्ष्य के समय अध्यक्ष सामने बैठे विभागाध्यक्ष को संबोधित कर जो प्रारंभिक भाषण देते हैं, उसका मसौदा इस प्रकार रहता है—

सम्मानित..... जी, मैं आपका और आपके सहयोगियों का संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनरावलोकन करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई है। समिति में कुल 30 सदस्य हैं जिनमें से 20 लोक सभा के हैं और 10 राज्य सभा के हैं। समिति ने अब तक केन्द्रीय सरकार के लगभग साढ़े पांच हजार कार्यालयों में मौके पर जाकर हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की है और राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर लगभग चार सौ गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श किया है। उक्त समीक्षाओं और साक्ष्यों के आधार पर समिति राष्ट्रपति जी को अपने प्रतिवेदन के पांच खण्ड प्रस्तुत कर चुकी है। पहले चार खण्डों पर राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस समय समिति अपने प्रतिवेदन का छठा खण्ड तैयार कर रही है। इस खण्ड में समिति अन्य बातों के अलावा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर पत्राचार में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। प्रतिवेदन के इस खण्ड के विषय के विविध पहलुओं पर किन्ही निष्कर्षों तक पहुंचने से पहले समिति ने इस विषय से संबंधित कुछ गणमान्य व्यक्तियों के बहुमूल्य विचारों से लाभान्वित होना आवश्यक समझा है। इस प्रयोजन से हमने आपको एक प्रश्नावली भेजी थी। हमें आपसे उस प्रश्नावली में मांगी गई जानकारी मिल गई है। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए समिति आपसे कुछ मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करना चाहती है। मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में जो भी और बातें होंगी, आप उन्हें सामयिक रूप से बताएंगे और अपने विचार खुले दिल से और बिना किसी संकोच के प्रकट करेंगे जिससे कि समिति को सही निष्कर्ष तक पहुंचने में आपकी सहायता और सहयोग मिल सके।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी और आपकी बातचीत गोपनीय रहेगी और उसका यथावश्यक उपयोग समिति के प्रतिवेदन में किया जाएगा।

इससे पूर्व कि बातचीत आरम्भ हो, मेरा निवेदन है कि आप समिति को अपना और अपने सहयोगियों का परिचय देने की कृपा करें और इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ कहना चाहें तो कहने की कृपा करें।

कभी-कभी कोई तेज—तर्रार हिंदी अधिकारी अथवा राजभाषा निदेशक अपने विभाग में अपनी महत्ता साबित करने के लिए अथवा अपनी धाक जमाने या फिर बड़े अधिकारियों को जलील करवाने अथवा सबक सिखाने हेतु भी संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों से मिल-जुलकर या समिति के वरिष्ठ अधिकारियों से सांठ-गांठ करके भी निरीक्षण कार्यक्रम रखवाते हैं। कभी-कभी कोई सदस्य, जिनका किसी विभाग या अधिकारी से विशेष प्रयोजन होता है वे भी उस विभाग या मंत्रालय या उपक्रम का निरीक्षण रखवाते हैं। कभी-कभी कोई मान्य सदस्य सामने बैठे वरिष्ठ अधिकारी से कुछ ऐसे लहजे में बातें करते हैं, जिससे प्रसंग कट हो जाता है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि प्रेम और सद्व्यवहार से जितना काम हो सकता है, उतना फटकार से नहीं।

एक बात और परेशान करने वाली है। 1976 में जब यह समिति गठित हुई थी उस समय जब इसका दौरा होता था तो सदस्यों को उपक्रमों के "गेस्ट हाउसों" तथा सरकारी आवासों में ही ठहराया जाता था या ठहरते थे। इधर का हाल ठीक इसके विपरीत है। पंचतारे होटलों से नीचे कोई ठहरना नहीं चाहता और जहां निरीक्षण-परीक्षण होता है वे लोग भी शानदार से शानदार जगहों में सदस्यों को ठहराते हैं, जिससे उनका मूड ठीक रहे, कम डांटे तथा अधिकारियों-कर्मचारियों का भी खाना-पीना इसी बहाने चलता रहे। जिस होटल में पांच सात कमरे सदस्यों के लिए होंगे, उसमें पांच-सात अधिकारियों के लिए भी तथा एक कमरा "कंट्रोल रूम" रहता है, जिसमें छुटभैयों की जमात काम के साथ ही चाय-पान में भी मशगूल रहती है।

इसी भांति प्रारंभिक दिनों में कभी कभार छोटी-मोटी चीजें ज्यादातर अपने उत्पादन की ही उपहार में दे दी जाती थीं। अब तो घड़ी, वी०आई०पी० बाक्स, लेदर ब्रीफकेस आदि से नीचे कोई बात ही नहीं होती। इस निर्णय में अधिकारियों का भी भरपूर योगदान रहता है, क्योंकि उनके हिस्से में भी ये चीजें आती हैं। अतः नाम भले एम०पी का बदनाम हो, लाभ उठाने में कर्मचारी-पदाधिकारी कभी पीछे नहीं रहते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि तीन-चार सदस्य होते हैं, जबकि समिति के तथा विभागों के अधिकारियों की संयुक्त संख्या 8-10 तक होती है, जो इन वस्तुओं को बटोरने में आगे ही रहते हैं। हां, बदनामी का सेहरा सदस्यों के माथे पर जाता है। यह भी सही है कि सभी सदस्य दूध के धोए नहीं होते। कुछ का अपना व्यवसायिक पक्ष होता है, तो कुछ का निजी। सब मिलाकर भी यह बात निःसंदेह कही जा सकती है कि संसदीय राजभाषा समिति ने हिंदी के फैलाव तथा लागू करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज भारत सरकार के कार्यालयों में द्विभाषी सूत्र का प्रचलन इसी कमेटी के कारण संभव हो सका है।

कभी-कभी मेरे मन में यह बात भी आती है कि हिंदी अधिकारियों तथा अनुवादकों की इतनी बड़ी फौज के कारण ही तो हिंदी कहीं रुक नहीं गई है। कारण जो लोग स्वयं इन कार्यों को कर सकते थे वे हिंदी अधिकारियों तथा अनुवादकों के द्वारा ही अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार हिंदी सदा के लिए अनुवाद के चक्कर में फंस गई, उसका मौखिक रूप नहीं उभर सका।

मैंने इस संबंध में दो विशेष बातें और मार्क की हैं। एक यह कि कहीं-कहीं हिंदी भाषा-भाषियों की अपेक्षा अहिंदी भाषा-भाषी ही राजभाषा हिंदी का काम ज्यादा निष्ठा तथा जागरूकता के साथ करते हैं। दूसरी बात यह कि जिन लोगों ने कभी हिंदी में एक वाक्य न लिखा और न जबान पर उसे फटकने दिया, वे भी समिति के सामने आते ही फरीटेदार हिंदी बोलने लगते हैं तथा दौरों के समय हिंदी में काम करके सबको चकित कर देते हैं।

समिति ने विगत 20 वर्षों में दौरा भी खूब किया। देश का चप्पा-चप्पा छानना तो अलग बात है। दो बार समिति ने विदेशों का भी दौरा किया पहली बार 1980 में और दूसरी बार 1995 में।

इसको लेकर अंग्रेजी समाचार-पत्रों में तथा जहां-तहां मीडिया में काफी कटु मधु टिप्पणियां आई। कहीं अभियोग लगे कि हिंदी के नाम पर यह पिकनिक है, तो कहीं कहा गया कि पहले देश में हिंदी चला लीजिए, तब विदेश में चलाइएगा और कहीं बेसिर-पैर का प्रचार हुआ कि संसदीय राजभाषा समिति के विदेश दौरे पर करोड़ों का खर्च।

अंग्रेजी के नाम पर अथवा खानापूर्ति हेतु आए-गए दिनों कितनी समितियां बाहर जाती हैं तो कोई चर्चा भी नहीं होती, लेकिन हिंदी के नाम

पर ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल बाहर जाए, यह लोगों को सह्य नहीं होता जबकि यह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है कि जिसे हमने राजभाषा का दर्जा दिया है, उसमें काम भी हो तथा उसे सम्मान भी मिले। जहां तक खर्च का प्रश्न है, वहां मात्र 70 लाख इस कार्य हेतु बजट में आबंटित थे, जो तीन वर्षों से "सरेंडर" हो रहे थे, उनका उपयोग एक आवश्यक कार्य हेतु यदि किया गया तो अनर्थ क्या हो गया। फिर हर संसद सदस्य को अपने क्षेत्र के विकास हेतु एक करोड़ की राशि आबंटित की गई है, कुल मिलाकर 730 करोड़। इसका उपयोग हो रहा है कि दुरूपयोग यह बात कोई नहीं उठाता, लेकिन जहां 60-70 लाख ने ही हिंदी को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया।

राजभाषा समिति की छठवीं रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट होगी। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परिच्छेद है विदेश स्थित राजदूतावासों तथा सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग और उसकी स्थिति पर रिपोर्ट देना बिना गए कैसे संभव था। तीन उपसमितियों में बटकर राजभाषा समिति ने 18-20 देशों का दौरा किया। पहली बार अनेक राजदूतावासों में जागृति आई तथा कार्यालयों में चुस्ती। जहां हिंदी का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां भी इस समिति ने सक्षमतापूर्वक उसे स्थापित किया। एक स्वस्थ वातावरण बनाया। देश में भी लोगों को सोचने को मजबूर किया। और अधिकांश संसद सदस्यों को रह-रहकर एक ही बात का गम सतत रहा कि हम क्यों नहीं इस समिति के सदस्य हुए।

समिति ने 13 जून से 30 जून तक जिन देशों का दौरा किया उनके तथा जिन सदस्यों ने उसमें भाग लिया उनका विवरण दिया जा रहा है—

क्रम सं॰	सदस्य का नाम सर्वश्री	जिन देशों का दौरा किया गया
1.	नाथुराम मिर्धा	जर्मनी, यू॰एस॰ए, कनाड़ा तथा
2.	प्रो॰ रासा सिंह रावत	
3.	श्री रामपूजन पटेल	
4.	श्री चन्दुभाई देशमुख	
5.	श्री पी॰एम॰ सईद	
6.	प्रो॰ आई जी सनदी	
7.	बिष्णुकान्त शास्त्री	
8.	इकबाल सिंह	
9.	इर्श दत्त यादव	
10.	डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय	थाईलैंड, हांगकांग, चाइना,
11.	श्री राम बिलास पासवान	जापान, फिलीपिंस, इंडोनेशिया
12.	जगदीश प्रसाद माथुर	और सिंगापुर
13.	उदय प्रताप सिंह	
14.	चुन चुन प्रसाद यादव	
15.	श्री चौधरी हरमोहन सिंह	
16.	सैयद मसूदल हुसैन	
17.	श्री के॰ रामपूर्ति	
18.	श्री विजय कृष्ण हांडिक	
19.	श्री नन्दी एल्लैया	
20.	श्री शंकर दयाल सिंह	मोरिशस, साउथ अफ्रिका, कीनिया,
21.	श्री विजय कुमार यादव	यू॰के॰ स्वीटजरलैंड और फ्रांस
22.	श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षी रसागर	
23.	श्री परसराम भारद्वाज	
24.	श्री सत्य नारायण जटिया	
25.	श्री जी॰ स्वामीनाथन	
26.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	
27.	श्रीमती संतोष चौधरी	
28.	डा॰ (श्रीमती) चन्द्रकला पांडेय	

जाने से पूर्व संध्या में मैंने नवभारत टाइम्स में एक प्रति संपादकीय लिखा था जो 14 जून, 1995 को प्रति अग्रलेख केरू में निकला उससे अनेक शंकाओं तथा बेबुनियादी बातों का निराकरण होता है। उसे यहां अविकल दे रहा हूं—

"जब संसदीय राजभाषा समिति गठित हुई तभी से इसके खिलाफ एक लाबी सक्रिय रही है कि भला इस समिति का क्या काम था या है। कहा जा रहा है कि देश में प्रचार क्यों नहीं करते जो विदेश जा रहे हैं? सबसे पहले इस बात की जानकारी आवश्यक है कि समिति में हर दल के तथा हर प्रांत के लोग रहते है तथा इस कमेटी का कार्य स्थाई सा है, यह दो-चार माह की कमेटी नहीं है। फिर जिन कार्यों के निरीक्षण के लिए कमेटी बाहर जा रही है वह यहां से संभव नहीं है। सरकार के कार्यक्रम का ही यह एक हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि "विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए विशेष कार्यक्रम। समिति आगामी 31 मार्च, 1996 तक अपनी छठी अथवा अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देने जा रही है। वह तब तक अधूरी रहेगी जब तक स्वयं समिति उनका निरीक्षण नहीं कर लेती। विभिन्न कमेटियां विदेशों का दौरा आए दिन करती हैं, उनकी और कोई देखता भी नहीं, फिर राजभाषा जो किसी भी राष्ट्र की अस्मिता की पहचान है, उसके सदस्यों के बाहर जाने पर यदि कुछ लाख रुपये खर्च हो रहे हैं तो इस पर ऐसी बेचैनी क्यों? यह बेचैनी उन्हीं लोगों को है जो हिन्दी को पूर्णरुपेण राज्यभाषा होने देना नहीं चाहते और इसकी राह में तरह-तरह की बाधाएं खड़ी करते हैं। आज हिंदी की शक्ति उसका राजभाषा होना नहीं, वरन् उसका जनभाषा का वह रूप है, जिसे देखकर महात्मा गांधी ने उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। क्या आज इतने दिनों बाद भी व्यावहारिक रूप से संघ की राजभाषा हिंदी हिंदी है? क्या हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को जिस हिंदी को राजकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किया था तथा 26 जनवरी, 1950 से जो लागू किया गया, उसे राज-काज के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या यह सही नहीं कि सहभाषा के रूप में मात्र 15 वर्षों के लिए जिस अंग्रेजी को मान्यता दी गई थी, वही आज राजमुकुट पहन कर हमारे सिर पर विराजमान है? क्या यह सही नहीं है कि राष्ट्र की अस्मिता तथा सम्मान एक विदेशी भाषा के कारण आज तक हमारे लिए कलंक का विषय है? संविधान सभा ने अशोक चक्र युक्त तिरंगे को जब राष्ट्र ध्वज तथा "जन गण मन...." को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया तब तो यह नहीं कहा कि कुछ दिनों तक "यूनियन बैंक" ही रहे या "लौंग लिब द किंग" ही गाया जाए क्योंकि लोग परिचित नहीं हुए हैं। फिर राजभाषा के संबंध में 15 वर्षों तक छूट देना कहां तक उचित था? इन प्रश्नों के हल के लिए ही संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 141 के अंतर्गत किया गया, जो 1976 से कार्यरत है। इसमें लोकसभा से 20 तथा राज्य सभा से 10 सदस्य हैं तथा गृहमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इसमें दो राय नहीं है कि देश में इस समय राजभाषा के क्रियान्वयन की दृष्टि से यह सबसे

सशक्त और सर्वोच्च समिति है। इसलिए कि इसे निरीक्षण और परीक्षण का अधिकार प्राप्त है, जिसके कारण एक दहशत बनी रहती है। जिन कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि का निरीक्षण होता है, उनका माहौल देखने लायक होता है। जाड़ों में भी उनके अधिकारियों-पदाधिकारियों के माथे पर पसीना झलकने लगता है। यदि यह समिति न होती तो सरकारी कार्यालयों में रस्म अदायगी के तौर पर भी हिंदी का नामलेखा मिलना कठिन था। यही तथ्य दूतावासों और उच्चायोगों के बारे में भी सच है।"

संसदीय राजभाषा समिति का इतिहास और भूगोल अभी अधूरा ही रहेगा। इसकी छठी रिपोर्ट पेश होने तक गंगा का कितना पानी बहता है और रुकता है। यह देखते चलिए। बहरहाल इतना जरूर मान लीजिए कि गालिब का यह शेर यहां मौमं बैठता है—

"मन को बहलाने को
गालिब यह ख्याल अच्छा है"

संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा कहीं हम भी देश को बहला या फुसला तो नहीं रहे हैं। हिंदी जब देश की राजभाषा है, उसे जब संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसके साथ अधिनियम-नियम हैं। संकल्प और सरकारी अधिसूचनाएं हैं। धारा 3(3) तथा 10(4) और 8(4) का प्रावधान है एवं गृह मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम और राष्ट्रपति का आदेश है, फिर भी हिंदी है कहां? मात्र उन फाइलों तथा होठों पर ही तो नहीं जिनका वास्ता संसदीय राजभाषा समिति से है। इस प्रकार हम किसे छल रहे हैं—संविधान को? राष्ट्रपति जी को? राष्ट्र को? या अपने आपको?

सबके केन्द्र में है संसदीय राजभाषा समिति का यह होना, जो विगत 24-25 वर्षों से किसी वर्परिक के समान वृक्ष पर टंगा है जो न जी रहा और न मर रहा है। इसका कहां है आदि और कहां है अंत। फिर इतिहास तथा भूगोल एक भटकन के सिवा और कुछ नहीं है। कहां हम गांधी को कष्ट दें इस मौके पर, युर्नार मिर्डिल की सुप्रसिद्ध पुस्तक "एशियन ड्रामा" का एक पन्ना मेरे सामने खुल कर मेरे गालों पर अनगिनत तमाचे जड़ देता है, जिस पर लिखा है....."

"जब तक भारतीय संसद की भाषा अंग्रेजी रहेगी और संसद सदस्य अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे तब तक यह पारिभाषित होता रहेगा कि भारत गुलामी के चंगुल से पूर्णतया छूटा नहीं है।"

(शंकर दयाल सिंह)
15, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001

[सांसद तथा संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष माननीय श्री शंकर दयाल सिंह ने इसी शीर्षक श्रृंखला के अन्तर्गत एक और आलेख तैयार करके हमें भेजा है जिसे राजभाषा पुष्पमाला, अंक-89 (सितम्बर, 95) में प्रकाशित किया जा रहा है। इस लेख के अनुक्रम में पाठक उसे भी पढ़ना चाहें —सम्पादक]

■

□□□

हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिन्दी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो गाँधी अंग्रेजी नहीं जानता ।

महात्मा गाँधी

भारतीय भाषाओं की संजीवनी शक्ति और राष्ट्रीय ऊर्जा

–डॉ॰ पोलि विजय राघव रेड्डी,

इस बात को लेकर मैं अकसर सोच में पड़ जाता हूं कि स्वतंत्र देश के हम नागरिकों का कितना दुर्भाग्य है कि अभी हम अपनी भाषाओं की संजीवनी शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। अंग्रेजियत के भ्रमक जाल में फंसकर, अंग्रेजी के मोह में पड़कर अपनी भाषाओं की बलि चढ़ा रहे हैं। संतोष देने वाली बात यह है कि कुछ वर्ष पहले से हमने, खासकर हम हिन्दी-वालों ने (हिन्दी में काम करने वाले को चाहे वह कहीं का भी क्यों न हो और कोई भाषा बोलने वाला क्यों न हो, मैं उसे हिन्दीवाला माना हूं) केवल हिन्दी की बात न करते हुए उसके साथ सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर विचार करने का उपक्रम प्रारंभ किया है। यह स्वागत योग्य है और इसके अच्छे दूरगामी परिणाम निकलने के आसार हैं।

वैसे देखा जाए तो कोई भी भाषा अपने आप में शक्तिविहीन नहीं होती, कमज़ोर नहीं होती। अपने भाषायी समाज की हर आवश्यकता की पूर्ति करने का सामर्थ्य उस भाषा में विद्यमान रहता है। भाषायी समाज यदि भौतिक दृष्टि से विकसित, संपन्न या आधुनिक माना जाता है तो समझ लीजिए कि उस समाज की भाषा भी विकसित, संपन्न व आधुनिक मानी जाएगी। समाज जितनी अधिक मात्रा में अपनी भाषा का प्रयोग करता है, जितने अधिक क्षेत्रों में और जितने अधिक संदर्भों में अपनी भाषा को उपयोग में लाता है उतनी ही मात्रा में उन पर क्षेत्रों व संदर्भों में भाषा विकसित होती है।

भाषा अपने आप विकास की गति को प्राप्त नहीं करती। यह तर्क सरासर गलत और शरारत-पूर्ण है कि "हमारी भाषाएं विकसित नहीं हैं, पहले इन को विकसित होने दीजिए और बाद में इन का प्रयोग विविध क्षेत्रों में करेंगे और तब तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेंगे।" इस भ्रांत धारणा को अपने दिलों-दिमागों से निकालना होगा। यहां यह भी स्मरण रखने की बात है कि किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास उसकी अपनी भाषा के माध्यम से ही संभव है। इतिहास में ऐसे उदाहरण अब तक नहीं है कि किसी समाज या राष्ट्र ने अपनी भाषा को छोड़ किसी परायी भाषा के ज़रिए अपनी जनता की उन्नति करा पाया हो। लगता है कि हमारे लोग नया इतिहास बनाना चाहते हैं या फिर इतिहास की गति को उलट देना चाहते हैं।

बहुत बड़ी साज़िश के तहत हममें यह भ्रम फैला दिया गया है कि हमारी भाषाएं आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के माध्यम बनने का सामर्थ्य नहीं रखतीं और हिन्दुस्तान के लिए अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है जिस के द्वारा सारा आधुनिक ज्ञान विज्ञान हासिल किया जा सकता है। अंग्रेजी जानने वाला ही आधुनिक व सभ्य है। और अंग्रेजी से ही देश में एकता बनी रहेगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बना दी गयी जिससे हम अपनी भाषाओं से वंचित रहे, अपनी भाषाओं की संजीवनी शक्ति से अनभिज्ञ रहें, अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा को न पहचान पाएं, अपनी भाव्य साहित्य, सांस्कृतिक परंपराओं से कटे रहें, हम अपनी भारतीयता को भूल जाए और अपने इतिहास को ही भूल जाएं। अंग्रेजी के माध्यम से जो भी विचार हिन्दुस्तान में आए उसे ही प्रमाणिक मानें व स्वीकार्य योग्य समझें, और देशीय-विचार, देशीय-चिंतन और देशीय-वस्तु को दक़ियनूसी समझें।

पश्चात्य देशों की संस्कृति को "प्रगतिपरक और हमारी संस्कृति को "अभिव्यक्ति परक" की संज्ञा देकर यह बताया जाता है कि हमारे यहां धर्म, दर्शन, सौंदर्य और साहित्य की चेतना की प्रमुखता है और इसलिए इन विषयों से संबंधित अधिक वाङमय और अधिक शब्दावली हमारी भाषाओं, में हैं, जब कि पाश्चात्य देशों में भारतीयों के लिए पाश्चात्य देश और पाश्चात्य भाषा का बहुधा तात्पर्य है, अंग्रेजी मुल्क और अंग्रेजी भौतिक प्रगति से संबंधित आधुनिक ज्ञान विज्ञान के तमाम शास्त्रों का विकास हुआ है और इसलिए अंग्रेजी में इन शास्त्रों से संबंधित विपुल वाङ्मय उपलब्ध है। यदि प्रगति को हमें हासिल करना है तो इन शास्त्रों से परिचित होना है और इन शास्त्रों का ज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से ही संभव है। प्राचीन भारत में इन शास्त्रों का वास्तव में विकास हुआ था। इन शास्त्रों से संबंधित विपुल वाङमय हमारी प्राचीन भाषाओं में—संस्कृत, पालि, पाकृत, अपभ्रंश और तमिल भाषाओं में उपलब्ध है। लेकिन हमें अपनी इन प्राचीन भाषाओं के अध्ययन से वंचित रखा गया, या हम ही स्वयमेव अज्ञानता के कारण इन से कट गये। वास्तव में हम अपनी भव्य परंपरा से कटे हुए हैं। लेकिन हमारी इन प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध प्राचीन शास्त्रों का अधिक दोहन पश्चात्य देशों में हो रहा है और पाश्चात्य देश इन से भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

इन प्राचीन भाषाओं से विकसित हमारी वर्तमान आधुनिक भारतीय भाषाओं को भी वे सारे गुण लक्ष्ण, प्रवृत्तियां व सामर्थ्य विरासत में प्राप्त हुए हैं। अंग्रेज राज स्थापना से पहले तक ये सारी भाषाएं अपने-अपने इलाकों में संबंधित भाषायी समाज की समस्त आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करती रहीं और संपर्क भाषा के रूप में मध्य देश की भाषा पहले संस्कृत और बाद में क्रमशः पाली, प्राकृत और अपभ्रंश कार्य करती रही। संपर्क भाषा के विकास, प्रचार में सभी इलाकों के सभी भाषाओं के लोग योग देते रहे हैं। तमिल भाषी लोग इसके अपवाद नहीं रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों की तुलना में तमिल प्रांत के लोगों का इसमें अधिक योगदान के प्रमाण मिलते हैं। नवीन शोध से यह पता लगा कि

तमिल भाषी अन्य देश वासियों व विदेशियों से संपर्क के लिए संस्कृत का प्रयोग करते थे।

तमिल व्यापारी चीनी और जापानी व्यापारियों से तथा अन्य दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों के व्यापारियों से अपना व्यवहार संस्कृत के ही माध्यम से किया करते थे। लगभग सभी भारतीय भाषाओं का मुख्य स्रोत संस्कृत शब्द संपदा है। बताया जाता है कि संस्कृत में मूल धातु 1700 हैं, जिन्हें 70 प्रत्यय तथा 80 उपसर्ग जोड़ने से जो शब्द संख्या उभरती है वह है 27,20,000 संयुक्त शब्द और वह भी मात्र दो शब्दों से बनने वाले जोड़ दें तो 769 करोड़ शब्द बनते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि समस्त भारतीय भाषाओं ने अपनी आवश्यकता के अनुसार संस्कृत की इस अपार शब्द-संपदा से लाभ उठाया है। भारत की भाषाएं ही नहीं अपितु बृहत्तर भारत के अंग माने जानेवाले दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों की भाषाएं भी संस्कृत की ऋणी हैं।

सार्वजनिक जन संपर्क भाषा के क्रम में वर्तमान समय में हिन्दुस्तानी संपर्क भाषा के रूप में काम में आ रही हैं। यही संपर्क भाषा हिन्दी और उर्दू के नाम से भी जानी पहचानी जाती है। इस संपर्क भाषा हिन्दी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए अज्ञेय जी कहते हैं" हिन्दी अपने आरंभ से ही प्रतिष्ठान के विरोध की भाषा रही है। न कभी प्रतिष्ठान को उस ने अपनाया, न उसे कभी यह सोचने का कोई कारण या आधार मिला कि वह प्रतिष्ठान के साथ संयुक्त है या हो सकती है। इस विरोध की भावना ने उसे एक विलक्षण आत्म-विश्वास दिया, एक गहरे धार्मिक संस्कार के बीच भी लौकिक जन मात्र के महत्व का बोध कराया। प्रतिष्ठान विरोध अपनी मूल प्रवृत्ति का निर्वाह करते हुए हिन्दी दूसरी ओर परंपरा का संवहन करने वाली भाषा भी बनी रही। अपने स्वभाव और अपनी प्रादेशिक स्थिति के कारण हिन्दी में निरंतर एक सांस्कृतिक केन्द्रोन्मुखता रही जिसके कारण भारत भर में होनेवाली सांस्कृतिक विकास को और चिंतन की नयी प्रवृत्तियों को उसने ग्रहण किया और फिर समस्त देश में वितरित किया। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के प्रभाव हिन्दी ने ब्रज मंडल में ग्रहण किये और फिर सुदूर असम तक वितरित कर दिये। इसी प्रकार बंगाल और नेपाल से सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को ग्रहण करके उसने सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। सही अर्थों में हिन्दी एक "सांस्कृतिक क्लियरिंग" हाउस का काम करती रही। इस प्रकार हिन्दी उन दिनों में ब्रज मंडल से बाहर सारे देश में सम्मान पाती थी। और इस का कारण यह नहीं कि ब्रज मंडल का कोई समर्थ और शक्तिशाली राज्य था जिस के दब-दबे के कारण दूसरे राज्य उस की भाषा को सम्मान देते हो। कारण यह था कि हिन्दी भारतीय संस्कृति की समग्रता की वाणी भीं थी। भारतीय चेतना के प्रसार में योग देती थी और भारतीय प्रतिभा की उपलब्धियों को सारे देश से संग्रह करके सारे देश में वितरित करती थी।" असम के ब्रजबुली साहित्य में और केरल के राजा स्वातितिरूणाल के गीतों में जो भाषा प्रयुक्त है वह ब्रज भाषा ही है। आन्ध्र प्रदेश की एक पुरानी रियासत "वेंकटगिरि" में अभी हाल ही में ब्रज भाषा में एक पांडुलिपि मिली है जिसकी लिपि तेलुगु है। इस में ब्रज भूमि की चौरासी कोस की यात्रा का क्रमबद्ध वर्णन है। इस पांडुलिपि का संबंध संवत् 1600 से माना जाता है।

आठ खंडों में प्रकाशित तेलुगु शब्द कोश सूर्यरायान्ध्र निघण्टुवु के आठवें खंड में "संजीवनी" का अर्थ दिया हुआ है "कलसिब्रतुकुट" अर्थात् साथ मिलकर जने का गुण। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह अर्थ सटीक बैठता है क्योंकि अनंत काल से हमारी देश की भाषाएं बिना किसी संघर्ष के एक दूसरे को परिपुष्ट और संपुष्ट करती हुई साथ-साथ मिलकर विकसित और समृद्ध होती गयी हैं। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद अंग्रेजी के कारण उपेक्षित पड़ी हुई हमारी भाषाओं की इस संजीवनी शक्ति का सही इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। और इस तरह हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा बेकार पड़ी हुई है।

अंग्रेज राज्य की स्थापना के बाद भी भारतीय भाषाओं को उचित दाय दिलाने के लिए आंदोलन होते रहे हैं। 1920 से अर्थात् राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भाषावार पुनर्गठन से लेकर 1956 तक अर्थात् राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारसों को अमल में लाने तक भाषावार राज्य रचना के लिए जो प्रयास किये गये थे, इन के पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि भारतीय भाषाओं की संजीवनी शक्ति से प्रत्येक राज्य और संपूर्ण राष्ट्र फायदा उठाये। हर साल हम 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाते हैं क्योंकि 14-9-1949 को संविधान सभा ने संघ की राज भाषा हिन्दी से संबंधित अनुच्छेद 343 पारित किया। वास्तव में देखा जाए तो 14 सितम्बर का दिन आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास संबंधी संघर्ष के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। इस ऐतिहासिक घटना की ओर में आप का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। यह घटना संविधान सभा के द्वारा अनुच्छेद 343 के पारित करने के दिन (14-9-1949) से ठीक 102 साल पहले अर्थात् 14-9-1847 से संबंधित है। यह घटना सुदूर उत्तर पूर्वांचल में घटित हुई है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना से पहले ही देश में राष्ट्रीय भावना जाग उठी थी। इतना ही नहीं, भाषा के मसले को लेकर भाषायी अस्मिता और भाषायी अनुरक्षण को लेकर भी सारे देश में आंदोलन भड़क उठे थे। सन् 1836 में अंग्रेज सरकार ने कचहरि और स्कूलों में असमीया भाषा को हटाने के आदेश जारी करने से उस के विरोध में असम की जनता ने भारी आंदोलन किया। भाषा को लेकर भारत में उठ खड़े हुए आंदोलनों में यह प्रथम आंदोलन है जिस में परवर्ती भाषावार राज्य रचना के आंदोलन की जागृति बीज रूप में छिपी हुई थी। अंग्रेज सरकार को इस समस्या के हल ढूंढने के लिए जस्टिस मिल के आयोग का गठन करना पड़ा। सुखद संयोग की बात है कि जस्टिस मिल ने असमीया भाषा का पक्ष लेते हुए उसे राजकाज, स्कूलों व कचहरियों की भाषा बनाने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट 14-9-1847 को ही सरकार को प्रस्तुत की। इस नाते भी 14 सितम्बर हमारे लिए स्मरणीय दिन है, गौरव का दिन है। अपनी भाषाओं को पुनः प्रतिष्ठित करने की प्रेरण लेने का दिन है।

महात्मा गांधी जी ने न केवल हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी के बारे में अपने विचार प्रकट किये अपितु समस्त भारतीय भाषाओं पर भी अपने बहुमूल्य अभिमत व्यक्त किये थे। कम से कम गांधी जी के 125 वें जन्म जयंती वर्ष के दौरान भारतीय भाषाओं पर गांधी जी ने जो विचार व्यक्त किये उन सब को एकत्रित कर उन का प्रचार और प्रसार कर सकेंगे, उनके सही मायनों में समझ और समझा सकेंगे तो मैं समझता हूं भारतीय भाषाओं की वर्तमान दयनीय व दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से उन्हें उबार सकते हैं। संयोग की बात है कि युनेस्को ने इस वर्ष को सहिष्णुता वर्ष के रूप में घोषित किया है और गांधीवाद और विश्व मानवता के आपसी संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा देश में जगह-जगह पर अनेक सम्मेलन, व्याख्यान आदि का आयोजन किया जा रहा है और गांधी जी के विचारों का प्रचार किया जा रहा है। इस अवसर का फायदा उठा कर राष्ट्र भाषा, भारतीय भाषाओं पर

गांधी जी की चिंतन धारा के विपुल प्रचार के साथ उन्होंने भारतीय भाषाओं की संजीवनी शक्ति एवं राष्ट्रीय ऊर्जा पर जगह-जगह व समय-समय पर जो सुनिश्चित विचार व्यक्त किये थे, उन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार भी हमें करना है।

अंत में गांधी जी के उन सुचिंत्य विचारों में से दो उद्धरण यहां देकर मैं इस आलेख को समाप्त करना चाहूंगा।

"देश के नौजवानों पर एक विदेशी माध्यम थोप देने से उन की प्रतिभा कुंठित हो रही है और इतिहास में इसे विदेशी शासन की बुराइयों में से सब से बड़ी बुराई मानी जाएगी। इसलिए शिक्षित भारतीय अपने आप को विदेशी माध्यम के इस व्यामोह से जितनी जल्दी मुक्त कर लेंगे, हिन्दी और देशी भाषाओं को अपना लेंगे, उतना ही अच्छा होगा।"

=यंग इंडिया: 5-7-1928 से

"हमारे भविष्य के प्रेसिडेन्ट को अंग्रेजी जानने की आवश्यकता नहीं होगी। उन की मदद के लिए ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो सियासत में होशियार होंगे और विदेशी भाषाऐं भी जानते होंगे।"

— प्रार्थना प्रवचन: 2-7-1947 — से

"यदि हम अंग्रेजी के आदि नहीं हो गए होते, तो यह समझने में हमें देर नहीं लगती कि अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम होने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कट कर दूर हो गई है, हम अपनी जनता से अलग हो गए हैं, जाति के सर्वश्रेष्ठ विभागों का विकास रुक गया है और जो विचार हमें अंग्रेजी के माध्यम से मिले, उन्हें हम जनता में फैलाने में नाकामयाब रहे हैं। पिछले साठ वर्षों से हमने विचित्र-विचित्र शब्दों को केवल रटना सीखा है, तथ्यपूर्ण ज्ञान पचाने के बदले हमने शब्दों का उच्चारण सीखा है। जो विरासत में हमें अपने बाप-दादों से हासिल हुई, उसके आधार पर नव-निर्माण करने के बदले, हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में नहीं है। यह तो राष्ट्रीय शोक अथवा ट्रेजेडी का विषय है। आज की पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़ें और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। हमें अपनी सभी प्रादेशिक कार्रवाईयां अपनी-अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए तथा हमारी राष्ट्रीय कार्रवाईयों की भाषा हिन्दी होनी चाहिए।"

— महात्मा गांधी
कलकत्ता, 27 दिसम्बर, 1917

पुरानी यादें

स्मृति

पतन गाथा का नायक : कवि रमेश गौड़

—शैलेन्द्र श्रीवास्तव

अलीगढ़ जनपद के गांव मौर में जन्मे कवि रमेश गौड़ सातवें-आठवें दशक में सर्वाधिक चर्चित कवियों में गिने जाते रहे हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एम०ए० हिन्दी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। यहीं से उन्होंने भाषा विज्ञान में डिग्री प्राप्त की थी। पढ़ाई के उपरान्त वह कुछ दिनों तक हिन्दी विभाग में 'रिसर्च एसिस्टेंट' के पद पर कार्यरत रहे। बाद में डा० भगेन्द्र से मतभेद उत्पन्न होने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में भी कुछ समय तक कार्य किया। बाद में वह 'इन्फा' फीचर ऐजन्सी में सम्पादक पद पर कार्य किया। सन् 77 में नवभारत टाइम्स में पत्रकार के पद पर वह नियुक्त हुए। 18 वर्षों तक वह इस समाचार पत्र से जुड़े रहे। 58 वर्ष की आयु में उन्होंने अस्वस्थता के कारण अवकाश ग्रहण किया। इसके तीन-चार माह उपरांत ही ब्रेन ट्यूमर से अचानक उनका निधन (26 मई, 1985) हो गया।

रमेश गौड़ से मेरी पहली मुलाकात सन्-74 में टी हाऊस में हुई थी। और उसके बाद लगभग हर रोज वह टी-हाऊस में मिलते थे। उन दिनों काफी-हाउस और टी-हाउस में साहित्यकारों का जमघट रहता था। लोग अलग-अलग ग्रुप में भी बैठते और कई बार कई गुट एक साथ सोफे पर बैठे साहित्य और राजनीति पर चर्चा करते। मैं अकसर रमेश गौड़ के टेबुल पर ही बैठता। हम टेबुल पर अधिकतर बैठने वाले मित्र साहित्यकार मुद्रा राक्षस, सौमित्र मोहन, गौरी शंकर कपूर और बलराज मेनरा हुआ करते थे। वरिष्ठ साहित्यकार विष्णु प्रभाकर नित्य टी-हाउस में बैठने वाले होते थे। उनके पास बैठकर भी अक्सर मैं उनकी बातें सुनता। रोज-रोज मिलने के कारण रमेश गौड़ से हमारे संबंध आत्मीय होते गये। उम्र में बड़े होने के कारण मैं उन्हें बड़ा भाई मानता था। रमेश गौड़ उन दिनों टी-हाऊस में कुछ अपनी विशेष तौर-तरीके के कारण आर्कषण के केन्द्र बने रहते थे। उनके प्रति मेरे मन में हमेशा आदर भाव ही रहा है, और उनसे भी मुझे हमेशा छोटे भाई जैसा स्नेह मिला है। धीरे-धीरे हम दोनों सिर्फ काफी हाऊस में ही नहीं, कई-कई दिन तक हर वक्त साथ रहते। कनाट प्लेस में मटर गश्ती करने में जिस दिन दस-ग्यारह बज जाते मैं उनके साथ माडल टाउन चला जाता और उनके घर रात्रि गुजारकर सुबह अपने कार्यालय पहुंचता। दो बजे वह 'इन्फा' में पहुंचते थे। वहां भी मैं अक्सर पहुंच जाता था। मेरे दो प्रारंभिक लेख इन्फा की चार एजेंसी के माध्यम से ही विभिन्न समाचार पत्रों में छपे थे। पहला लेख — 'पहले कृष्णा हुए थे अथवा राम' और दूसरा — 'महाभारतः कितना काल्पनिक कितना सच' था। यह दोनों लेख डा० बी० बी० लाल (पुरातत्वविद्) के उस बयान के विरोध में था जिसमें उन्होंने कहा था कृष्ण का समय अयोध्या के राम से पहले का है। डा० लाल उन दिनों अयोध्या में राम जन्म भूमि टीले (बाबरी मस्जिद से सटे) की खुदाई करा रहे थे, तभी यह बयान दिया था।

साहित्य की दुनियां में रमे अनेक समकालीन और बुर्जुग साहित्कारों से मेरा परिचय अग्रज रमेश गौड़ के माध्यम से ही हुआ था। वह कहीं साक्षात्कार लेने अथवा रेडियो स्टेशन कविता पढ़ने जाते तो अक्सर मैं भी उनके साथ होता था। दो तीन बड़े कवि सम्मेलनों में मंच से कविता पढ़ने का अवसर भी उनके कारण ही मुझे मिला। इस कारण मंच के चर्चित कवियों—शैल चर्तुवेदी, सोम ठाकुर, रमानाथ अवस्थी, नीरज, राम अवतार त्यागी आदि अनेक कवियों से परिचय हुआ था। बाद में रमेश गौड़ कवि सम्मेलनों में बहुत कम जाने लगे तो मेरी रूचि भी मंच से कविता पढ़ने की धीरे-धीरे समाप्त हो गई। यह आपात्काल का समय था।

आपात्काल लगने के साथ ही रमेश गौड़ की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होने लगी। इस स्थिति से उबरने के लिए उन्होंने साप्ताहिक हिन्दुस्तान के लिए 'साहित्य में सन्नाटा' शीर्षक के अन्तर्गत शीर्षस्थ तथा समकालीन 'साहित्यकारों से साक्षात्कार (इन्टरव्यू) किया। वह साक्षात्कार लेने के लिए कहीं भी जाते तो मुझे भी साथ ले जाते। उनके ही कारण मैंने पहली बार डा० हरिवंश राय बच्चन और भवानी भाई के दर्शन किये और साक्षात्कार में हिस्सा लिया था।

आपात्काल के दौरान ही रमेश गौड़ राज रोग टी०वी० के मरीज हुए और छह माह तक किंग-वे-कैम्प के टी०वी० अस्पताल में कैद रहे। उनके बीमारी के दौरान मैं नियम से हर मंगलवार उनको अस्पताल में देखने जाता और दो-तीन घन्टे बैठकर उनसे बातचीत करता था। अस्पताल में रमेश गौड़ अपने व्यवहार के कारण नर्सों व डाक्टरों के प्रिय बन गये। मुझे याद है कि रमेश गौड़ छः माह पश्चात् अस्पताल से जिस दिन मुक्त हुए थे उस दिन वहां की नर्सों ने उन्हें बहुत श्रद्धा से भावभीनी विदाई दी थी। यह रमेश गौड़ का ही व्यक्तित्व था कि वह चाहे साहित्यकारों के बीच में रहते अथवा गैर-साहित्यिक लोगों के बीच में, लोग उनके व्यक्तित्व के आकर्षण में खिचें रहते थे। ऐसे गुण मैंने बहुत कम ही लोगों में देखें हैं। उनमें एक यह भी गुण विशेष था कि वह अपने हर मित्र, परिचित तथा सहकर्मी की हर संभव सहायता भी करते थे। ऐसे कई संस्मरण हैं जिनका विवरण देना मैं यहां जरुरी नहीं समझता हूं।

अपने लम्बे परिचय के दौरान जैसा कि मैंने उन्हें जाना, उसका सार यह है कि यह मित्रों के मित्र थे। मित्रता में उन्होंने छोटे-बड़े साहित्यकार में कभी भेद नहीं किया। उनसे मिलने पर अपनापन लगता था। उस दौर में अनेक साहित्यकार बन्धुओं के साथ भी मेरे संबंध अच्छे बने रहे किन्तु जैसी घनिष्टता मेरी उनसे रही वह अन्य किसी के साथ नहीं बन सकी। वह जिस तरह बिना किसी स्वार्थ के दोस्तों से निश्छल दोस्ती निभाते थे उस तरह अन्य मित्र नहीं निभाते थे। रमेश गौड़ की तरह बिना लाग-लपेट के साहित्य की चर्चा करने वाले साहित्यिक मित्र तब भी नहीं थे और आज तो इस बिन्दु पर बात करना भी बेमानी लगता है। इतना सब होते हुए रमेश गौड़ की आलोचना करने वाले उन दिनों भी कम नहीं थे उनकी आलोचना में मुझे तब यह महसूस होता था कि रमेश गौड़ कई मायने में अक्खड़ किस्म भी थे। किसी की झूठी तारीफ नहीं करते थे, शायद इसलिए लेखन में कवि, कहानीकार द्वेष भाव में उनकी आलोचना करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि रमेश गौड़ में कमियां नहीं थीं। खामियां थी, लेकिन इस हद तक नहीं कि लोग उनके लेखन को ही नकार दें जैसा कि उनके साथ हुआ। दरअसल, रमेश गौड़ तमाम कमियों-खूबियों के बावजूद अपने समय के श्रेष्ठ कवि थे। वह अपने विचारों में स्पष्ट थे। वे जैसा सोचते थे, जैसा व्यवहार करते थे और जैसी जिन्दगी उन्होंने जिया वह सब उनके लेखन में उसी तरह मौजूद है बिना किसी आवरण के।

समाजवादी विचारों से प्रभावित रमेश गौड़ भी तो अकविता के दौर के कवि माने जाते हैं। लेकिन अकवितावादियों की तरह उन्होंने कविता में अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उनकी कविताओं में ओज है, विरोध है और प्रगतिशील सोच भी है। इसके साथ ही कविताओं में स्वयं कवि की कमियां और मजबूरियां भी ईमानदारी से मौजूद हैं। पद्म लेखन से उन्हें परहेज था शायद इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रगतिशील 'शो' करने के लिए औरों की तरह उन्होंने झण्डाबहार कवितायें नहीं लिखीं। वह एक मायने में जनपक्ष की कवितायें लिखते थे जिसमें व्यवस्था के प्रति सार्थक विरोध भी दर्ज रहता है।

रमेश गौड़ ने जो कुछ लिखा वह पुस्तक के रूप में नहीं आ सका तो इसका कारण महज यह है कि उन्होंने कविताओं को पुस्तक के रूप में छपवाने में वैसी रूचि नहीं दिखलाई जैसी आमतौर पर साहित्यकार बंधु दिखलाते हैं और देर-सवेर किसी भी तरह अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने में सफल हो जाते हैं। आज ले-देकर उनकी मात्र एक पुस्तक 'पतनगाथा' है जो सन् 82 के 'प्रवीण प्रकाशन' से छपी थी।

'पतनगाथा' एक लम्बी कविता है जिसमें कवि ने आजादी के पूर्व अपने जन्म स्थल "मौर" गांव (जिला अलीगढ़) से कविता प्रारंभ कर सन् 82 तक अपनी राजनीतिक सोच की यात्रा को पूर्ण विराम दिया है। मैं इस लम्बी कविता और एक दो अन्य कविता के आधार पर उनके कृतित्व पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

रमेश गौड़ का मानना है कि खरगोश की तरह चौकड़ी भर छलांग लगाने वाले साहित्यकार बन्धु लेखन के दौड़ में अन्ततः कछुये जैसी धीमी गति में निरंतर लिखने (चलने) वाले साहित्यकारों से पीछड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही पतन गाथा के पूर्व कथन में व्यक्त किया है रमेश गौड़ ने उनकी यह धारणा वह एक यूनानी फिलासफर (489 ई०पू.) जेनो की मान्यता के अनुरूप है।

—यह मेरी मात्र धारणा ही नहीं/अडिग मान्यता है कि जिस वक्त खरगोश और कछुए की दौड़ तय हुई थी। उसी वक्त। नहीं, उससे बहुत पहले ही, खरगोश की पराजय सुनिश्चित हो गयी थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह जागता या सोता, विजयी हर हालत में कछुआ ही होता।

'पतनगाथा' का चैतन्य कवि ने इस लम्बी कविता में गांव, नगर, महानगर में हो रही तब्दीलियों को वैचारिक स्तर पर रेखांकित किया है, कुछ साख बिन्दुओं पर उन्होंने विरोध प्रकट किया है। शहर की तारकोली-कंकरीटी सड़कों पर पांव झुलसते पर उसे अपने बचपन के गांव का वह बेरी का पेड़ याद आता है—स्कूल से लौटते वक्त पांव जलने पर अक्सर जिसके नीचे बैठकर वह अपने तलवों में आक के पत्ते बांध लेता था।

गांव में नंगे पांव स्कूल आने-जाने का ख्याल हमें रमेश गौड़ के निम्न मध्यवर्गीय आर्थिक स्थिति का बोध कराती हैं। सन् 80-81 में 30-35 वर्ष पहले गांव में जिया अपना बचपन याद रखना इस बात का द्योतक है कि रमेश गौड़ अपने अतीत को महानगर की चकाचौंध में भुलाया नहीं। वह अपने गांव के हर चेहरे को, हर रिश्ते को याद करते हुए सोचते हैं कि 20 वर्ष पहले काका, भैया और भाईजान का पहले जैसा पारवारिक रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। वह लिखते हैं—बहुत कुछ बदल गया है अब गांव में, बस एक शख्स था। जो पारवारिक रिश्तों में ऊपर था। सबके साथ उसका बस एक नाता था। और सबके लिए बस एक ही नाम—जमींदार।

आजादी के बाद जमींदार सिर्फ उनके गांव में ही नहीं, देश के सभी गांवों में खदेड़ दिया गया। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बदनाम जमींदार आजादी के बाद शहर, महानगर में दूसरे रूप में देखने को मिला। गांव का यह शोषक मिल-कारखानों के मालिकों के रूप में कामगार वर्ग का शोषण करता है। रमेश गौड़ अपनी पैनी दृष्टि इस नव-शोषक वर्ग पर बराबर रखे हुए है। 'पतनगाथा' में नव-शोषक वर्ग का वर्ग के चेहरे से बार-बार नकाब उतारने का है रमेश गौड़ |

'पतनगाथा' के कवि साम्प्रदायिक सद्भाव के माहौल में गुजारा बचपन याद है। हमें याद है कि गांव में अशरफ की अम्मी को वह सलाम करता था। और अशरफ मेरी अम्मा को 'राम-राम' कहता था। ग्रामीण परिवेश में लोग पहले आपस में रिश्ते बनाकर पूरे गांव को एक पारवारिक धागे में बांध देते थे। लेकिन यह रिश्तों का धागा आजादी मिलने के साथ दिल्ली की सड़कों पर अचानक टूट गया। हिंसा का तोड़ व पतनगाथा के कवि ने अपनी आंखों से देखा। जिसे संवेदना की स्याही से वक्त के कागज पर उसने दर्ज कर दिया

—नक्शे पर खींची कोई एक लकीर। जमीन ही नहीं, जमीर के भी टुकड़े कर देती है। घोल देती है हवा में जहर। कोख में पत्थर रख देती है।

* * * *

—मस्जिदों के बचे-खुचे गुम्मद मीनारें, मंदिरों के स्वर्ण कलश, गुरूद्वारों के गगनचुम्बी निशान, और गिरजाघरों के पवित्र क्रॉस, शर्म से अपने आप ढह गये थे।

भारत-पाक बंटवारे के दौरान हिंसा का तांडव दिल्ली में नहीं देश के अनेक हिस्सों में हुआ। इस अचानक दौर से गुजरा कोई संवेदनशील प्राणी

भला कैसे भुला सकता है। रमेश गौड़ ने बहुत थोड़े शब्दों में इनका इजहार किया है।

—कभी गोलियों को छातियों पर, झेलने पर, झेलने वाले जुलूसों में शामिल रहे लोगों ने, जब नंगी औरतों के जुलूस निकाले थे। काटे हुए स्तन हवाओं में, और सिर मेजों पर उछाले थे।

पहले ही बहुत छोटा हो चुका आसमान जिस रोज़। तीन और टुकड़ों में बांटा गया था। नौजवानों को गाजर-मूलियों की तरह काटा गया था। रहीम ने साथ-साथ खेले-पले, बढ़े-पढ़े राम का गला रेता था, कृष्ण ने करीम का झटका दिया था।

रमेश गौड़ ने आजादी के बाद देश, गांव के वातावरण पर बहुत सटीक बयान किया है इस लम्बी कविता में गांव का चरित्र भी बड़ी तेजी से बदलने लगा। जिस गांव के लोग पहले अपने गांव की बेटी की सुसराल के गांव में भी कभी पानी नहीं पीते थे, अब गांव के लोग वैसे नहीं रहे। वह गांव जिसे मैं जानता था, अब कहीं हैं ही नहीं। हां, एक जहरवाद जरूर है। जो शहर से लेकर गांव की शिराओं तक फैला है। गांव में भी अब शहरों की तरह ही ऊपर सब उजला-ही-उजला है। नीचे सब मैला है।

शहर में रहते पतनगाथा के नायक को बार-बार वह शख्स दिखाई दे जाता है जिसके आते ही उनका गांव श्मशान बन जाता था। यहां उनकी (उस जमींदार की) न जाने कितनी बहुमंजिला इमारतें थीं, न जाने किन-किन चीज़ के कितने व्यापार थे। खुले-ढके बंज-त्यौहार थे, कल-कारखाने-कारोबार थे।

शहर आकर कवि महसूस करता है कि पहली बार कि "मैं सिर्फ हिन्दू हूं। कि मैं सिर्फ ब्राह्मण हूं। कि मैं सिर्फ यू०पी० वाला हूं। कि मैं एक जन हूं।— और जब तक मैं महज जन हूं। तब तक जनतंत्र की भट्टी के लिए, सिर्फ ईंधन हूं। पहली बार ही पता चला यह भी कि गाय या सुअर के मांस का एक टुकड़ा। समूचे शहर को जलाकर राख कर देने और असंख्य स्त्री-पुरुषों को बलि-पशुओं में परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखता है।

आजादी के बाद गांव, शहर, महानगर की इस स्थिति से उपजे यथार्थ से सभी भली भांति परिचित हैं। रमेश गौड़ ने जो खाका शहर, गांव के वातावरण का खींचा, उसमें कोई व्यक्ति सुरक्षित कैसे रह सकता है।

देश में आई इस नकली आजादी के खिलाफ देश भर में युवकों का आक्रोश फूट पड़ा। नक्सलवाड़ी जलने लगा। मजदूरों के वर्ग अपनी बेहतरी के लिए हड़ताल करने लगा। लेकिन, इन सबसे अलग एक वर्ग यानी कवि, कलाकार, सिपाही, संगीतकार, इंजीनियर, डाक्टर, पत्रकार, देश की अजमत के रखवाले, आजादी के पहरेदार-यानी—कल कुछ भी बन सकने की क्षमता रखने वाले दूध मुंहे नौनिहाल गटरों में पड़े थे।

इस वर्ग में रमेश गौड़ भी आते हैं। वह भी इन स्थितियों से लड़ने के बजाय तमाम बुद्धिजीवियों की तरह तटस्थ रहते हैं। वह इस समय भी तटस्थ है जब देश की राजगद्दी पर एक जिद्दी औरत अपने बिगड़े नवाबजादे के लिए सपने बुन रही थी।

रमेश गौड़ अपने इस तटस्थता को पतन की शुरूआत मानते हैं।— देखते-देखते शब्दों के अर्थ बदल जाना प्रामाणिक लगने लगा। मसलन, समाजवाद का अर्थ परिवारवाद हो गया। और गरीबी हटाओ का, अपनी, और सिर्फ अपनी गरीबी मिटाना।

आपात्काल बुद्धिजीवियों के इम्तहान का काल था। लेकिन उस वक्त बुद्धिजीवियों का एक तबका अपने गोट भिड़ाने में लगा था। हां, कुछ लोग जरूर गोट भिड़ाने की जगह लड़ रहे थे जिन्हें मुठभेड़ के नाम पर पेड़ों में बांध गोलियों से उड़ा दिया गया था। कुछ लोग इसे भी भुनाने में नहीं चुके। उन्होंने वे नौजवान लाशें भी सिक्कों सी उछाली और उनके बल पर अपनी-अपनी कुर्सियां जमा लीं। और फिर कुर्सियों पर पसर कर फरमान जारी किया—

मेरा नाम। तेरा नाम। विएत नाम! विएतनाम।

यह एक नारा था जिसे बन्दूक की नोक से आती है आजादी पर विश्वास करने वाले क्रांतिकारी नौजवानों ने दिया था।

रमेश गौड़ ने इन ऊंची बोल वाले नौजवानों की फिलासिफी पर भी संदेह व्यक्त किया है। वह उनको भी आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं—

—इस तरह सत्ता और विरोध। दोनों ही पक्षों को रास आने लगी मुठभेड़े। मसला बस एक था। कौन जमा करता है कितनी भेड़े।

जाहिर है अतिवादिता रमेश गौड़ को बेमानी लगती थी। सत्ता और विपक्ष में अविवादिता का बोल बाला था। यह वक्त था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री गद्दी छिन जाने के भय से पगला उठी थीं और अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए आपात्कालीन की घोषणा कर दी थी।

बन्दूक की नोंक से असल आजादी के सपने बुनने वाले लोग अचानक भूमिगत हो गये। काफी हाउस में क्रांति का पत्ताका फहराने वाले साहित्यकार एकाएक अपने-अपने बिलों में दुबक गये। थोड़े दिनों बाद कुछ ने तो पाल्हा ही बदल लिया। वे अजीबो-गरीब तर्क गढ़ने लगे। परंतु पतन गाथा का कवि ईमानदारी से स्वीकार करता है कि वह आपात्काल में तटस्थ था। किंतु उसकी यह तटस्थता आपात्काल के विरोध के पाल्हे में ही रही थी। पतनगाथा की ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं—

—जनतंत्र/देखते-देखते/परिजनतंत्र

और अनुशासन पर्व अधिनायक तंत्र हो गया।— और मैं तटस्थ। तिरंगे के रंग तो वही रहे। लेकिन उसे फहराने वाले एक ही दिन में मौके के मुताबिक कई-कई रंग बदलने लगे। गिरगिटों को शर्मिन्दा करने लगे। अपने ही हाथ एक-दूसरे को छलने लगे। हुक्मरानों को आइने अखरने लगे। किरकने लगे दांतों में शब्द। इसलिए लेखनियां ले ली गयीं। बदले में दे दीं गयीं स्तुतियां विज्ञापियां। हड़तालें।—हड़तालें बंद।

जी हां, यह भी हुआ कि उधर हवा में हंटर फटकारा गया। और इधर शार्दूल सिंह। लोमड़ी के सामने मिमयाने लगे वातानूकूल कमरों में कैद विद्यावागीश पोखर को मानसरोवर और बरसाती नाले को। ईसा-विवेकानन्द गौतम और गंगा बताने लगे। इशारा भर किया गया। और कवि-शायर। हथेलियां पीट-पीट फटे बांस से गलों से स्तुतियां गाने लगे। कुल्हे मटकाने लगे। जिनसे सिर्फ झुकने को कहा गया। वे केंचुआ की तरह रेंगने लगे। पतनगाथा के कवि के द्वारा बुद्धिजीवियों-साहित्यकारों पर की गई यह टिप्पणी उस समय के तमाम

छद्म प्रगतिशीलों पर कितनी सटीक हैं यह कहने की जरूरत नहीं, इतिहास अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। अभी वह सब कइयों की डायरियों में दर्ज है।

रमेश गौड़ ने आपात्काल के विरोध में एक और कविता लिखी थी जिसे वह प्रायः गोष्ठियों व कवि सम्मेलनों में सुनाया करते थे। उस कविता की भी एक बानगी प्रस्तुत है—

—पक्षी और पंतग की उड़ान में क्या फर्क है। यह तुम्हें समझाना किसी और का काम नहीं है। घाव चाहे बाहर बहे या कि रिसे रगो में। तकलीफ देता है। कैद चाहे सींकचो के उधर हो या इधर। क्या फर्क पड़ता है। अंदर की आग यदि मशाल नहीं बन सकती तो खुद को जलाती है मेरे बच्चे। यह मैंने नहीं। मेरे पिता ने कहा था। कवि फिर अपनी पीढ़ी पर व्यंग्य करता है—

मेरे पिता ने कहा था। और मैं चीख उठा था—जानता हूं मैं यह सब जानता हूं। लेकिन मौन नहीं स्वीकृति या पर्याय। और इसके साथ ही मेरी अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं। यह मेरे पिता ने नहीं मैंने कहा था। (कविता—उसने कुछ नहीं कहा था)

प्रस्तुत कविता रमेश गौड़ के भीतर की छटपटाहट को व्यक्त करता है। इस तरह वह तटस्थ रहकर भी आपातकाल के प्रति अपना विरोध दर्ज कराते हैं। जो लोग आपात्काल के दौर को भुक्तभोगी रहे हैं, वे जानते हैं कि कौन-कौन से महान साहित्यकार एक तरफ विरोध की कविताएं अपनी डायरियों में लिखे जिसे आपात्काल के बाद छपवाया और दूसरे और नवदुर्गा की स्तुतियां लिखे जिसे लाखों की संख्या के वितरित भी किया गया। आज ऐसे साहित्यकारों को लोग भूल गये जिन्होंने उदंड बालक को युवा-चेतना का प्रतीक सिद्ध करते हुए बड़े-बड़े लेख लिखें और इसके माध्यम से सत्ता के गलियारे में पहुंचे। आज उनके नाम पर प्रतिवर्ष किसी एक युवा कवि को पुरस्कार दिया जाता है।

'पतनगाथा' का कवि अपनी इस लम्बी कविता में अपना ही नहीं, अपनी पूरी पीढ़ी का भी पतन गाथा को लिपिबद्ध किया है। आप चाहे इसे रमेश गौड़ की ईमानदारी कहे या चालाकी, लेकिन यह उस समय का दस्तावेज है।

आज कुछ लोग रमेश गौड़ को गरियाकर या घटिया आदमी बता कर अपने को बड़ा कवि मानने का भ्रम भले ही पाल लें। लेकिन वास्तव में वे रमेश गौड़ के व्यक्तित्व के आगे बौने हैं, उनके व्यक्तित्व को छोटा करने और कृतित्व को नकारने वाले लोग क्या बता सकते हैं कि रमेश गौड़ ने उस चुनौती भरे माहौल में किस गधे अथवा नौसखिये पतंगबाज पर स्तुतियां लिखीं। प्रगतिशीलता के नाम पर सत्ता की चाटुकारिता करने वाले अथवा पूंजीवाद को सभी बीमारियों की जड़ मानते हुए पूंजीपतियों के अगल-बगल चलने वाले जनवादी बुद्धिजीवी क्या बता सकते हैं कि पूंजीपति के अखबार में रिपोर्टर रहे अट्ठारह वर्ष में कितना पूंजी जोड़ी, परिवार के लिए कितने फ्लेट्स अथवा प्लाट्स बनाये, किन-किन सत्ताधारियों की अलोचना या ठुकर सुहाती पत्रकारिता करके कितने हजार रुपये हड़पे।

उनकी मृत्यु के बाद पता लगा है कि शान से खाने-पीने वाले रमेश गौड़ के नाम बैंक बैलन्स शून्य है, ऋण लेकर खरीदी गई फिएट कार पर दो लाख रुपये बैंक का बकाया है, जिसकी वसूली के पत्र आ चुके हैं।

दरअसल, रमेश गौड़ जिन्दगी भर अपने गुणों का प्रर्दशन नहीं किया और अपनी कमियों को जरूरत से ज्यादा प्रचार किया। मित्रों की मदद करना, उनसे सद्व्यवहार करना उनकी खासियत थी तो जेब में पैसे न हों तो उधार लेकर शराब पीना उनकी कमी थी। साहित्य अकादमी में हुई शोक-सभा में कइयों ने इस बात का खुलासा किया कि वे जब पहलीबार दिल्ली आये थे तो सात-आठ दिनों तक रमेश गौड़ के यहां मेहमान के रूप में रहे। रमेश गौड़ अपने हर जानने वाले को चाहे वह साहित्यिक मित्र रहा हो अथवा सामान्य मित्र, उनकी हर संभव सहायता करते थे। अपने साहित्यिक मित्रों एवं अग्रज साहित्यकारों को जन्म दिवस में बधाई देना वह कभी नहीं भूलते थे।

वास्तविकता यह है कि रमेश गौड़ के वे ही मित्र घोर आलोचक बन गये, जो अपने दौर में कवि के रूप में बौने रहे, बेजान कविताएं अथवा साहित्य सृजन करते रहे। और रमेश गौड़ से हमेशा यह अपेक्षा करते रहे कि वे उनकी रचनाओं की तारीफ करें। लेकिन रमेश गौड़ इस मामले में काफी रिजर्व थे। उन्होंने दोयम सोयम दर्जे के साहित्यकारों को कभी घास नहीं डाली। आज ये ही दोयम-सोयम दर्जे के कवि और साहित्यकारों ने मीडिया का दुरुपयोग कर एक दूसरे का गाल बजा रहे हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं लग रहा है कि इन लोगों ने अपने समाचार पत्र अथवा पत्रिका में रमेश गौड़ के कृतित्व व व्यक्तित्व पर कुछ भी नहीं प्रकाशित किया। केवल उनके एक ओर घनिष्ठ मित्र ने 'जनसत्ता' ये किसी तरह उन्हें याद कर लिया था।

रमेश गौड़ का समग्र लेखन अभी पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं है। उनकी मात्र एक पुस्तक के आधार पर उनका पर्णू मूल्याकंन करना संभव भी नहीं है। लेकिन 'कैंसर वार्ड' का अनुवाद और यह संस्मरणात्मक लेख अग्रज रमेश गौड़ के प्रति विनम्र श्रद्धाजंलि मात्र है। आशा करता हूं कि उनके चन्द शुभ चिन्तक उनकी समग्र लेखन को एक जगह पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराने का प्रयत्न अवश्य करेंगे।

■

विश्व हिन्दी दर्शन

14 सितम्बर हिन्दी दिवस के लिए विशेष

हिन्दी: अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ / राष्ट्रीय धर्म

— शंकर दयाल सिंह

सवाल यह पैदा होता है कि हिन्दी की चर्चा किस रूप में की जाय? साहित्यिक भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में या जनभाषा के रूप में? यह प्रश्न न तो जटिल है, न कुटिल। इसका सीधा संबंध मन की उन सम्वेदनाओं से है जिस रूप में हम इसे देखना या जानना चाहते हैं। बहुत पहले गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था—"जाकि रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी।"

हिन्दी भले राष्ट्रीय सन्दर्भों में विवादग्रस्त हो, लेकिन आज दुनिया के 50 से अधिक देश ऐसे हैं जहां लोग भारत को समझने के लिए हिन्दी को समझना आवश्यक मानते हैं। इनमें तीन तरह के देश हैं। पहले वे देश जहां भारतीय मूल के लोग आज से 100-150 साल पहले जाकर मजदूर अथवा कारीगर के रूप में बसें और आज वे उस धरती के मालिक हैं। दूसरी कोटि में वे लोग आते हैं जिनकी अपनी भाषा हैं और जो अंग्रेजी के व्यामोह से अलग हैं और तीसरी श्रेणी उन देशों की है जहां की शासकीय और बोलचाल की भाषा भी अंग्रेजी है। इन सभी जगहों में मैंने जाकर देखा तो यह पाया कि हिन्दी के लिए हर जगह आदर और अपनापन हैं।

अभी हाल में ही जून, 1995 में मैं मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में हिन्दी पीठ की स्थापना में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल था और वहां के उपकुलपति ने जिस आदर के साथ हिन्दी चेयर स्थापित करने की घोषणा की वह भारत और हिन्दी भाषा के लिए गर्व की बात है। इसका सारा श्रेय ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त डा० लक्ष्मी मल सिंधवी को जाता है जिन्होंने राजनयिक कार्यों के साथ-साथ सर्वत्र भाषा और संस्कृति को प्रमुखता दी है।

इसी वर्ष जून, 1995 में मुझे दुनिया के 13 देशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महामहिम राष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्म्मा जी के साथ ट्रिनिडाड, चिली, पुर्तगाल, जिम्बाम्बे और नामिबिया तथा दूसरे दौर में संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधिमंडल में मारीशस, दक्षिण अफ्रिका, केनिया, ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्विटज़रलैंड। सभी जगहों में मैंने अनुभव किया कि लोग हिन्दी के द्वारा भारत से जुड़ना चाहते हैं। उनका मुख्य आकर्षण यह है कि 60-70 करोड़ लोगों की भाषा जो संस्कृति की संवाहिका हैं उसे समझे बिना भारत को समझना कठिन है। इस संबंध में कहीं कोई भ्रम है तो भारत में, बाहर नहीं।

दुनिया के लगभग 136 विश्वविद्यालयों में हिन्दी की विधिवत पढ़ाई हो रही हैं और 50 ऐसे देश हैं जहां 5 हजार से लेकर 5 लाख तक लोग किसी ने किसी रूप में हिन्दी का व्यवहार करते हैं अथवा समझते और बोलते हैं। उन लोगों की एक ही मांग रहती है कि भारत सरकार ऐसी जगहों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति करे अन्यथा नयी पीढ़ी ने यदि हिन्दी का ज्ञान प्राप्त न किया तो वह भारत को भी भूल जाएगी।

पोर्टलुई के एक अत्याधुनिक स्टोर में मैं कुछ सामान खरीदने गया। वहां वेस्टर्न वेशभूषा में दो लड़कियां "सेल्स गर्ल" का काम कर रही थीं। मैंने उनसे अंग्रेजी में किसी सामान की मांग की तो तत्काल उनमें से एक ने मुझसे पूछा—"आप कहां से आये हैं?" जब मैंने बताया कि भारत से, तो दूसरी ने मुझे यह कहकर पानी-पानी कर दिया कि आप फिर हिन्दी में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। यह हैं उनका हिन्दी प्रेम।

भारत में जब तक हिन्दी को राष्ट्रीयता के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक मात्र सरकारी आदेशों, निर्देशों से इसे वह मान्यता नहीं मिलेगी जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रपिता यही चाहते थे कि स्वाधीन भारत में राष्ट्रभाषा को वही दर्जा प्राप्त हो जो राष्ट्रध्वज अथवा राष्ट्रीय अस्मिता को प्राप्त हैं।

यह वर्ष गांधी जी की 125वीं जयन्ती और संत विनोबा की 100वीं जयन्ती का वर्ष हैं। गांधी ने राष्ट्र को एक में जोड़ने की कल्पना राष्ट्रभाषा हिन्दी के द्वारा की थी और विनोबा चाहते थे कि भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रचलन हो। ये दोनों बातें राष्ट्रीय एकता और अस्मिता के सन्दर्भ में भारत को ऊंचा उठाती हैं।

दुनिया के जिस किसी देश में गया वहां अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति आदर और मोह देखकर एक ओर चिंता और दूसरी ओर शर्म से गड़ गया। क्यों नहीं भारत में यह चेतना बौद्धिक जनों में उत्पन्न होती है? हिन्दी का राजनीतिक विरोध में समझ सकता हूं। लेकिन उसके कारण एक विदेशी भाषा अंग्रेजी को प्रश्रय देना, अपनाना तथा उसे गले से लगाकर रखना-यह न तो कोई नीति हो सकती है, ने विद्वता।

भारत में संविधान की अष्टम सूची के अनुसार 14 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। इनके अतिरिक्त 200 से अधिक बोलियां ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं। हिन्दी के अन्तर्गत ही लगभग दो दर्जन ऐसी सशक्त बोलियां हैं जो दुनिया की किसी भी समृद्ध भाषा से लोहा ले सकती हैं। इनमें अवधी, व्रज, मैथिली, भोजपुरी, बुन्देलखण्डी, राजस्थानी, नागपुरिया, मगही, संथाली आदि बोलियों अथवा भाषाओं का इतना विशाल भंडार है जो अपने आप में गौवरपूर्ण स्थान रखती है। सबों ने हिन्दी सागर में मिलकर उसे विस्तृत रूप दिया है। विश्व सन्दर्भ में लोग

इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं, तभी तो गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मैक्स मूलर, वारन्निकोव, फादर कामिल बुल्के जैसे विदेशियों ने कितना सारा शोध हिन्दी में किया है। आज भी पोलैंड के राजदूत प्रो॰ वृस्की तथा स्वीडन के राजदूत प्रो॰ स्मैकल जैसे प्रबुद्ध विदेशी हिन्दी की वकालत करते हुए बार-बार कहते हैं कि जब तक भारत अपनी भाषा को नहीं अपनाता, उसकी गुलाम मानसिकता बनी रहेगी। गुंडार मिर्डल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक "एशिअन ड्रामा" में साफ शब्दों में लिखा है कि जब तक भारतीय संसद में अंग्रेजी में बहसें होती रहेंगी, तब तक समझ लीजिए कि भारत पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ।

शर्म को भी शर्म तो उस समय आती है जब हिन्दी भाषा-भाषी लोग भी उन विदेशियों से अंग्रेजी में बाते करतें हैं जो उनसे हिन्दी में वार्तालाप करना चाहते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में हिन्दी की चर्चा हम कितनी भी कर लें, बात तब तक नहीं बन सकती है जब तक यह देश राष्ट्रीय मर्यादा के रूप में हिन्दी को नहीं अपनाता इससे बड़ा राष्ट्रीय धर्म और कुछ नहीं होगा।

सभी भारतीय भाषाएं आज अंग्रेजी के कारण विकसित होने की जगह संत्रस्त हैं। यात्रा के दौरान, हवाई जहाज हो या ट्रेन, आप गौर से देखें तो बौद्धिक जनों अथवा नई पीढ़ी के युवा कर्णधारों के हाथ में कोई न कोई अंग्रेजी का मोटा-सा उपन्यास अथवा पत्रिका झलक जाएगी। इस रूप में वे अपनी भाषा से ही नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और संस्कार से भी कट रहे हैं।

आज जरूरत है एक संकल्प की जो संभव हैं प्रीतिकर से अधिक कठोर हो। वह संकल्प यह है कि हम अपनी भाषा—जो मातृभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो अथवा राजभाषा-उसे छोड़कर व्यक्तिगत, सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्रों में विदेशी भाषा का प्रयोग न करें, तभी भारत बच सकेगा अन्यथा वह अपनी अस्मिता खो देगा।

भला इससे बड़ा मखौल और क्या होगा कि संविधान के अनुसार हिन्दी राजभाषा है तथा अंग्रेजी सहभाषा। लेकिन राजभाषा को लोग ताक पर रखकर सहभाषा को गले लगाये हुए हैं। राष्ट्रपति के आदेश साफ हैं कि यथासाध्य राजभाषा हिन्दी में ही काम हो लेकिन इसकी ओर कोई देखता भी नहीं है। सरकार को इसके लिए सख्त होने की जरूरत है कि जो संविधान की अवहेलना, 1963 के राजभाषा अधिनियम की अवमानना एवं संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गए आदेशों की अनदेखी करते हैं उन्हें सरकारी कुर्सियों पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हिन्दी दिवस की सार्थकता तभी होगी जब पूर्णरूपेण हिन्दी उन कुर्सियों पर बैठ जाय, जिन पर अभी अंग्रेजी का वर्चस्व है।

■

हीन भी : दीन भी

शायद वह इसरायल का 'राष्ट्रीय दिवस समारोह' था पांच सितारा होटल में आयोजित। हमने देखा पास ही एक साथ कई सुपरिचित मित्र खड़े हैं। हम भी उसी दिशा में बढ़े। ऐसे माहौल में व्यक्ति अपनों के बीच अधिक सहज अनुभव करता है, अकेले खड़े रहने या भीड़ में कोई परिचित चेहरा ढूंढ़ने की अपेक्षा।

हमने देखा-पोलैंड के भारत स्थित राजदूत प्रो. मारिया क्रिस्टोफर बिस्की खड़े हैं। अपनी पुत्री के साथ चेक राजदूत डॉ. स्मेकल, वीएतनाम के दूतावास के प्रथम सचिव तथा एक-दो अन्य विदेशी बंधु, परस्पर वे सब हिन्दी में बतिया रहे हैं।

हम भी उन में शामिल हुए ही थे कि एक भारतीय सज्जन अपने दो-तीन मित्रों को साथ लिए हमारी ओर आते हैं और प्रो. बिस्की से उनका परिचय कराने लगते हैं, 'ही इज माई फ्रेंड मिस्टर...'

बिस्की अचरज से उनका मुंह ताकने लगते हैं।'

फिर किंचित खीझ कर कहते हैं, क्षमा कीजिएगा क्या आप हिन्दी नहीं जानते- ?'

आगंतुक कुछ चौंके। अपनी झेंप मिटाते हुए बोले, 'नहीं, मैं पंजाबी जानता हूं...'

'तो पंजाबी में बोलिए न! मैं पंजाबी भलीभांति समझ लेता हूं' प्रो. बिस्की बोले।

उन सज्जन पर एक साथ घड़ों पानी पड़ गया।

खैर, परिचय हुआ और वे भीड़ में आगे बढ़े तो प्रो. बिस्की ने कहा, 'अभी हम अलग-अलग पांच-छह देशों के लोग जब परस्पर बातें कर रहे थे तो अनायास सब हिन्दी में बोल रहे थे, परन्तु कोई भी भारतीय हमें देखते ही अंग्रेजी में क्यों बोलने लगता? ऐसी हीन-भावना क्यों.... ?'

☆ ☆ ☆

संस्कृति दर्शन

संस्कृत साहित्य का परिचयात्मक इतिहास

—डॉ॰ शशि तिवारी

वैदिक वाङ्मय

वेदवाङ्मय संसार का प्राचीनतम साहित्य है, इस संबंध में सभी विद्वान एकमत हैं। "वेद" शब्द ज्ञान अर्थवाली गविद् धातु से बना है, इसलिए इसका शास्त्रीय अर्थ है "ज्ञान"। वेद वह ज्ञान राशि है, जिससे विद्वान—परमात्मा और जगत का स्वरूप जानते हैं। प्राचीन ऋषियों द्वारा अर्जित किये गये समस्त ज्ञान के संग्रहभूत ग्रन्थों को भी "वेद" कहते हैं। अतः "वेद" शब्द वैदिक ग्रन्थों में प्रतिपादित ज्ञान का वाचक होने के साथ ही सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय का भी बोधक है। यह ज्ञान वैदिक मंत्रों में अभिव्यक्त हुआ है। इन मंत्रों का वैदिक ऋषियों ने प्रथम बार तपोबल से दर्शन किया था। इसलिए ऋषि मन्त्रद्रष्टा हैं, मंत्रकर्ता नहीं। वैदिक मंत्रों से ज्ञात होता है कि ऋषियों को अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त था। उन्होंने दैवी प्रतिभा के सहारे अपने प्रातिभ चक्षुओं से वेद के मंत्रों का दर्शन किया था। आचार्य सायण के अनुसार वेद इष्टप्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय बताने वाले ग्रन्थ हैं। "वेद" का "वेदत्व" इसी में है कि वे उस उपाय का ज्ञान कराते हैं, जिसको प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। मनु ने वेद को पितृगण, देवों तथा मनुष्यों का सनातन एवं सर्वदा विद्यमान रहने वाला चक्षु कहा है। अलौकिक तत्वों के रहस्य को जानने में वेद की उपयोगिता है। वेद के ज्ञान को गुरुशिष्य-परम्परा से सुरक्षित रखा गया है, इसलिए वेद को "पतुति" भी कहते हैं। वेद का एक नाम "निगम" है, क्योंकि ये साभिप्राय, सुसंगत और उत्तम अर्थ को बताते हैं। वेद को त्रयी, छन्दस, आम्नाय और स्वाध्याय आदि नामों से भी जाना जाता है।

नाना दर्शनों ने वेद को अपौरूषेय, नित्य और स्वतःप्रमाण मानकर उनमें पूर्ण आस्था व्यक्त की है। ऋग्वेद के पुरूषसूक्त में विराट पुरूष से ही वेदों की उत्पति बतायी गई है। भारतीय मन में ईश्वरीय ज्ञान के रूप में वेदों में परम आस्था देखी जाती है। पारम्परिक मत में "आस्तिक" वह है, जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखता है और "नास्तिक" वह है, जो वेद की निन्दा करता है।

भारतीय धर्म, संस्कृति और चिन्तन में वेद को अत्यधिक गौरवपूर्ण पद प्राप्त है। हिंदुओं के समस्त आचार-विचार, धर्म-कर्म का आधार वेद है। वेद की महत्ता धार्मिक दृष्टि से सर्वोपरि है। कहा भी गया है कि "वेदधऽखिलो धर्ममूलम्"। धर्म के जिज्ञासुओं के लिए वेद परम प्रमाण है। सभी दार्शनिक विचारधाराओं का मूल स्रोत वेद ही हैं। भारतवर्ष के अनेक सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सिद्धान्तों और विश्वासों का आविर्भाव वेद से हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से वेद यदि भारतीय इतिहास के प्रारम्भिक काल का उद्‌घाटन करने में सहायक हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि से विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रकाशक भी, ये ही हैं। वेद का महत्व भाषाशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से भी कम नहीं है क्योंकि ये प्राचीनतम भाषा की जानकारी देते हैं। वैदिक भाषा की लौकिक संस्कृत भाषा से तुलना करने पर अनेक भाषापूरक रोचक बातें प्रकाश में आती हैं। वेद की महता के विषय में सबसे महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट तथ्य यही है कि भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का भव्य प्रासाद वेद की आधारशिला पर ही प्रतिष्ठित हुआ है। इसीलिए प्रारम्भ से ही शिक्षा और ज्ञानार्जन में वेदाध्ययन की उपयोगिता एक मत से स्वीकार की गई है।

वेद के काल निर्धारण के संबंध में मनीषियों में अत्यधिक मतभेद हैं। इतने अधिक मतभेद शायद ही किसी अन्य ग्रन्थ या साहित्य के रचनाकाल के संबंध में हों, जितने वेद के काल को लेकर हैं। प्राचीन भारतीय विद्वान तो वेद को अनादि और अपौरूषेय मानते थे और उनके अनुयायी अब भी ऐसा ही मानते हैं कि वेदों का न कोई रचयिता है और न कोई समय। एक मत में ब्रह्मा के चार मुखों से चार वेदों की रचना हुई है। अतः प्राचीन भारतीय मत में चारों वेद समान रूप से प्राचीन हैं और उनमें पौर्वापर्य नहीं है।

वेदों को अत्यधिक प्राचीनकाल का मानकर भी भारतीय प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने उनके रचनाकाल पर तरह-तरह से विचार किया है जिनमें से कुछ मुख्य मत उल्लेखनीय हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचार में वेदों का आर्विभाव परमात्मा से हुआ है, इसलिए वेद सृष्टि के प्रारम्भ से हैं। श्री अविनाशचन्द्र दास ने ऋग्वेद के भूगोल और भूगर्भसंबंधी अन्तःसाक्ष्य के आधार पर ऋग्वेद का रचनाकाल 25 हजार वर्ष ई॰ पू॰ बताया है। श्री बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना को आधार बनाकर ऋग्वेद का समय 6000 ई॰ पू॰ से लेकर 4000 ई॰ पू॰ निश्चित किया है। श्री बालकृष्ण दीक्षित ने ज्योतिष के आधार पर ऋग्वेद की रचनाकाल 3500 ई॰ पू॰ बताया है। पाश्चात्य विद्वान योकोबी ने ध्रुवतारा को लक्ष्य बनाकर ज्योतिष के आधार पर ही ऋग्वेद का समय 4500 ई॰ पू॰ माना है। विन्टरवित्स ने मिटानी शिलालेख के प्रमाण पर ऋग्वेद का समय 2500 ई॰ पू॰ ठहराया है, तो मैक्समूलर ने बुद्ध को आधार बनाकर ऋग्वेद को 1200 ई॰ पू॰ का बताया है। इस प्रकार वेद के काल को लेकर अनेक मत प्राप्त होते हैं, परन्तु पुष्ट प्रमाणों के अभाव में किसी भी निष्कर्ष पर

निश्चित रूप से पहुंचना सम्भव नहीं है। केवल व्यावहारिक दृष्टि से वैदिक वाङ्मय को रामायण, महाभारत और महात्मा बुद्ध आदि से पूर्व विद्यमान होने के कारण लगभग चार हजार वर्ष ई० पू० से लेकर एक हजार वर्ष ई० पूर्व के मध्य में अवश्य रखा जा सकता है।

वैदिक वाङ्मय अत्याधिक विशाल है। इसके अन्तर्गत सहस्त्रों ग्रन्थ समाविष्ट हैं। सामान्य रूप से उसे दो भागों में रखा जा सकता है-(1) वेद और (2) वेदा, "वेद" का लक्षण किया जाता है—"मन्त्रब्राह्मणयो वेदनामधेयम्" अर्थात-मन्त्र और ब्राहमण को वेद कहते हैं। जिनमें देवताओं की स्तुतियां है वे "मन्त्र" कहलाते हैं और जिनमें यज्ञ की विविध क्रियाओं का वर्णन है वे ग्रन्थ ब्राहमण कहलाते हैं। इस परिभाषा से ब्राहमण के तीन भाग हैं—(1) ब्राहमण (2) आरण्यक और (3) उपनिषद्। अतः सुविधा के अनुसार "वेद" को चार भागों में बांटा जाता है—(1) मंत्र संहिताएं, (2) ब्राह्मण ग्रन्थ (3) आरण्यक ग्रन्थ (4) उपनिषद् ग्रन्थ।

वास्तव में तो वेदरूप ज्ञान एक ही है, परन्तु स्वरूप भेद से वेद चार हैं—ऋग्वेद, यर्जुवेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के अन्तर्गत मंत्रसंहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् नाम से चार प्रकार के एक या अनेक ग्रंथ आते हैं। वेदांगः/साहित्य तो वैदिक वाङ्मय का परिशिष्ट भाग के रूप में दूसरा भाग है जिसके अन्तर्गत भी छह भागों में सैंकड़ों ग्रंथ हैं। इस प्रकार वैदिक वाङ्मय एक विशाल साहित्य का नाम है। इस तालिका द्वारा उसके रूप को संक्षेप में समझा जा सकता है।

(1) वेद (केवल निदर्शनार्थ)

वेद	संहिता	ब्राह्मण ग्रन्थ	आरणयक	उपनिषद्
1. ऋग्वेद	ऋगवेदसंहिता	ऐतरेयब्राह्मण	एतरेयआरण्यक	ऐतरेय उपनिषद्
2. यजुर्वेद	यजुर्वेद संहिता	शतपथ ब्राह्मण	बृहदारण्यक	इशावास्य उपनिषद
3. सामवेद	सामवेद संहिता	पचाविश ब्राह्मण	—	छान्दोग्य उपनिषद
4. अथर्वल वेद	अथर्ववेद संहिता	गोपथ ब्राह्मण	—	मुण्डक उपनिषद

11 वेदाङ्ग

1. शिक्षा 2. कल्प 3. व्याकरण 4. निसक्त 5. छन्द 6. ज्योतिष।

1. संहिता साहित्य—वैदिक वाङ्मय में प्राचीनता और महत्ता की दृष्टि से सर्वप्रथम संहिताओं को लिया जाता है। चारों वेदों की अपनी-अपनी संहिताएं हैं।

(अ) ऋग्वेद संहिता—ऋग्वेद की संहिता को "ऋक्संहिता" भी कहते हैं। वस्तुतः "ऋक" का अर्थ है-स्तुतिपरक मन्त्र" और "संहिता" का अभिप्राय संकलन या संग्रह से है। अतः ऋचाओं के संकलन का नाम "ऋकसंहिता" है। यह संहिता कई दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय का प्राचीनतम ग्रन्थ होने के कारण इसे विश्वसाहित्य का प्रथम ग्रन्थ होने का गौरव प्राप्त है। चारों वेदों की संहिताओं की तुलना में यह सबसे बड़ी संहिता है। एक विशालकाय वैदिक ग्रंथ के रूप में यह अद्भुत और विविध ज्ञान का स्रोत है। ऋकसंहिता का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है (1) आरकक्रय और (2) मण्डलक्रम/अण्टकक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण संहिता आठ अण्टकों मे विभाजित हैं और प्रत्येक अण्टक में आठ अध्याय हैं अध्याय वर्गों में विभाजित हैं और वर्ग के अन्तर्गत ऋचाएं हैं। मण्डलक्रम में सम्पर्ण संहिता में दस मण्डल हैं। प्रत्येक मण्डल मे कई अनुवादक, प्रत्येक अनुवादक में कई सूक्त आर प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र हैं। तदनुसार (ऋग्वेद संहिता में 10 मण्डल, 95 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10552 मंत्र हैं। इन मंत्रों के द्रष्टा-ऋषियों में गृत्समद, विश्वामित्र वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, भृगु और अंगिरस प्रमुख हैं। कई वैदिक नारियां भी मंत्रों की द्रष्टा रही हैं। प्रमुख ऋषिकाओं के रूप में वाक् आम्भृणी, सूर्या सावित्री, सार्वराश्री, यमी वैवस्वती, उर्वशी, लोपामुद्रा, घोषा, आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

ऋग्वेद की संहिता में देवस्तुति की प्रधानता है, अग्नि, इन्द्र, मरूत् उषा, सोम अश्विनै आदि नाना देवताओं की कई-कई सूक्तों में स्तुतियां की गई हैं। सबसे अधिक सूक्त इन्द्र देवता की स्तुति में कहे गये हैं और उसके बाद संख्या की दृष्टि से अग्नि के सूक्तों का स्थान है। अतः इन्द्र और अग्नि वैदिक आर्यों के प्रधान देवता प्रतीत होते हैं। कुछ सूक्तों में मित्रावरुणा, इन्द्रवायू, धावापृथिवी जैसे युगल देवताओं की स्तुतियां हैं। अनेक देवगण जैसे आदित्य, मरूत, रूद्र, विश्वेदेवा आदि भी मंत्रों में स्तवनीय हैं। देवियों में उषा का अग्रगण्य स्थान हैं। देवस्तुतियों के अतिरिक्त ऋकसंहिता में कुछ दूसरे विषयों पर भी सूक्त हैं जैसे जुआरी की दुर्दशा का चित्रण करने वाले "अक्षसूक्त", वाणी और ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करने वाला "ज्ञानसूक्त" यम और यमी के संवाद को प्रस्तुत करने वाला "यम यमी संवादसूक्त", पुरुखाउर्वशी संवाद सूक्त" आदि। विषय की विविधता को दर्शाने वाले सूक्तों "दार्शनिक सूक्तों को भी गिना जा सकता है जैसे पुरुषसूक्त, तिरण्यगर्भसूक्त, नासर्दयसूक्त आदि। इनमें सृष्टि उत्पति और मूलकारण को लेकर गम्भीर दार्शनिक विवेचन किया गया है ओषिधिसूक्त में नाना प्रकार की ओषधियों के रूपरंग और प्रभाव का विवरण है। इस प्रकार ऋग्वेद की संहिता वैदिक देवताओं की स्तुतियें के अतिरिक्त दर्शन, लौकिक, ज्ञान, कथनोपकथन आदि अवान्तर विषयों पर भी प्रकाश डालने वाला प्राचीनतम आर्ष ग्रन्थ है। धार्मिक, सांस्कृति, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत सारगर्भित सामग्री को प्रस्तुत करने के साथ-साथ यह साहित्यिक और काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भी विशिष्ट ग्रंथरत्न हैं।

(आ) यजुर्वेद संहिता—यजुर्वेद संहिता में यजुषों का संग्रह है। यज्ञसंबंधी मंत्रों को "यजुष" कहते हैं जिनका उपयोग अध्वर्यु नामक ऋत्विज् यज्ञ के अवसर पर करता है। गीति और पद्य से रहित मंत्रात्मक रचना को भी "यजुष्" कहते हैं—"गद्यात्मको यजुः। यजुर्वेद मुख्यतया दो भागों में विभक्त है—(1) शुक्ल यजुर्वेद (2) कृष्ण यजुर्वेद। इन नामकरणों के विषय में एक कथा पुराणों में दी गई है। वेदव्यास ने यजुर्वेद अपने शिष्य वैशम्यायन को सिखलाया जिन्होंने इसे याज्ञवल्क्य ऋषि को पढ़ाया। किसी कारण गुरू अपने शिष्य से रूष्ट हो गये और पढ़ाई गई विद्या को उनसे मांगने लगे। याज्ञवल्क्य ने पठित यजुषों को

वमन कर दिया। तब दूसरे शिष्यों ने तित्तिर का रूप धारण करके उसे चुग लिया। यही कृष्ण यजुर्वेद हुआ है। फिर याज्ञवल्क्य ने सूर्य की आराधना करके नवीन यजुषों को उत्पन्न किया। वही शुक्ल यजुर्वेद हुआ। इन दोनों के रूपों में महान् अन्तर है। आदित्य सम्प्रदाय का प्रतिनिधि शुक्ल यजुर्वेद है और ब्रह्मा-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का संग्रह है, जिनमें विनियोग वाक्य नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद में गद्यात्मक विनियोगों का मिश्रण है। गद्य और पद्य की इसी मिलावट के कारण उसको "कृष्ण" कहते हैं।

प्राचीनकाल में यर्जुवेद की 100 शाखाएं थी। शुक्ल यजुर्वेद की मंत्रसंहिता "वाजसनेयी संहिता" के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि सूर्य ने "वाजी का रूप धारण करके इसका उपदेश दिया था। इसमें 40 अध्याय है, जिनमें विशेष रूप से यज्ञों का वर्णन है। दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र, चार्तुमास्य, शतरूद्रिय, अश्वमेघ आदि

के वर्णन और उनके विशिष्ट मंत्रों का निर्देश शुक्ल यजुर्वेद का मुख्य विषय है। इस वेद की दो शाखाएं हैं, जिनकी संहिताएं उपलब्ध हैं—(1) माध्यन्दिन संहिता (2) काव्य संहिता। माध्यन्दिन संहिता का प्रचार उत्तर भारत में अधिक है और काव्य संहिता का महाराष्ट्र में। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता, का अन्तिम चालीसवां अध्याय "ईशावास्य उपनिषद्" के रूप में प्रसिद्ध है।

कृष्ण यजुर्वेद की सम्प्रति चार शाखाएं मिलती हैं, जिनकी संहिताएं उपलब्ध हैं—(1) तैत्तिरीय संहिता, (2) "मैत्रायणी" संहिता (3) काठक संहिता (4) कपिष्ठल कठ संहिता। इन सबमें "तैत्तिरीय" संहिता प्रधान है, जिसमें सात काण्ड हैं। यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा सर्वांगपूर्ण है क्योंकि इसकी संहिता ही नहीं, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद्, स्रोतसूत्र आदि सभी प्राप्त होते हैं। इसका विषय विविध योग और उनके अनुष्ठान ही हैं। इसमें मंत्र और व्याख्या भाग सम्मिलित रूप से प्राप्त होता है। मैत्रायणी और काठक संहिताएं तैरीय से मिलती हुई सी हैं और इनमें यजुर्वेद के यागादि का ही वर्णन हुआ है। कपिष्ठल कंठ संहिता अभी तक आधी ही उपलब्ध है और ज्ञोर से उतनी ही प्रकाशित हुई है। कृष्ण यजुर्वेद में भी यज्ञों का ही वर्णन हुआ है, यद्यपि इनका क्रम शुक्ल यजुर्वेद से किंचित भिन्न है। श्रोतयागों के समग्र स्वरूप के परिज्ञान के लिए यजुर्वेद की विभिन्न शाखाएं अत्यन्त उपादेय हैं। यजुर्वेद में प्रजापति, रूद्र, विष्णु आदि कुछ देवताओं का महत्व ऋग्वेद की तुलना में बढ़ा है यहां यज्ञ के असाधारण महत्व के साथ-साथ पुरोहितों का महत्व भी बढ़ा है। यजुर्वेद में गम्भीर अध्यात्म चिन्तन को ईशावास्योपनिषद् के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इसकी उपादेयता में वृद्धि हुई है।

(इ) सामवेद संहिता

"सामन्" की संहिता "सामवेद संहिता" है। सामन् का अर्थ है—"गान"। ऋग्वेद के मंत्र ही जब विशेष गान पद्धति से गाए जाते हैं, तब उनको सामन् कहते हैं। ऋचाएं ही गायी जाती हैं। इसलिए सम्पूर्ण सामवेद में अधिकांश ऋचाएं ही हैं। इनकी संख्या 1779 है। केवल 99 ऋचाएं ऐसी हैं जो ऋग्वेद संहिता में नहीं मिलती हैं। जिनमें से पांच पुस्तक हैं। सामवेद की पूरी मंत्र सं० 1875 है। इसलिए सामवेद की संहिता की स्वतंत्र सत्ता नहीं के बराबर है और कहा जाता है—"ऋचि अध्यूंठ साम गीयते" अर्थात् सामऋक् पर आश्रित है। सामवेद को "उद्गातृवेद" भी कहते हैं क्योंकि यज्ञ में उद्गात ऋत्विज ही इन सामों का गान करता है। प्राचीन याज्ञिकों में सामगान का बहुत महत्व है और माना जाता है कि बिना सामों के यज्ञानुष्ठान सम्पन्न नहीं होता है। समस्त सामवेद का मूलवेद "ओडार" है। इसलिए गीता में श्रीकृष्ण ने सामवेद को अपना स्वरूप बतलाया है—"वेदनां सामवेदोंडस्मि"

सामवेद के दो मुख्य भाग हैं—(1) पूर्वार्चिक (2) उत्तरार्चिक पूर्वार्चिक में चार काण्ड—आग्नेय, ऐन्द्र, पावमान तथा आरण्यकाण्ड और महानाम्नी आर्चिक हैं। इसमें 6 अध्याय और 640 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक में कुल 400 सूक्त हैं। सामवेद की कुल मंत्र संख्या हैं। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के अष्टम और नवम मण्डल से लिए गए हैं। पतंजलि ने सामवेद की एक सहज शाखाओं की बात की है। किन्तु इसकी पुष्टि नहीं होती है। सम्प्रति केवल तीन शाखाओं की संहिताएं ही उपलब्ध होती हैं—राणायनीय, कौथुमीय और जैमिनीय। श्री सातवलेकर ने सामवेद की राणायनीय और कौथुमीय शाखाओं को प्रकाशित किया है। वस्तुतः दोनों शाखाओं में मौलिक अन्तर नहीं के बराबर है।

सामवेद में ज्ञान, कर्म और भक्ति का सुन्दर समन्वय है। पावमान काण्ड सम्पूर्ण भगवद् भक्ति द्वारा आनन्द प्राप्ति का वर्णन करता है। सामवेद में उपासना की प्रधानता है। अधिकांश मंत्र सोमपाग से संबंध है। इसमें सोम, सोमरस, सोमपान, सोमयाग आदि का अधिक विवरण होने से इसे सोमप्रधान वेद" भी कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सोम शिव या ब्रह्म तत्व हैं और उसे प्राप्त करने का साधन उपासना ही है। भक्ति, संगीत द्वारा उसकी सिद्धि होती है।

(ई) अथर्ववेद संहिता

वैदिक मंत्र संहिताओं में अथर्ववेद संहिता का विशेष महत्व है। इसका संबंध यज्ञ के विशेष ऋत्विज् "ब्रह्मा" से है। ऋग्वेद आदि तीनों वेद आयुष्मिक फल देने वाले हैं, जबकि अथर्ववेद ऐच्छिक फल देने के साथ साथ आयुष्मिक फल भी देता है। इस जीवन को सुखी और दुखविहीन बनाने के लिए साधनों का विधान इसमें है। अथर्ववेद को ही ब्रह्मावेद, भैषज्यवेद आगिरोवेद, अर्थर्वाङ्गरस वेद, महावेद, छत्रवेद आदि नामों से भी जाना जाता है। "अर्थवन्" शब्द का अर्थ है—गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग। अतः इसमें चित्तवृतियों के निरोधरूपी योग का उपदेश है। यह नाम अथर्ववेद की आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालता है। इस वेद में ऋषि "अथवा" के मंत्र सर्वाधिक हैं, इसलिए सम्भव है उसी आधार पर इसका नाम 'अथर्ववेद' पड़ा हो।

पतंजलि ने अर्थववेद की नौ शाखाओं का उल्लेख किया है। किन्तु सम्प्रति इसकी दो शाखाएं ही मिलती हैं—शौनक और पैथलाद। आज प्रचलित 'अथर्ववेद संहिता शौनक शाखा की है। इसमें 20 काण्ड, 630 सूक्त और मंत्र हैं। इस वेद को मंत्रों की रचना, संहिताकता, नामकरण आदि के आधार पर अपेक्षाकृत परवर्ती माना जाता है। इस मान्यता का सबसे बड़ा आधार यह है कि "वेदयत्रयी" की प्रचलित धारणा में प्रारम्भिक तीन वेद ही समाविष्ट किए जाते हैं। फिर ऋग्वेद और यजुर्वेद में अर्थवेद का उल्लेख नहीं है। अन्य वेदों की विषयवस्तु भी इससे भिन्न है और भाषा भी अर्वाचीन प्रतीत होती है।

प्रो॰ ब्लूमफील्ड में अथर्ववेद का पूरा नाम "अर्थर्वाडिगरस वेद" स्वीकार किया है और उसके प्रतिपाद्य की विवेचना शीर्षकों में की है। जिससे उसके सूक्तों के वर्ण्यविषय का स्पष्टीकरण सरलता से हो जाता है जैसे—

(1) भैषज्याणि अर्थात् रोगों और दानवों से मुक्ति की प्रार्थनाएं।

(2) आयुष्याणि अर्थात् दीर्घायु एवं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं।

(3) आभिचारकाणि अर्थात् राक्षसों, अभिचारकों एवं शत्रुओं के प्रतिकूल आचार।

(4) स्त्रीकर्माणि अर्थात् स्त्रीविषयक अभिचार।

(5) सांमनस्यानि अर्थात् सामनस्य प्राप्त करने वाले अभिचार।

(6) राजकर्माणि अर्थात राविषयक अभिचार

(7) पौष्टिकानि अर्थात् सम्पन्नता प्राप्ति और भय से मुक्ति के अभिचार

(8) प्रायश्चितानि अर्थात् पाप और दुष्क्रम के लिए प्रायश्चित विषय आभिचार

(9) सृष्टि विषयक और आध्यात्मिक सूक्त

(10) याज्ञिक एवं सामान्य सूक्त आदि।

(11) ब्राह्मण्याणि अर्थात् ब्राह्मणों के हित में प्रार्थनाएं एवं अभिशाप

इस प्रकार अथर्ववेद संहिता विविध विषयों पर वैविध्यपूर्ण विचारों को प्रस्तुत करती है। इसमें कुछ ब्रह्माविधा विषयक सूक्त जैसे केनसूक्त, स्कम्भसूक्त, ज्येष्ठब्रह्मासूक्त, उच्छिष्ठसूक्त आदि अति प्रसिद्ध हैं, जिनमें अत्यन्त चारुता के साथ ब्रह्मविद्या के सदस्यों का वर्णन किया गया है और जिसके कारण ही यह वेद 'ब्रह्मवेद' कहलाता है। अध्यात्मविषयक सूक्त में प्राणसूक्त प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्याश्रमविषयक सूक्तों में ब्रह्मचर्य सूक्त, मेखलासूक्त मेघासूक्त, श्रृद्धामेघा सूक्त उल्लेखनीय हैं। भूमि सूक्त में मातृभूमि की मनोरम कल्पना की गई है। 15वें काण्ड में व्रात्य सूक्तों में वानप्रस्थ और सन्यास का दिग्दर्शन मिलता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन मिलता है इसमें अपामार्ग, पिप्पली, रोहिणी, पृश्निवर्गी, आदि औषधियों का वर्णन उन्मत्तला, कास, कुष्ठ, ज्वर, क्लीबत्व, गण्डमाला, हृदयरोग, कामला आदि रोगों की चिकित्सा, सर्पविष आदि विषों के दूरीकरण आयुवष्यवर्धन आदि के लिए किया गया है। राजा के निर्वाचन, राज्याभिषेक, राजनीति, राष्ट्रसमृद्धि शत्रुविजय आदि का विस्तृत वर्णन इस संहिता में है। कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, मणिधारण, स्वास्ति, अभ्युदय आदि विविध विषयों पर प्रकाश डालकर यह संहिता वस्तुतः ज्ञान का एक गम्भीर भण्डार-सी प्रतीत होती है। यह एक ऐसा आकर ग्रन्थ है जिसमें दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और आभिचारिक विषयों का गम्भीर प्रतिपादन दिखाई देता है, जिससे संहिता का महत्व स्वतः ही पुष्ट हो जाता है।

(2) ब्राह्मण-ग्रन्थ

ग्रन्थवाची 'ब्राह्मण' शब्द नपुंसक लिंग में है। इन ग्रन्थों के 'ब्राह्मण' नाम के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। 'ब्रह्मन्' मन्त्र को कहते हैं और उन मंत्रों की व्याख्या एवं विनियोग प्रस्तुत करने के कारण इन्हें ब्रह्मण कहते हैं। ब्रह्मन् शब्द का एक अर्थ 'यज्ञ' भी होता है, अतः जो यज्ञों की व्याख्या प्रस्तुत करे, वे ग्रन्थ 'ब्राह्मण' हैं। संहिता और ब्राह्मण अलग-अलग हैं पर दोनों का अटूट सम्बन्ध है। "मन्त्रों" का कर्मकाण्ड में विनियोग होता है और ब्राह्मण मन्त्रों के विनियोग की विधि बताने वाले ग्रन्थ हैं। 'वेद' शब्द से वैदिक वांड्मय का अर्थ लेने पर 'ब्राह्मणों' का भी उसमें समावेश किया जाता है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रन्थ होते हैं, जो अपनी संहिता के मन्त्रों के यज्ञों में विनियोग आदि पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं।

अधिकांश संहिताएं छन्दोबद्ध हैं, जबकि ब्राह्मण ग्रन्थ सर्वथा गद्यात्मक हैं। संहिताओं का मुख्य विषय 'देवस्तुति है, तो ब्राह्मणों का मुख्य विषय 'विधि' और 'अर्थवाद' है। विषय की दुरुहता होने के कारण ही सम्भवतः इन ग्रन्थों की भाषा सरल और प्रसादगुण युक्त है। आख्यानों में यथास्थान देकर शैली को रोचक बनाया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों की वैदिक भाषा पर लौकिक संस्कृत का किंचित प्रभाव दिखाई देता है।

आज अनेक ब्राह्मण ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनको वेदानुसार इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(अ) ऋग्वेदीय ब्राह्मण— (1) ऐतरेय ब्राह्मण (2) कौषीतकि ब्राह्मण (या शांखायन ब्राह्मण) (आ) शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण— (3) शतपथ ब्रह्मण (इ) कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण— (4) तैत्तिरीय ब्राह्मण (ई) सामवेदीय ब्राह्मण— (5) पंचविंश ब्राह्मण (6) षड्विंश ब्राह्मण (7) सामविधान ब्राह्मण (8) आर्षेय ब्राह्मण (9) दैवत ब्राह्मण (10) छान्दोग्य ब्राह्मण (11) संहितोपनिष्ट ब्राह्मण, (12) वंश ब्राह्मण (13) जैमिनीय ब्राह्मण, (उ) अथर्ववेदीय ब्राह्मण— (14) गोपथ ब्राह्मण

इन सबमें 'शतपथ' ब्राह्मण सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें 100 अध्याय हैं और दर्शपौर्णमास अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, वाजपेय, राजसूय, अग्निरहस्य अश्वमेघ, पुरुष मेघ आदि योगों का विस्तृत विवरण है। ब्राह्मण साहित्य अन्तन्त्य विशाल है और वैदिक यागानुष्ठानों के सूक्ष्य विवरण को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त तत्युगीन धार्मिक, सामाजिक दार्शनिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को प्रकाशित करने के कारण वैदिक वाड्मय में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

(3) आरण्यक ग्रन्थ

आरण्यक ग्रन्थों का आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक है। ये अपने नाम के अनुसार ही अरण्य या वन से सम्बद्ध है। जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे आरण्यक कहते हैं। इनमें मुख्यरूप से आत्यविद्या और रहस्यात्मक विषयों का विवरण है। वन में रहकर स्वाध्याय और धार्मिक कार्यों में लगे रहने वाले वानप्रस्थ-आश्रमवासियों के लिए इन ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है आरण्यक ग्रन्थों में प्राणविद्या की महिमा का विषेश प्रतिपादन किया गया है। आरण्यक ग्रन्थ वस्तुतः ब्राह्मणों के परिशिष्ट भाग हैं और उपनिषदों के पूर्वरूप/उपनिषदों में जिन आत्यविद्या, सृष्टि और तत्वज्ञान विषयंक गम्भीर दार्शनिक विषयों का प्रतिपादन है, उसका प्रारम्भ आरण्यकों में दिखलायी देता है। इस प्रकार वैदिक तत्वमीमांसा के इतिहास में आरण्यकों का विशेष महत्व है।

आरण्यकों का देवानुसार इस प्रकार परिचय प्राप्त किया जा सकता है।—

(अ) ऋग्वेदीय आरण्यक (1) ऐतेरय ग्रन्थ (2) कौषीतकि ग्रन्थ— या (शांखायन ग्रन्थ) आरण्यक (आ) शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक (3) बृहदाण्यक (इ) कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक— (4) तैत्तिरीय आरण्यक और (5) मैत्रायणीय आरण्यक (ई) सामवेदीय आरण्यक— (6) तवलकार आरण्यक और (7) छान्दोग्य आरण्यक (उ) अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है।

आरण्यक ग्रन्थ यज्ञ के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने के कारण वैदिक वाङ्मय में विशेष महत्व के माने जाते हैं। अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों की प्राप्ति के कारण यह साहित्य अत्यन्त उपादेय है। ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों के वर्ण्यविषय और भाषा शैली के विकास का अध्ययन करने के लिए इसका महत्व मध्य में स्थित एक कड़ी जैसा भी है।

(4) उपनिषद्-ग्रन्थ

वैदिक वाङ्मय का अन्तिम भाग होने से उपनिषदों को 'वेदान्त' भी कहते हैं। या फिर सम्पूर्ण वेदों का सार होने से ही ये वेदान्त हैं। उपनिषद शब्द की निष्पति 'उप और 'नि' उपसर्ग के साथ सद् धातु से हुई है इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ है—ज्ञान के लिए गुरु के समीप सविनय बैठना। सद् धातु के अन्य तीन अर्थ हैं—विशरण (विनाश), गति (प्राप्त करना) और अवसादन (शिथिल होना)। अतः 'उपनिषद्' उस विद्या का नाम है, जिसके अनुशीलन से मुमुक्षओं की अविद्या का विनाश होता है, ब्रह्म की उपलब्धि होती है और दुःख शिथिल हो जाते हैं। वैदिक धर्म के मूल तत्वों का प्रतिपादन करने वाली 'प्रस्थानत्रयी' ये ब्राह्मण सूत्र और गीता के साथ उपनिषदों को भी गिना जाता है।

उपनिषदों की संख्या के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद हैं। इनकी संख्या 10 से लेकर 200 तक बताई जाती है। मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गयी है पर आठवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जिन उपनिषदों पर भाष्य लिखा है उनको ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमाणिक माना जाता है। मुक्तिकोपनिषद में दस मुख्य उपनिषदों को गिनाया गया है—ईश, केना कठ, प्रश्न, मुण्डक, तैत्तिरीय, ऐतेरय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक। आचार्य शंकर ने इन दस उपनिषदों पर माष्य लिखा है और तीन कौपीतकि, श्वेताश्वतर और मैत्रायणीय उपनिषदों का और उल्लेख किया है। अतः प्राचीन उपनिषदों के रूप में इन तेरह उपनिषदों को ही प्रमाणिक बताया जाता है।

श्री ह्यूम ने इन तेरह उपनिषदों का ही अंग्रेजी में अनुवाद किया है

उपनिषदों के अनेक प्रकार से वर्गीकरण किए जाते हैं। जिनमें दो दृष्टिकोण अधिक प्रचलित हैं।

(1) **वेदानुसार वर्गीकरण** प्रत्येक उपनिषद का किसी न किसी वेद से सम्बन्ध है अतः 108 उपनिषदों को इस प्रकार बांटा जाता है।

1. ऋग्वेदीय उपनिषदें—ऐतेरय; कौपतिकि आदि 14 उपनिषदें
2. शुक्ल युजर्वेदीय उपनिषदें—ईश, बृहदारण्यक आदि 19 उपनिषदें
3. कृष्ण युजर्वेदीय उपनिषदें—कठ, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर आदि 32 उपनिषदें
4. समावेदीय उपनिषदें—केन छान्दोग्य आदि 16 उपनिषदें
5. अथर्ववेदीय उपनिषदें—प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य आदि 31 उपनिषदें।

(2) **विषयानुसार वर्गीकरणः—** 108 उपनिषदों को विषयानुसार इस प्रकार छह भागों में बांटा जाता है—

1. वेदान्त के सिद्धान्तों पर निर्भर 24 उपनिषदें
2. योग के सिद्धान्तों पर निर्भर 20 उपनिषदें
3. सांख्य के सिद्धान्तों पर निर्भर 16 उपनिषदें
4. वैष्णव सिद्धान्तों पर निर्भर 14 उपनिषदें।
5. शैव सिद्धान्तों पर निर्भर 14 उपनिषदें
6. शाक्त और अन्य सिद्धान्तों पर निर्भर 18 उपनिषदें।

विभिन्न विषयों पर इतनी बड़ी संख्या में उपनिषदों के होने का प्रधान कारण यही रहा है कि सभी मतों के अनुयायियों ने अपने-अपने मत के प्रवर्तन के लिए उपनिषदों की सत्ता को महत्वपूर्ण माना है।

वेदों में जो दार्शनिक और आध्यात्मिक चिन्तन यत्र-तत्र दिखाई देता है। वही परिपक्व रूप में उपनिषदों में निबद्ध है। उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मविद्या का प्रतिपादन है जिसके अन्तर्गत इस और आत्या के स्वरूप उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गयी है। आत्मज्ञानी के स्वरूप, मोक्ष के स्वरूप आदि अवान्तर विषयों के साथ ही विद्या, अविद्या श्रेयस, प्रेयस, आचार्य आदि तत्सम्बद्ध विषयों पर भी भरपूर चिन्तन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। कह सकते है कि भारत की समग्र दार्शनिक चिन्तन धारा का मूल स्रोत उपनिषद् साहित्य ही है। इससे दर्शन की जो विभिन्न धाराएं निकली हैं उनमें वेदान्त दर्शन का अद्वैत सम्प्रदाय प्रमुख हैं। ईशाखास्योपनिषद को सम्पूर्ण गीता का मूल माना जा सकता है। मुण्डक उपनिषद्, केन उपनिषद्, माण्डूक्य उपनिषद् आदि दूसरे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय उपनिषद् हैं।

(5) वेदाङ्ग साहित्य 'वेदाङ्ग वैदिक वाङ्मय का अन्तिम भाग हैं। वेदाङ्ग विद्या अति प्राचीन है क्योंकि यास्क ने निसक्त के प्रारम्भ में लिखा है कि अति प्राचीनकाल में ऋषियों ने वेदों के साथ वेदाङ्गों का प्रणयन भी किया था। वैदाङ्ग का अर्थ है—वेद का अङ्ग। अंङ्ग वे उपकारक तत्व होते हैं, जिससे किसी के स्वरुप का बोध होता है। अतः वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान के लिए जिन साधनों की आवश्यकता थी, उन्हें 'वेदांग' नाम दिया गया। वेदांगों से वेद के मन्त्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या और विनियोग आदि का ज्ञान होता है।

मुण्डको परिषद् में आचार्य आंगिरा ने शौतक मुनि को छह वेदाङ्गों के नाम बताएं हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुतक, छन्द और ज्योतिष। पाणिनीय शिक्षा में वेद-पुरुष के छह अंगों के रूप में छह वेदांगों का वर्णन हुआ है। छन्द वेदपुरुष के पैर हैं कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त कान हैं, शिक्षा नासिका है और व्याकरण मुख है। 'वेदाङ्ग साहित्य की रचना का काल वैदिक वाङ्मय का उत्तरवर्ती काल ही माना जाता है अधिकतर वेदाङ्ग्रन्थों की रचना 1500 ई०पू० से 500 ई०पू० के बीच मानी जा सकती है।

(1) शिक्षा

'शिक्षा' का अभिप्राय है स्वर-वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा देना। जैसे पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि बिल्ली जिस प्रकार अपने बच्चे को दांत से पकड़ती है, न तो बच्चे गिरते हैं और न उन्हें दांत गड़ते हैं उसी प्रकार सन्तुलन बनाएं रखकर अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। सम्यक् उच्चारण के लिए मन्त्रों में साथ लगे उदात्त आदि स्वरों का उच्चारण आवश्यक है वेदाध्ययन में शुद्ध उच्चारण पर बहुत बल दिया जाता है। शिक्षा वेदाङ्ग का निरूपण उपनिषद् काल से ही प्रारम्भ हो गया था। तैत्तिरीय उपनिषद् की शिक्षावल्ली में शिक्षा के छह नाम दिए गए हैं—वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और सन्तान। उपलब्ध शिक्षा ग्रन्थों की संख्या 34 है। पणिनीय शिक्षा नारदीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा व्यास शिक्षा, पराशरी शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, काव्यायनी शिक्षा, आदि उल्लेखनीय

शिक्षा ग्रन्थ हैं। ये शिक्षाएं जिनके नामों से सम्बद्ध हैं वे इनके रचयिता नहीं हैं। इनकी रचना का श्रेय इनके शिष्यों को है। प्रातिशाख्य ग्रन्थ शिक्षा वेदाङ्ग के प्राचीनतम प्रतिनिधि हैं। प्रातिशाख्य नाम से ही स्पष्ट है कि प्रत्येक वेद का अपना प्रातिशाख्य होना चाहिए। वेद का सांगोपांङ्ग व्याकरण प्रातिशाख्य नहीं है बल्कि इनमें वर्णविचार, पद विचार, संधियां, स्वर प्रक्रिया आदि पर विचार किया जाता है। ऋक प्रतिशाख्य वाज सनेयि प्रतिशाख्या/तैतिरीय प्रातिशाख्य आदि कुछ मुख्य प्रातिशाख्य हैं।

(2) कल्प

वेदाङ्गों में कल्प का नितान्त महत्वपूर्ण और प्राथमिक स्थान है। 'कल्प' का अर्थ है— वेद में विहित कर्मों का क्रमपूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र। अतः वैदिक ग्रन्थों में जिन यज्ञ-यगादि तथा उपनयनाविद्वाहादि कर्मों का प्रतिपादन किया गया है, उन्हीं का क्रमबद्ध विवरण करने वाले सूत्र ग्रन्थ 'कल्प' कहलाते हैं कल्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं—

(1) श्रौतसूत्र, जिनमें ब्राहा ग्रन्थों में वर्णित श्रौत अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ-भागों का वर्णन है; जैसे— दर्शपूर्णमास, अग्रयाधान, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य आदिम।

(2) गृहयसूत्र, जिनमें गृहाग्नि में होने वाले भागों का वर्णन है जैसे विवाह, उपनयन, अन्तेष्टि आदि

(3) धर्मसूत्र, जिनमें चतुवर्ण तथा चारों आश्रमों के कर्तव्यों, विशेषतः राजा के कर्तव्यों का प्रतिपादन है।

(4) शुल्वसूत्र, जिनमें वेदि के निर्माण आदि का वर्णन है।

इन चारों प्रकार के सूत्रग्रन्थों में अनके ग्रन्थों का समावेश किया जाता है। आश्वलायंन श्रौतसूत्र, आश्वलायन गृहयसूत्र, कात्यायन श्रौतसूत्र, पारस्कर गृहयसूत्र, बौधायन श्रौतसूत्र, मानव श्रौतसूत्र, आपस्तम्ब कल्पसूत्र, आपस्तम्बर धर्मसूत्र, वसिष्ठ धर्म सूत्र आदि अनेकानेक ग्रन्थों से कल्प साहित्य अत्यन्त समृद्ध हैं।

(3) व्याकरण

'व्याकरणम' नामक वेदाङ्ग पद-पदार्थ, वाक्य,-वाक्यार्थ की अभिव्यक्ति तथा प्रकृति प्रत्यय के विश्लेषण का साधन है। व्याकरण शब्द का शाविदक अर्थ है जिसके द्वारा प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है। कात्यायन और पतंजलि ने व्याकरण के पांच प्रयोजन बताए हैं। रक्षा, अह, आगम, लघु और असन्देह। व्याकरण का प्राचीन रूप 'निर्वचन' आदि ब्राहाण ग्रन्थों में मिलता है। ब्राहणग्रन्थों के बाद प्रतिशाख्य ग्रन्थ व्याकरण के प्रारम्भिक और व्यवस्थित रूप है। यास्क ने निरूत में भी व्याकरण के कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। प्राचीन ग्रन्थों में महेश्वर आदि 15 वैयाकरणों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में आपिशलि, काश्यप आदि 10 वैयाकरणों का उल्लेख किया है। पाणिनि का व्याकरण वैदिक और लौकिक संस्कृत दोनों से सम्बद्ध माना जा सकता है। क्योंकि इसमें लगभग 500 सूत्र वैदिक व्याकरण के विषय में ही पाणिनि से पहले ऐन्द्र व्याकरण की रचना के निर्देश यत्र-तत्र मिलते हैं।

(4) निरूक्त

'निसक्त' वेदाङ्ग का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ आज मिलता है। जिसके रचयिता यास्क हैं निरूक्त वस्तुतः 'निघण्टु' की टीका है। 'निघण्टु' में वेद के कठिन शब्दों का समुच्चय किया गया है। 'निघण्टु' एक प्रकार का वैदिक शब्द कोष है, जिससें कुल 1341 शब्द परिगणित हैं। इसके प्रथम तीन अध्याय 'नैघण्टुक काण्ड' चतुर्थ अध्याय 'नैगम काण्ड' और अन्तिम अध्याय दैवत काण्ड' कहलाता है। यास्क ने निघण्टु के 230 शब्दों का निर्वचन किया है।

वेदार्थानुशीलन में यास्क के निरूक्त का बड़ा महत्व है। यह भाषाविज्ञान, अर्थ विज्ञान, शब्द निर्वचन शास्त्र और शब्द व्युत्पति की दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखता है मैक्समूलर ने लिखा है कि यास्क ने जितने संतोषजनक रूप से अनेक शब्दों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है, उतना आज के वैज्ञानिक युग में भी सन्दिग्ध है। यास्क के निरूक्त पर दुर्गाचार्य, स्कन्द, महेश्वर और वररूचि की टीकाएं उपलब्ध होती हैं।

(5) छन्द

वैदिक मन्त्रों के सम्यक् उच्चारण के लिए छन्द का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। छन्द शास्त्र को वेदाङ्गओं में इसीलिए स्थान दिया गया है। छन्दोज्ञान की महत्ता पर आर्षेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो कोई छन्दादि के ज्ञान के बिना मन्त्र या ब्राह्माण से यज्ञ करता है या पढ़ाता है, वह स्थाणुत्व को प्राप्त करता है या गढ़ढे में गिरता है या पापी होकर मर जाता है।" अतः प्रत्येक मंत्र के छन्द का ज्ञान श्रेयस्कर है। वेदों में सात छन्द प्रसिद्ध है—गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। वैदिक छन्दों में पादों की संख्या नियमित नहीं होती है। वैदिक छन्दों का आधार अक्षर गणना है। छन्द सम्बन्धी कोई स्वतंत्र वैदिक ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होता है। छन्दों का प्राचीनतम वर्णन दैवताध्याय ब्राह्मणा में मिलता है। किस प्रकार व्याकरणों में पाणिनिकी' अष्टाध्यायी प्रसिद्ध ग्रन्थ है, उसी प्रकार छन्दशास्त्रों में पाणिनि के अनुज पिङ्गल की 'छन्दोविचिति' नामक अष्टाध्यायी अति प्रसिद्ध है, जो आज भी उपलब्ध है?

(छ) ज्योतिष

वेदों के लिए 'ज्योतिष' वेदाङ्त्र का महत्व निर्विवाद है। शुभ मुहुत में यज्ञ सम्पादन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। वैदिक यागों में तिथि, नक्षत्र, पक्ष, मास, ऋतु तथा सम्वत्सर आदि का सूक्ष्य विधान होता है। ज्योतिष काल विज्ञान शास्त्र है। वेदाङ्ग ज्योतिष नामक ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त होता है। इसका दो वेदों से सम्बन्ध है (1) यजुर्वेद से, याजुष ज्योतिष, इसमें 43 श्लोक हैं। (2) ऋग्वेद से, आर्च ज्योतिष, जिसमें 36 श्लोक है। इसका कर्ता आचार्य 'लगधा' माना जाता है। शंकर बाल कृष्ण दीक्षित ने वेदांङ्ग ज्योतिष का समय 1400 ई० पू० माना है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य' चन्द्र, गृह तथा नक्षत्रों की गति का निरीक्षण, परीक्षण, एवं निवेचन होता है। सौर तथा चान्द्र मासों की गणना होती है। यज्ञिय कार्यों के लिए चान्द्र मास को मुख्य माना जाता है।

(7) अनुक्रमणिकाएं

वेदाङ्गो के अतिरिक्त वैदिक वाङ्मय में अनुक्रमणिकाएं भी उल्लिखित की जाती हैं, जो वेदों से सम्बद्ध है। इनमें देवताओं, छन्दों, विषयों की विस्तृत सूचियां होती है। लगभग सभी वेदों की अपनी-अपनी अनुक्रमणिकाएं हैं। ऋगवेद के देवताओं का रहस्य बताने वाला

'बृहद्देवता' नामक ग्रन्थ अनुक्रमणी साहित्य का विशिष्ट ग्रन्थ है, जिसके रचयिता शौमक है। काव्यायीन की ऋक्सर्वानुक्रमणी' और शौतक की आर्षानुक्रमणी आदि सात अनुक्रयणियां विशेष उल्लेखनीय हैं जो ऋग्वेद से सम्बद्ध है। अनुक्रमणी साहित्य विशाल है और वेदार्थानुशीलन में सहायता पहुंचता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विविध विधाओं के अनेक ग्रन्थों से समलंकृत होता हुआ वैदिक वाङ्मय वह विशाल साहित्य है जो विषय और भाषा की दृष्टि से विश्व में अद्वितीय है।

रीडर, संस्कृत विभाग,
मैत्रेयी कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली

□□□

□ □ □

हिंदी नारेः कितने न्यारे

(1) हिंदी हो सबकी पहचान
मिलकर बोलो एक जबान
(2) एक लक्ष्य बस एक ही काम
गूजें हिंदी चारों धाम
(3) जितनी जाति, उतनी भाषा
लेकिन हिंदी, सबकी भाषा
(4) एकता के लिए हिंदी जरुरी
बिना इसके प्रगति अधूरी
(5) संविधान का रहे सम्मान
हिंदी सीखें सभी इन्सान
(6) देश प्रेम कण-कण में
हिंदी प्रेम जनगण में
(7) सक्षम, सरल भाषा है हिंदी
और यही है देश की बिंदी

भारतीय भाषा संगम

—पंजाबी कविता

घर घर

कविः सुरजीत पातर

रूपांतरकारः फूलचंद मानव

मैं छतरी जितना आकाश हूँ गूंजता हुआ
हवा की सनसनाहट का पंजाबी अनुवाद हूँ
अजीबो गरीब पेड़
हज़ारों रंगीन वाक्यों से बिंधा हुआ
छोटा-सा भीष्म पितामा हूँ।

मैं तुम्हारे प्रश्नों का क्या उत्तर दूं?
महात्मा बुद्ध और गुरू गोविन्द सिंह
परमो धर्म अहिंसा और बेदाग़ चमकती शमशीर की
मुलाकात के स्थान के वास्ते मैं बहुत ग़लत शहर हूँ।

मेरे लिए तो पत्नी का बाहुपाश भी कटघर है
क्लास-रूम का लैक्चर-स्टैंड भी
और चौराहे की रेलिंग भी।

मैं तुम्हारे प्रश्नों का क्या उत्तर दूं?
मुझ में से नेहरु भी बोलता है और कामू भी
वायस ऑफ अमेरिका भी, बी० बी० सी० भी।

मुझ में से बहुत कुछ बोलता है
नहीं बोलता
तो बस मैं ही नहीं बोलता।

— ० -

—पंजाबी कविता

माला तक

कवि: पाल कौर
रूपांतरकार: योगेश्वर

हमारे हाथों में होती है एक सुई और उसमें एक धागा
हम अनायास ही मोती-चुगते और पिरोने लगते हैं
जो मोती मन को भाता है
और जो हमारे हाथ में आता है, पिरो लेते हैं
और बनने लगता है एक हार
इस हार को गले पहन हम खूब नाचते हैं, लेकिन सह नहीं सकता
वह धागा, हमारे नाचने व उन अनेक मोतियों का भार
और अचानक एक दिन टूट जाता है धागा, गिर जाते हैं कुछ मोती
फिर गांठ लगाते हैं अपने हाथों पक्की
और फिर पहन लेते हैं उसे गले में फिर धागा टूटता है
और फिर .. ऐसे मोती गिरें, धागा टूटे
और अन्य मोती-चुगकर पिरोने का, सिलसिला चलता रहता है
जब तक यह हार गले में पहनने लायक होता है
हम पहनते रहते हैं
और फिर इतने भर रह जाते हैं मोती
और टूट टूटकर कर रहा जाता है, धागे का भी इतना आकार
कि एक माला बन जाता है यह हार!
फिर दो ही होते हैं विकल्प
कि इस माला को पकड़ इसके आकार पर परेशान हों
बहाते रहें आसूं गुमशुदा मोतियों और टूट चुकें धागे के लिए
और या फिर इस माला के मोतियों को मनके बना
बिना गिने इन्हें अपने पोरों से सहलाते
अपने अन्दर उतर जाएं
और जान लें उस हार की सच्चाई
इस माला की सार्थकता
और चल पड़ें उसी अव्यक्त-शून्य की यात्रा पर!

— o -

दो हिन्दी कविताएं
(मूल पाठ)

घर

कविः रामदरश मिश्र
रूपातंरकारः प्रो॰ योगेश्वर कौर

यह किसका घर है?
'हिन्दू का'
यह किसका घर?
'मुसलमान का'
यह किसका घर?
'ईसाई का'
शाम होने को आई
सवेरे से ही भटक रहा हूँ
मकानों के इस हसीन जंगल में
कहां गया वह घर?
जिसमें एक आदमी रहता था
अब रात होने को है
मैं कहां जाऊंगा?

— ० -

पंजाबी रूपांतर

घर

बविः डा॰ राम दरश मिश्र
रूपातंरकारः प्रो॰ योगश्वर कौर

एह किसदा घर है?
हिन्दू दा
एह किसदा घर?
मुसलमान दा
एह किसदा?
इसाई दा

आथण होण वाली ए
सबेर तड़के तों भटक रिहां
मकानां दे इस हसीन जंगल विच
कित्थे गिआ ओह घर?
जिस विच इक आदमी रहिन्दा सी
हुण रात होण वाली ए
मैं कित्थे जावांगा?

केवल मैं नहीं हूँ

तुम्हारे लिए लाता रहा
रंग बिरंगे उपहार
लैंडस्केप-रेडियों-टीवी
वीडियो गेम्स, फ्रिज, तरह-तरह के फर्नीचर
और न जाने कितने-कितने उपकरण साज सज्जा के
जब देखा कि मेरा कमरा
एकदम भर गया है इनसे
तो मैं कितना खुश हुआ था
ओं मेरे सुख
अब सोचता हूँ
सभी कुछ तो है इस कमरे में
केवल मैं नहीं हूँ

— ० -

सिरफ मैं नहीं हां

तुहाडे लई लिऔंदा रिहा
रंगीन सुगातां
लैंडस्केप, रेडियो-टीवी
वीडियो गेम्स, फरिज, तरां-तरां दा फरनीचर
अते पता नहीं कित्ने औजार, खिड़ौणे साज सज्जा दे
जद वेखिआ कि मेरा कमरा
इक दम भर गया एन्हां नाल
तां मैं कित्ना खुश होया-सां
हे मेरे सुख, हुण सोचदा हां
सबे कुझ तां है इस कमरे विच
सिरफ मैं नहीं हां

— ० -

पुस्तक समीक्षा

हिंदी साहित्यः रचना और परिवेश

डा० शशि तिवारी

पुस्तक का नाम—हिन्दी साहित्यः रचना और परिवेश, लेखक का नाम—डा० कृष्ण बिहारी मिश्र, प्रकाशक—हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण—प्रथम, 1994, मूल्य—पचास रुपये, पृष्ठ—144

कुछ वर्षों से साहित्यिक और काव्यशास्त्रीय आलोचना को लेकर प्रकाशित हो रही पुस्तकों में एक नयी विधा दिखाई दे रही है। इधर पिछले दिनों ऐसे कई ग्रन्थ प्रकाश में आए हैं, जिनमें या तो किसी एक विषय से सम्बद्ध पक्षों पर अलग-अलग विद्वानों के लेखों का निबंधन हुआ है, या फिर अलग-अलग विषयों या पक्षों पर किसी एक विद्वान के लेखों का निबंधन। प्रस्तुत ग्रन्थ दूसरी कोटि में रखा जा सकता है। इसमें हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान डा॰ कृष्ण बिहारी मिश्र के ऐसे बीस लेखों का संकलन है, जो हिंदी साहित्य के विशिष्ट कवियों की रचनाओं और हिंदी कविता या लेख के परिवेश संबंधी चिंतन से जुड़े हुए हैं। निश्चय ही लेखों का विषय बहुआयामी और गम्भीर है, इसलिए ग्रन्थ का नाम सर्वथा समीचीन और संगत बैठता है।

ग्रन्थ बिना किसी भूमिका के प्रारम्भ हो रहा है, यह यद्यपि अटपटा लगता तथापि हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकारों और हिंदी आलोचना के अनछुए पक्षों पर लेखनी चलाने वाले विद्वान लेखा के प्राक्कथन के कथ्य को अर्थहीन या अनावश्यक सा बना देता है, जब हंम उनके लेखों के अध्ययन और अधिग्रहण में प्रवृत होते हैं प्रथम लेख है "मानस की मौलिकता-एक नवीन समाज दर्शन"। सामाजिकता और नैतिकता को पारस्परिकता का अवमूल्यन समाजदर्शन के विश्लेषण का अंग है। ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और संस्कृत की प्रसिद्ध कृतियों से उद्धरण देकर लेखक ने अपनी बात की पुष्टि व समर्थन किया है। लेख का प्रारम्भिक भाग सचमुच एक प्रान्जल निबंधाश जैसा है, जिससे मौलिक किन्तु शाश्वत विचारों का उद्घाटन हो रहा है। रामचरितमानस की मौलिकता से चिन्तन में लेखक ने मौलिक चिन्तन करते हुए कई नई दृष्टियां सामने रखी हैं यथा युगीन प्रभाव, किंवा आध्यात्मिक अवधारणाओं के वशीभूत होकर तुलसी ने नारी उपेक्षा विषयक कुछ वाक्य कह दिए हैं, अन्यथा उसके मानसिक और चारित्रिक गुणों को यथास्थान स्वीकार किया गया है। इस लेख में सम्पूर्ण चिन्तन सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया है, जो एक उच्चकोटि के शोधग्रंथ के लिए दिशा-निर्देश का काम कर सकता है।

मुगल काल के सामन्तीसाधक रहीम पर लिखे लेख में उनको भक्तिभाव और लोकभावना से एक साथ जुड़ा हुआ सिद्ध किया गया है। यथास्थान दोहों को उद्धृत करके लेखक ने सभी पक्षों पर निकाले गए निष्कर्षों को प्रमाणित करने को प्रयास किया है। रीतिकालीन कवि बि के सौन्दर्य चित्र, आधुनिक युग के सुप्रतिष्ठित कवि निराला के काव्य आंदोलन, छायावादी काव्य की प्रणेत्री महादेवी का मानवीय आदर्शों लिए संघर्ष, भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यभाषा, डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्व का क्रान्तदर्शी आलोचक रूप प्रेमचन्द्र का सामाजिक क्रान्ति का अग्रदूत रूप और हिंदी आलोचना की परम्परा में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल-कुछ लेखों के विषय हैं, जो किसी भी कवि या लेखक के समग्र व्यक्तित्व कृतित्व की पृष्ठभूमि में किंया गया एक पक्षीय और पूर्णतया नूतन चि है। कुछ निबंध किन्हीं काव्यकृति या कविता संग्रह की समीक्षा जैसे कुंवर नारायण की काव्यकृति "आत्मजयी" पर निबंध लिखते हुए डा० उसे निष्पक्ष होकर एक मिथक प्रयोग कहने से नहीं हिचकिचाए हैं "नैसध" नामक ग्यारह कवियों के काव्यसंकलन को उन्होंने निसंकोच से दिशाहीन विद्रोह की कविता शीर्षक से ही समालोचित किया है। प्रकार एक कवि या काव्यकृति को अपने अध्ययन और समालोचन विषय बनाकर इसके तप्त विषयक गहन शोध को निबंधित करते हुए मिश्र ने अर्जुन के लक्ष्य के लिए "चिड़िया की आंख" जैसा एकाग्रता का परिचय दिया है।

समालोचक के लिए जितना आवश्यक है एकांगी सूक्ष्म समाले उतना ही अनिवार्य है—बृहत धरातल पर किया गया समग्र सारगर्भित मंथन। दोनों के लिए तीव्र चिन्तनगति अपेक्षित है किन्तु एव फल भावचिंतन है तो दूसरे का फल युगीन कलचिंतन। डा० कृष्ण बि मिश्र जैसे उद्भत लेखक ही इस प्रकार के द्विविध समालोचक हो हैं। उन्होंने अपने निबंधसंग्रह में रीतिकालीन कवियों का काव्य-शा चिन्तन, आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद, प्रगतिवादी कवित विकास, नयी कविताः मूल्यांकन की मुद्राएं वाम कविता की पा द्विवेदीयुगीन काव्यपरिवेश, अवधी की संघर्षशील कविता और हि तुलनात्मक समालोचना-नामक शीर्षक से लिखे गए निबंधों में सशक्त लेखनी द्वारा अपनी धीर गम्भीर प्रतिभा का परिचय देते हुए साहित्य के मर्म और सर्वस्व को पाठकों के समक्ष सरल, सुबोध आकर्षक भाषा में रख दिया है। हिंदी साहित्य और हिंदी समीक्षा के विषयों पर लिखे गए ये छोटे-बड़े निबंध शोधपर्ण गवेषणात्मक मीमा

ही सामने ला रहे हैं। मंजी हुई भाषा और सारगर्भित शब्दावली से इनका महत्व बढ़ गया है। हिंदी के शोधार्थियों के लिए यह एक उपयोगी निबंध-संग्रह है।

"हिंदी साहित्यः रचना और परिवेश" नामक इस ग्रन्थ से डा० मिश्र की हिंदी समालोचना के क्षेत्र में एक अलग पहचान उभर कर सामने आ रही है। निस्संदेह हिंदी जगत् को उनसे भविष्य में इस प्रकार के और ग्रन्थों की आशा बनी रहेगी।

ग्रन्थ की साजसज्जा, कलेवर और मुद्रण आकर्षक है।

परित्यक्ता

विनीत कुलश्रेष्ठ

"परित्यक्ता" श्री हरीलाल "मिलन" द्वारा रचित एक खंडकाव्य है। रामकथा पर अनेक काव्य रचनाएं की गई हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस, बाल्मीकि रामायण महाकाव्यों में राम को एक आदर्श मानव एवं मर्यादा पुरूषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन राम को मर्यादा पुरूषोत्तम बनाने में सीता के त्याग एवं बलिदान की ओर कम साहित्यकारों का ध्यान ही गया है। इस काव्य में सीता के परित्याग के माध्यम से सीता के प्रेम, पतिव्रत, उत्सर्ग राष्ट्रप्रेम, बलिदान एवं उनके स्वाभिमान तथा सच्चरित्रता को रेखांकित किया गया है। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षमय बीता:

खोने में पाने का वैभव
सुख की निश्चेत चेतना है।
पाकर खोने का ही अशेष
नारी की शेष वेदना है।

प्रखण्ड—1

आज भी नारी को त्याग, बलिदान और प्रेम की मूर्ति माना जाता है तो साथ ही दूसरी ओर वह स्वालम्बन, साहस और कर्त्तव्य-पथ पर भी अडिग रहती है।

वह तृप्ति नहीं, सन्तुष्टि नहीं,
है स्वयं प्यास की प्रत्याश।
है स्वयं समर्पण से होती,
नारी जीवन की परिभाषा।

प्रखण्ड—1

तथा

कर्ण में गूंजे फिर वे शब्द,
"हमारी आहुति में है प्राण।"
"देश की मिट्टी में हे नाथ।
लिखा है वीरों का बलिदान।"

प्रखण्ड—७

"परित्यक्ता" विप्रलंभ श्रृंगार रस का खंडकाव्य है। विरह विदग्धा होते ए भी सीता अपने आंसुओं को रोकना चाहती है जिससे वे राम के र्लक्ष्य पथ में बाधक न बनें:—

रे अश्रु ठहर जा द्वीपों-से
विरहाकुल मानस-मन्थन में।
डूबे न कर्म-पथ जीवन का,
मेरे जीवन-जल प्लावन में।

प्रखण्ड—1

सीता विरह वेदना से व्याकुल होते हुए भी राष्ट्र हित को पति पत्नी के प्रेम संबंध से कम करके नहीं आँकती।

"संबंध सृष्टि के बाद हुए,
पहले मिट्टी से नाता है,
यह जननी सभी पिताओं की,
यह माताओं की माता है।

प्रखण्ड-६

सामान्य रामकाव्यों में कैकेयी को स्वार्थी कपटी महिला के रूप में व्यक्त किया गया है। वह अपने पुत्र भारत को राजा बनाने के लिए राम को वनवास भिजवाती है। इस खंडकाव्य में इसी प्रकार की भूमिका रजक की भी है। रजक तथा उसकी पत्नी के संवाद अपनी नवीनता लिए हुए हैं। सर्वविदित है कि यही संवाद सीता परित्याग का मुख्य कारण बना था।

जन्म भू पति-पत्नी से श्रेष्ठ
लगाती क्यों साधारण अर्थ
जन्म लेते हैं कितने लोग,
त्याग करते हैं निष्ठ समर्थ।

इस खंडकाव्य की रचना परम्परागत छंदों में की गई है। भाषा सहज एवं भाव-प्रवण है। कवि ने प्रचलित रामकथाओं में अभिव्यक्त सीता-परित्याग, वन में लव कुश का जन्म, राम के अश्वमेध यज्ञ में लव-कुश का यज्ञ के घोड़े को रोकना और अंत में सीता का भू-गर्भ में समा जाना जैसी पुराकथाओं को जिस संवेदनशीलता से नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है, वह निस्संदेह सराहनीय है।

सुधी पाठकों को विदित ही है कि इसी विषय पर संस्कृत के महाकवि भव भूति ने "उत्तर रामचरित" की रचना की थी। उनका वह नाटक संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठत्तम ग्रंथों में माना जाता है। प्रस्तुत लेखक के लिए इसी विषय पर खंडकाव्य लिखना एक चुनौती भरा कार्य था। श्री हरीलाल मिलन ने "परित्यक्ता" खंडकाव्य की रचना कर उक्त चुनौती को स्वीकार किया है जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं।

परित्यक्ता (खंडकाव्य) लेखक: हरीलाल मिलन, प्रकाशन: दुर्गावती प्रकाशन, बस्ती—उ० प्र० मूल्य ४८ रू०, पृष्ठ संख्या १३५, पेपर बैक संस्करण, क्राउन आकार।

टिप्पण एवं प्रारूपण निर्देशिका

गिरीश चन्द्र पाण्डे

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास हवाई अड्डा, मद्रास में कार्यरत हिंदी अधिकारी डा० चन्द्रपाल द्वारा टिप्पण एवम् प्रारूपण लेखन के संबंध में द्विभाषी रूप में लिखित यह पुस्तक निश्चित रूप से हिंदी में काम करने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उपयोगी है। इस पुस्तक में लेखक ने मानक मसौदे तथा फार्मों का द्विभाषी रूप में प्रकाशन कर उसके सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक दोनों पहलुओं की जानकारी से पाठकों को अवगत कराया है। पुस्तक को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चार अध्ययों में विभक्त कर जहां एक ओर टिप्पण एवं प्रारूपण (नोटिंग एण्ड ड्राफ्टिंग) की मूल जानकारी, उसके बाद विशेषताओं तथा कार्यालय में नित्य-प्रति प्रयोग में आने वाले महत्वपूर्ण वाक्यांशों तथा सामान्य टिप्पणियों के बारे में सूचना दी गई है, वहीं दूसरी ओर कार्यालय उपयोग में आने वाले फार्म तथा मानक मसौदों का द्विभाषी रूप में प्रस्तुत कर लेखक ने उन कर्मचारियों की कठिनाइयों को भी दूर करने का प्रयास किया है जो चाहते हुए भी हिंदी में गलती होने की झिझक से अपना राजकार्य हिंदी में नहीं कर पाते और फलस्वरूप न चाहते हुए भी राजभाषा हिंदी के बजाय अंग्रेजी का सहारा लेते हैं।

इस पुस्तक की सबस महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे मूल रूप में हिंदी में तैयार किया गया है लेकिन उसका अंग्रेजी में भाषान्तर केवल इस दृष्टि से किया गया है कि हिंदी का कम बोध रखने वाले कर्मचारी भी अंग्रेजी के माध्यम से टिप्पण एवम् प्रारूपण के सिद्धान्तों, प्रकारों, विशषताओं और महत्वपूर्ण वाक्याशों, टिप्पणियों आदि के उपयोग की समुचित जानकारी से अवगत हो सके। साथ ही इस पुस्तक में दिए गए प्रारूपों के उपयोग से कोई भी आवेदक अपनी अपेक्षानुसार अपना आवेदन या अभ्यावेदन सुविधापूर्वक हिंदी में भरकर दे सकता है और राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

पुस्तक का आकार एवं उसकी साज-सज्जा भी सुन्दर है। पुस्तक में कुल 136 पृष्ठ हैं। पुस्तक का आवरण भी हल्के नीले तथा सफेद रंग में है, जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आवरण पृष्ठ के पीछे की ओर राजभाषा हिंदी का संक्षिप्त रूप में संवैधानिक परिचय दिया गया है। और अन्तिम पृष्ठ में राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 की संक्षिप्त रूप में महत्वपूर्ण जानकारी देकर लेखक ने पाठकों को राजभाषा हिंदी की अद्यतन संवैधानिक स्थिति से अवगत कराने में अहम् भूमिका निभाई है।

निश्चित रूप से यह पुस्तक राजभाषा के कार्यान्वयन में सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से उपयोगी है। कोई भी पाठक इस पुस्तक के पठन, मनन एवं व्यवहार में लेखन से राष्ट्रसेवा में अपना अमूल्य योगदान दे सकता है और राजभाषा की श्रीवृद्धि में सहायक हो सकता है।

चुनौतियों का चक्रव्यूह

शांति कुमार स्याल

पुस्तक का नामः चुनौतियों का चक्रव्यूह, लेखकः राम शरण जोशी, प्रकाशकः सामयिक प्रकाशन, 3543, जटवाड़ा, दरियागंज, नई दिल्ली-2, मूल्यः 125 रुपए।

आज विश्व भर में राजनीति की देशान्तर रेखाएं तथा विभाजक रेखाएं धुंधली हो कर गायब हो रही हैं। असंख्य घोषणाओं के बावजूद दुनियां बदल रही है। विचारधारात्मक चिंतन का भी अभाव दिख रहा है। लेकिन इस कठिन समय में रहने और उसके जोखिमें को समझने की कोशिश कई चिंतकों ने की है।

श्री राम शरण जोशी द्वारा प्रस्तुत लेखों का संकलन जिनमें शोध की गहराई और पत्रकारिता की त्वरा का भी संगम है ऐसे प्रतिबद्ध लेखन का अदभुत उदाहरण है। इस संग्रह में भारतीय उदाहरण है। इस संग्रह में भारतीय जनता के इतिहास को समझने पर बल दिया गया है। लेखक ने 'क्या इतिहास का पिंडदान मुमकिन है' तथा 'इतिहास का फिसल जाना' में बराबर इतिहास शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है। यदि किसी थिर विचारधारा के मसीहाओं का पतन हो जाता है तो महज इसी के चलते यह कैसे मान लिया जाए कि इतिहास-चक्र काल के कीचड़ में धंसकर थम गया है।

वास्तव में यह जानना महत्वपूर्ण है कि आज एक नए युग का उदय हो चुका है। नए युग में नए संघर्षों के नए आकार सामाजिक-आर्थिक सैन्य राजनीति क्षितीज पर उभरते हुए दिखाई देंगे। अंततः ऐसे नए तनावों के मध्य से ही नया विश्व उभरेगा। 'इस जंग के जख्म पूरी दुनिया को मिलेंगे' शीर्षक लेख में श्री जोशी विश्व महाप्रभु द्वारा इराक जैसे छोटे देश के साथ इस युद की बहुआयामी प्ररिप्रेक्ष्य में रखकर इतिहास की विस्तृत पलक पर रखकर आंकते हैं।

'उदारीकरण और आंशकाएं' लेख में आर्थिक प्रक्रियाओं और परिणामों को 'उदारीकरण, सुधार और सकारात्मक मूल्य संवोधनों से अभिहित किया है। तथा अपनी आपत्तियां व आंशकाएं प्रकट की हैं।

'मुख्य धारा की अवधारणा' लेख में मुख्य धारा की मिथ्या अवधारणा की परत—दर-परत उधार कर रख देती हैं। 'नेतृत्व संकट की चपेट में तीसरी दुनियां' में तीसरी दुनियां की अवधारणा, 'एक आकारहीन राजनीति' एवं 'नेतृत्व का सवाल' जैसे लेखों में नेतृत्व की अवधारणा तथा 'समृद्ध भूमि और निर्धन लोग' जैसे लेखों में निर्धनता की गई परतों पर नए ढंग से कई सवालों को उछाला गया हैं। "चुनौतियों का चक्रव्यूह", 'खुरदरे नेतृत्व की दस्तकें', 'राजसत्ता की खिदमत में तैनात थे जिन्ना" आदि लेखों में वर्तमान भारतीय राजनीति से संबंधित ध्यान अकर्षित किया गया है। 'साम्प्रदायिकता बनाम धर्म निरपेक्षता' लेख में सत्ता-प्रतिष्ठान की दिशा हीनता पर प्रकाश डाला गया है।

क्या आरक्षण से वर्ण-सत्ता ध्वस्त होगी' लेख में आरक्षण संबंधी नए प्रश्न और परिप्रेक्ष्य सामने आते हैं। 'राष्ट्रीय आम सहमति', 'डोन्ट डिस्टर्ब, हम सो रहे हैं', 'पूंजीवाद स्वयंभू मसीहा' आदि लेखों में लेखक ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रशंसनीय काम किया है।

आशा है पाठक इन्हें एक साथ प्रकाशित देखकर और पढ़कर लाभान्वित होंगे।

राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

ए डी आर डी ई, आगरा में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों का प्रथम सम्मेलन

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों का प्रथम सम्मेलन 27-28 अप्रैल, 95 को ए डी आर डी ई, आगरा में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ए डी ई, बेंगलूर के निदेशक डॉ० के०जी० नारायणन ने राजभाषा कार्यान्वयन की समस्याओं तथा समाधान कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए मानकों में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल, एस०एन० मलिक, महानिदेशक काम्बेट व्हीकल्स ने डी आर डी ओ के वैज्ञानिकों से तकनीकी शोषण मुक्त राष्ट्र के निर्माण का आह्वान किया। जनरल मलिक ने कहा कि शोधकार्य जनसामान्य के लिए वैज्ञानिक साहित्य राजभाषा में तैयार करने की जिम्मेदारी देश के वैज्ञानिकों पर है। इस मौके पर जनरल मलिक ने राजभाषा सम्मेलन के आयोजकों को बधाई दी।

संगठन मुख्यालय में संगठन पद्धति एवं राजभाषा निदेशक डॉ एस० के० शर्मा ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर डा० शर्मा ने महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्देशों का हवाला देते हुए प्रयोगशालाओं में राजभाषा के कार्यान्वयन के अनुपालन पर जोर दिया। डा० शर्मा ने रक्षामंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा दिए विजन की चर्चा की और राजभाषा तथा भारतीय भाषाओं में अच्छा तालमेल बनाने की योजना पर बल दिया। राजभाषा निदेशालय एक शार्ट टर्म तथा लॉग टर्म योजना तैयार कर रहा है जो सभी को भेजा जायेगा।

इस सम्मेलन में ए डी आर डी ई के अतिरिक्त निदेशक श्री आई० हुसैन ने सम्मेलन की सफलता के लिए रक्षामंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ कलाम, मुख्य सलाहकार (तकनीकी) श्री संथानम, मुख्य नियंत्रक श्री के०एन० सिंह, डॉ वी के आत्रे व ले० जनरल अजय सिंह के संदेश पढ़कर सुनाए।

निदेशक ए डी आर डी ई, आगरा श्री एस कृष्णासामी ने सभी आगंतुकों, मुख्य अतिथि एवं सम्मेलन के सत्र अध्यक्षों का स्वागत किया।

सम्मेलन के तीसरे सत्र की अध्यक्षता करते हुए आर ए सी के चेयरमैन प्रो० सी०एस० झा ने खुलकर अपने विचार रखे। प्रो० झा का मानना है कि अगर सीनियरस तथा निदेशकगण राजभाषा में काम करना अपना दायित्व समझने लगें तो अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी स्वयं राजभाषा में काम करना शुरू कर देंगे। प्रो० झा ने राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अन्तर की भी व्याख्या की।

रक्षा मंत्रालय के राजभाषा निदेशक श्री मणिराम तथा राजभाषा समिति से आए अवर सचिव श्री प्रेमसागर ने भी कांफ्रेंस को संबोधित किया।

इस सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य नियंत्रक (एन एस) वाइस एडमिरल रवि कोहली ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने सुझाव देते हुए बात पर जोर दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि अपने अधिकारियों को राजभाषा में कार्य करने के लिए प्रेरित करें और भाषा को सरल से सरल बनाने का प्रयास करें। एडमिरल कोहली ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी में हस्ताक्षर करने चाहिए।

इस अवसर पर अन्य प्रयोगशालाओं / स्थापनाओं से आए राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों ने अपने विचार रखे। जिसमें ग्वालियर के डा० आर वी स्वामी, बम्बई के डा० पी० सी० देव, एन पी ओ एल कोचीन के श्री ए एस राममूर्ति, जोधपुर के डा० रामगोपाल, दिल्ली से डा० एम०एस० सिंह, देहरादून के डा० आर एन सिंह, हैदराबाद से श्री ए०के० चक्कर, डिपास से श्री हरिहर राय प्रमुख थे।

एडमिरल कोहली ने मूल लेखन के प्रोत्साहन के तीन पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वाले बम्बई के श्री स०सि० गन्ती (तृतीय) देहरादून के डा० गोपाल कृष्ण शर्मा तथा श्री गजेन्द्र प्रसाद डिमरी द्वितीय तथा चंडीगढ के डा० इन्दु प्रकाश, वैज्ञानिक "ई" प्रथम हैं।

आकाशवाणी बीकानेर

आकाशवाणी बीकानेर का 32वां स्थापना समारोह

आकाशवाणी बीकानेर की 32वीं वर्षगांठ (28 अप्रैल 1995) बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर केन्द्र द्वारा दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।

दिनांक 27.4.95 को केन्द्र के राजभाषा एकांश एवं कार्यक्रम अनुभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। केन्द्र के संगीत स्टूडियो में आयोजित इस संगोष्ठी में केन्द्र से जुड़े नगर के गणमान्य एवं प्रतिष्ठित विद्वानों, पत्रकारों, कलाकारों और चिंतकों को आमंत्रिक किया गया। आकाशवाणी की विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका और योगदान पर केन्द्रित इस संगोष्ठी में काजरी के प्रभारी डॉ. एम.एल. ब्यास ने कहा कि खेती की नई तकनीक, खादों के प्रयोग, पशुपालन, बाजार भाव, सिंचाई के तरीके जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के कृषि विकास में आकाशवाणी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कृषि विश्वविद्यालय के प्रो० श्यामलाल माथुर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अशिक्षित लोगों तक आकाशवाणी द्वारा ज्ञानपूर्वक बातें पहुंचती हैं जिन्हें वे ग्रहण कर अपना विकास करते हैं। अपने पत्रवाचन में श्री केदारनाथ रंगा ने आकाशवाणी बीकानेर के इतिहास की विस्तृत जांनकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कीमा से जुड़े राजस्थान के केन्द्रों की प्रसारण क्षमता बढ़ाने पर बल दिया।

सुप्रसिद्ध कथाकार श्री यादवेन्द्र शर्मा "चन्द्र" ने इस अवसर पर व्यक्त किया कि हिंदी व राजस्थानी भाषाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार में आकाशवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने आशा प्रकट की कि लेखकों, वार्ताकारों नाटककारों के आकाशवाणी से सौहाद्रपूर्ण सामिप्य से इसका और विकास होगा।

लोक संस्कृति के उन्नयन में आकाशवाणी की भूमिका पर चर्चा करते हुए डूंगर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एवं महाकाव्यालोचक डॉ देवी प्रसाद गुप्त ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक सर्वोपरि है। लोक चेतना और प्रेरणा से अनुप्रेरित होकर किया गया कार्य लोक उन्नयन ही कहा जायेगा। उन्होंने कहा कि यह सर्वथा सत्य है कि आकाशवाणी ने लोक संस्कृति के उन्नयन में महति भूमिका निभाई है। इसी प्रसंग में उन्होंने यह सुझाव दिया कि आकाशवाणी की अलग पहचान हो इस हेतु केन्द्र स्तर पर अनुसंधान और विश्लेषण प्रकोष्ट कायम किये जाने चाहिए जो साहित्य, कला, संगीत, परंम्पराओं और प्रथाओं का स्थाई अभिलेख रख सके।

इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरूआत विभागीय कलाकार श्री अब्दुल शकूर सुल्तेमानी द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई। तत्पश्चात (केन्द्र के कार्यक्रम एवं तकनीकी पक्षों पर क्रमशः सुश्री सरोज भटनागर, कार्यक्रम निष्पादक (समन्वय) एवं श्री मनोहर लाल लाठ, केन्द्र अभियन्ता एवं केन्द्राध्यक्ष द्वारा पत्रवाचन किया गया। सुश्री भटनागर ने बताया कि 28 अप्रैल 1963 को इस केन्द्र की स्थापना जयपुर के सहायक केन्द्र के रूप में हुई थी। 1988 वर्ष से इस केन्द्र द्वारा तीन सभाओं का प्रसारण शुरू हुआ और अब इस केन्द्र की दैनिक प्रसारण अवधि 12 घंटे 40 मिनट है। श्री लाठ ने अपने तकनीकी प्रतिवेदन में बताया कि इस केन्द्र के ट्रांसमीटर की पहले 10 किलोवाट कैरियर पावर थी जो अब बढ़कर 20 किलोवाट हो चुकी है।

1978 में यहां नये स्टूडियों तथा कार्यालय परिसर का निर्माण हुआ तथा 1985 में रेडियो नेटवर्किंग की स्थापना हुई। वर्ष 92 एवं 93 में क्रमशः 15 एवं 30 टन क्षमता के वातानुकूलन संयंत्र लगाये गये। वर्ष 93 से ट्रांसमीटर की क्षमता दुगनी हो जाने से इस केन्द्र का 60 प्रतिशत अतिरिक्त दायरे तक विस्तार संभव हो गया है।

संगोष्ठी के दूसरे चरण में "लोकार्पण" एवं "सम्मान" का आयोजन किया गया। राजभाषा एकांश के सौजन्य से प्रकाशित केन्द्र की वार्षिक हिंदी पत्रिका "संकल्प" का लोकार्पण श्री यादवेन्द्र शर्मा "चन्द्र" ने किया। इसी प्रकार केन्द्र के हिंदी अनुवादक श्री ओम मल्होत्रा विरचित कथा-संग्रह "पराया आकाश" (आदर्श प्रकाशन बीकानेर द्वारा प्रकाशित) का लोकापर्ण श्री देवी प्रसाद गुप्त के कर-कमलों से सम्पन्न हुआ।

इसी परिप्रेक्ष्य में केन्द्र की स्थापना से जुड़े वरिष्ठ कर्मियों यथा—श्री चंचल हर्ष, उद्घोषक श्री शंकर लाल आचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, श्री रामकिशन पांडिया, सुरक्षापाल एवं श्री किशन लाल हटीला, हेल्पर आदि को केन्द्र के ग्रामीण कार्यक्रम के कलाकारों श्री ओम प्रकाश पारीक एवं श्री लक्ष्मी नारायण पारीक द्वारा श्रीफल, माला एवं शाल भेंटकर सम्मानित किया गया।

वर्ष 1994-95 में हिंदी सर्वाधिक डिक्टेशन कार्यों के फलस्वरूप केन्द्र के सहायक केन्द्र निदेशक श्री इन्द्र प्रकाश श्रीमाली एवं सहायक केन्द्र अभियन्ता श्री राजेश नाहटा को 250/-रु (प्रत्येक) के तथा हिंदी टंकण सीखने और अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप केन्द्र के श्री दिनेश कुमार यादव एवं श्री शिव शंकर छंगाणी लिपिकों को क्रमशः 300/- एवं 500/-रु के नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार प्रदान किये गये।

इस संगोष्ठी के संचालन का दायित्व डा० सुशील कान्त सिन्हा, हिंदी अधिकार एवं सहायक केन्द्र निदेशक ने वहन किया तथा श्री ओम मल्होत्रा, हिंदी अनुवादक ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

दिनांक 28.4.95 को दयानंद पब्लिक स्कूल के "अमर रंगमंच" पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष रंगारंग कार्यक्रम "उत्सव" आयोजित किया गया। लगभग एक हजार दर्शकों के समक्ष केन्द्र के विभिन्न अनुभागों द्वारा विविध प्रस्तुतियां प्रदर्शित की गई। कविता, गीत, गजल और नाटिका के साथ एकल नृत्य और एकाभिनय एवं लोक गीतों ने दर्शकों का मन मोह लिया।

प्रस्तुतिः ओम मल्होत्रा

सोलापुर मंडल पर राजभाषा सप्ताह का आयोजन

मध्य रेल के सोलापुर मंडल पर हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा अधिकारियों और कर्मचारियों में राजभाषा के प्रयोग के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से 13 मार्च, 95 से 16 मार्च, 95 तक राजभाषा सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सप्ताह के सभी कार्यक्रमों में मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में उत्साह के साथ भाग लिया।

राजभाषा सप्ताह के उपलक्ष्य में अधिकारियों के लिए हिंदी डिक्टेशन और समयस्फूर्त हिंदी वक्तत्व प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी थी। हिंदी डिक्टेशन प्रतियोगिता में 9 अधिकारियों ने और हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता में 20 अधिकारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध, टिप्पण-आलेखन, वक्तृत्व, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी थीं। इन प्रतियोगिताओं में भी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

राजभाषा सप्ताह का शुभारंभ दि॰ 13 मार्च, 1995 को मंडल कार्यालय के हिंदी अध्ययन कक्ष में मंडल रेल प्रबंधक श्री महेश चन्द्र द्वारा राजभाषा प्रदर्शनी के उद्घाटन से हुआ। इस प्रदर्शनी में मंडल पर विभिन्न कार्यों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति दर्शाने वाले चार्ट्स के अलावा प्रत्येक विभाग में हिंदी में हो रहे काम के नमूने रखे गये थे। प्रदर्शनी को, राष्ट्रीय नेताओं तथा हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों की तस्वीरों के साथ-साथ उनकी हिंदी भाषा संबंधी सूक्तियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। प्रदर्शनी की सभी ने भूरि-भूरि प्रशंसा की।

मंडल कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में मंडल रेल प्रबंधक श्री मेहश चन्द्र जी की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सदस्यों का मार्गदर्शन करते हुए मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हासिल करने के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है लेकिन चीन, जापान, रूस आदि देशों ने अंग्रेजी के प्रयोग के बिना हर क्षेत्र में प्रगति की है। हमारे देश में भी हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए प्रगति हासिल कर सकते हैं, आवश्यकता केवल लोगों की मानसिकता बदलने की है।

राजभाषा सप्ताह का समापन समारोह मंडल रेल प्रबंधक श्री महेश चन्द्र की अध्यक्षता में दिनांक 16.3.95 को मंडल कार्यालय के प्रागंण में सम्पन्न हुआ। समारोह की शुरूआत मंडल रेल प्रबंधक द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। राजभाषा अधिकारी श्री पी॰ एन॰ मुले ने समारोह में सभी का स्वागत करते हुए पिछले एक वर्ष के दौरान सोलापुर मंडल पर हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर बोलते हुए अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री सुरजीत सिंह ऐवन ने कहा कि संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है, अतः हिन्दी में काम करना संविधान के प्रति निष्ठा और सम्मान प्रदर्शित करना है। समारोह के अध्यक्ष की हैसियत से अधिकारियों और कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री महेश चन्द्र जी ने कहा कि इस देश में भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों को अपने विचारों के आदान-प्रदान के लिए हिंदी ही एक सशक्त साधन है, इसलिए रेलों के सुरक्षित संचालन की दृष्टि से दैनिक कामकाज में हिंदी को अपनाना निहायत जरूरी है क्योंकि आम कर्मचारी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रखते।

समारोह में वर्ष 1993-94 के दौरान हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए वाणिज्य शाखा को मंडल रेल प्रबंधक की शील्ड और 500/-रु॰ का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बाहरी डिपो में यह सम्मान डीजल शेड/पुणे को मिला। द्वितीय स्थान क्रमशः कार्मिक शाखा और अहमदनगर स्टेशन ने प्राप्त किया। इस अवसर पर हिंदी प्रतियोगिता में सफल अधिकारियों और कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक के हाथों पुरस्कार प्रदान किये गये। दैनिक कामकाज में हिंदी का सराहनीय प्रयोग करने वाले 90 कर्मचारियों को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया।

समारोह के अंत में सांस्कृतिक अकादमी/सोलापुर द्वारा हिंदी एकांकी "किलकारी की आस" का मंचन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस एकांकी के सभी कलाकार अहिंदीभाषी हैं और मुख्यालय में क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित हिंदी एकांकी प्रतियोगिता में इस एकांकी को प्रथम पुरस्कार पाने का गौरव मिला है।

समारोह के अन्त में राजभाषा सहायक श्रीमती रो॰ सु॰ अत्रे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

हिंदी के बढ़ते चरण

नैशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन (आप्र क के एवं माहे) लि०, बेंगलूर में राजभाषा की प्रगति की गति

नै० टे० कॉ० (आप्र क के एवं माहे) लि०, बेंगलूर में राजभाषा की प्रगति की गति में और बड़ी वृद्धि हुई है। इसके कार्यान्वयन, प्रचार एवं प्रसार हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। कर्मचारियों को प्रतिदिन हिन्दी का नया शब्द सीखने के लिए अंगरेजी के पर्याय के साथ श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। इस एक शब्द योजना कि अन्तर्गत वर्ष के अंत में प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। विजयी प्रतियोगियों को प्रोत्साहन के रूप में एन टी सी के उत्पाद पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाते हैं। कर्मचारियों के हिन्दी के ज्ञान में वृद्धि हेतु प्रायः हर माह राजभाषा कक्ष के द्वारा टिप्पण-आलेखन आदि हेतु हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों के हिन्दी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों का भी समाधान विचार-विमर्श के द्वारा किया जाता है।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान निबंध, वाद-विवाद, गान, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, अंत्याक्षरी आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस दौरान कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु अलग-अलग विशेष हिन्दी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। कार्यालयों एवं मिलों में प्रयोग होने वाले शब्दों की एक विभागीय शब्दावली भी तैयार की गयी है तथा उसे समस्त विभागों, अनुभागों एवं मिलों में वितरित कर दिया गया है।

इस कार्यालय के अधीन 16 मिलें एवं 2 विपणन प्रभाग हैं, इन सबमें राजभाषा के कार्यान्वयन की गति में काफी प्रगति आयी है। इसकी एक झलक तिरूपति कॉटन मिल रेणिगुंटा को राजभाषा विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं चल वैजयंती प्रदान किया गया है। इस कार्यालय के अधीन केरल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में स्थित क्रमशः विजयमोहिनी मिल, त्रिवेंद्रम, येलम्मा मिल दावणगेरे एवं तिरूपति कॉटन मिल, रेणिगुंटा ने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस निगम के अधीन सभी मिलों में हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है तथा मुख्यालय द्वारा समय-समय पर इनका राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों को दूर करने हेतु उचित सुझाव दिये जाते हैं। मुख्यालय बेंगलूर द्वारा मिलों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है।

इस कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित कराया गया है। निगम के 80-85% कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है। कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन योजना भी चलायी जा रही है जिससे उन्हें हिन्दी में कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाता है। हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट काम करने वाली मिलों/कार्यालयों को राज्यवार चल वैजयंती की भी शुरूआत की गई है। कार्यालय में हिन्दी का वातावरण पूर्णरूप से सृजित हो गया है। हर तिमाही में राजभाषा कार्यान्यवन समिति की बैठक होती है तथा उसमें राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी विचार-विमर्श किया जाता है तथा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है। हिन्दी का वातावरण सृजित करने में प्रबंध एवं कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिला है। राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु बजट का प्रावधान अलग से किया गया है। इस वर्ष एक द्विभाषी कम्प्यूटर भी खरीदा गया है। हिन्दी पुस्तकों की खरीद का लक्ष्य भी हर वर्ष पूरा किया जा रहा है तथा इस कार्यालय में कार्यरत भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कर्मचारियों के बीच हिन्दी अभिव्यक्ति का माध्यम बनी हुई है जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता, एवं अखंडता का द्योतक है।

हिंदी कार्यशाला

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड

दिनांक 17 अप्रैल से 20 अप्रैल, 1995 तक निरोध फैक्टरी, तिरुवनन्तपुरम के जवाहरलाल नेहरू शताब्दी स्मारक कल्याण केन्द्र में चार दिवसीय हिन्दी कार्यशाला चलाई गई जिसमें निगमित मुख्य कार्यालय, निरोध फैक्टरी, तिरुवनन्तपुरम और आवकुलम फैक्टरी, तिरुवनन्तपुरम के प्रशासनिक कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 17 अप्रैल, 1995 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आँचल कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम के सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) श्री के० वी० महेन्द्रन ने हिन्दी टिप्पण तैयार करने की शैली से प्रतिभागियों को अवगत कराया। और उनसे अभ्यास भी कराया गया। यूनियन बैंक आ ॅफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम के राजभाषा अधिकारी श्री जी० मुरलीधरन "वाणिज्य पत्राचार से सम्बन्धित तत्व, बैंक, लेखा परीक्षक, वित्तीय संस्थाओं से मूल पत्राचार" विषय पर व्याख्यान दिया।

18 अप्रैल, 1995 के प्रातः काल से सत्र का संचालन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, अंचल कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम के राजभाषा अधिकारी श्री पी० नटराजन ने किया। मंत्रालय को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रकार के पत्रों को तैयार करने के तरीके बताए और सरल से सरल वाक्यों में ऐसे पत्र तैयार करने पर ज़ोर दिया। दूसरा सत्र एक बड़े हिन्दी प्रेमी ने लिया जो हिन्दी के प्रचार में लगे हुए हैं। केरल हिन्दी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष श्री के० जी० बालकृष्ण पिल्लै हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। उन्होंने हिन्दी की गरिमा के बारे में प्रतिभागियों को याद भी दिलाई। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने के बाद प्रतिभागियों को अपना कार्यालयीन काम कुछ हद तक हिन्दी में ही करना है जिससे कि कार्यशाला सफल हो और सब का प्रयास सार्थक हो।

19 अप्रैल, 1995 को प्रथम सत्र हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के बारे मे था। कालडी के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो० एच० पद्मनामन अत्यन्त सरल शब्दों में अनुवाद की परिभाषा और अनुवाद के प्रकार पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों से हिन्दी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिन्दी में अभ्यास भी करवाए। दूसरे सत्र में तिरुवनन्तपुरम के आय कर आयुक्त के कार्यालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री ए० सोमदत्तन ने वित्तीय एवं सेवा मामलों पर सामान्य आदेश, परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि के हिन्दी में तैयार करने के बारे में प्रतिभागयों को बताया। कार्यालय में अधिक से अधिक मात्रा में जारी किए जाने वाले ओदशों—जैसे, स्थानान्तरण आदेश, परिपत्र, कार्यालय आदेश—को हिन्दी में जारी किए जाने की संवैधानिक आवश्यकता पर उन्होंने प्रकाश डाला।

20 अप्रैल, 1995 का पहला सत्र हिन्दी व्याकरण, भाषा विज्ञान आदि के पण्डित श्रेष्ठ डा० एच० परमेश्वरन, श्री शंकरा संस्कृत विश्व विद्यालय के तिरुवनन्तपुरम के हिन्दी विभागाध्यक्ष ने कार्यालय में प्रयुक्त आधारभूत हिन्दी व्याकरण विषय पर व्याख्यान दिया। दूसरा सत्र राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 पर था। हमारे वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (हिन्दी) श्रीमती बी० के० जयश्री ने इस विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया।

देना बैंक,
क्षेत्रीय प्राधिकारी का कार्यालय
नई दिल्ली

देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा क्षेत्र के टंककों के लिए 22-23 मई, 1995 तक कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली में द्वि-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी श्री राजीव शर्मा ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय अपेक्षाओं के लिए सरल एवं सहज हिन्दी का प्रयोग करने पर बल दिया। कहा कि हिन्दी का प्रयोग करने में सबसे बड़ी कठिनाई भाषा के ज्ञान की नहीं, बल्कि बनावटी डर एवं संकोच की है।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के अनुसंधान अधिकारी श्री वी० पी० गौड़ ने भारत सरकार की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम की विविध मदों के बारे में उपयोगी जानकारी दी।

श्री एस० के० टंडन, उप महा प्रबन्धक (मानव संसाधन विकास विभाग), प्रधान कार्यालय, बम्बई ने 23.5.95 को प्रशिक्षुओं को सम्बोधित किया। उन्होंने बैंकिंग कारोबार, ग्राहक सेवा और बैंक में राजभाषा के कार्यान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला।

दो अन्य अतिथि वक्ताओं के साथ-साथ बैंक के प्रबन्धक (राजभाषा) ने भी व्याख्यान दिये और बैंक के आंतरिक काम-काज का अभ्यास कराया।

आकाशवाणी, कलकत्ता

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में और केन्द्र में अप्रैल और मई, 95 माह के दौरान क्रमशः दिनांक 25-4-95 और 10-5-95 को हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई।

दिनांक 25-4-95 को आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों को "टिप्पणी लेखन-तथा नेमी टिप्पणियां, प्रशासन संबंधी और आवती पर आधारित टिप्पणियां" का ज्ञान, अभ्यास कराया गया। केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कलकत्ता के सहायक निदेशक श्री एस० के० चौधुरी ने उक्त विषय पर कर्मचारियों को अभ्यास कराया।

उसी दिन दूसरे सत्र में मु०अ० (पू०क्षे०) आकाशवाणी, व दूरदर्शन, कलकत्ता के हिंदी अधिकारी श्री बी० बी० दाश ने "पत्र, अर्द्ध सरकारी पत्र" विषय पर कर्मचारियों को मसौदा लेखन का अभ्यास कराया। इस अवसर पर आकाशवाणी, कलकत्ता के केन्द्र निदेशक श्री बा० रा० कुमार, कार्यशाला में उपस्थित हुए और उन्होंने प्रतिभागियों के लगन की सराहना करते हुए घोषणा की कि मई, 95 माह के दौरान दो 'एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला' का आयोजन किया जाए।

तदनुसार अगली एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला 10 मई, 95 को आयोजित हुई। इसमें प्रतिभागियों को "आदेश, कार्यालय ज्ञापन" का अभ्यास कराया गया। इस विषय के व्याख्याता यू०को० बैंक, कलकत्ता के राजभाषा अधिकारी श्री अजयेन्द्र त्रिवेदी थे।

दूसरे सत्र में "फर्नीचर, टेलीफोन, लेखन सामग्री" विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। यू० को० बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री पद्मनाभ पाण्डेय ने उक्त विषय पर रोचक व्याख्यान दिया और अभ्यास कराया। उक्त कार्यशाला में प्रशिक्षण के लिए 25 कर्मचारियों को नामित किया गया था।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली

ईआईएल गेस्ट हाउस, हौजखास, नई दिल्ली में दिनांक 19 मई, 1995 को वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधकों के लिए एक दिन की हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री एस० पी० मोदी, महाप्रबन्धक (परियोजना) ने किया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने हिन्दी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि हिन्दी भारत की सम्पर्क भाषा है। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में—जहां की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वहां उनकी अपनी भाषा के माध्यम से ही सम्प्रेषण होता है। यही नहीं विश्व के अनेक देशों—जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि ने अपनी-अपनी भाषा को अपनाकर ही वैज्ञानिक उन्नति की है। उन्होंने प्रतिभागियों का आह्वान किया कि वे हिन्दी कार्यों को भी उस तरह ही महत्व दें जिस तरह आईएसओ के तहत गुणवत्ता नीति को देते हैं। उन्होंने बताया कि प्रबंधन कंपनी में हिन्दी प्रयोग बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे हिन्दी कार्यों को आगे बढ़ाने में प्रबंधन का साथ दें।

श्री जगदीश पराशर, उप मुख्य परामर्शदाता (रा०भा०) ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिन्दी विश्व की तृतीय भाषा है जो सबसे ज्यादा व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। उन्होंने कहा कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा और संघ सरकार की राजभाषा है। हिन्दी देश को एकता के सूत्र में पिरोने की कड़ी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी कंपनी में जब हिन्दी के प्रयोग की बात करते हैं तो हमारा आशय हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाना होता है, चूंकि हमारी कंपनी एक सरकारी उपक्रम है इसलिए ईआईएल में सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन होना चाहिए। उन्होंने विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का उल्लेख करते हुए कहा कि आज विश्व के 130 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी को राजभाषा नीति की समुचित जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अब सभी प्रभागों में हिन्दी में कार्य करने के लिए संसाधन उपलब्ध है, आवश्यकता केवल मानसिकता बनाने की है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे कंपनी में राजभाषा प्रयोग को बढ़ाने के लिए अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

उद्घाटन सत्र में इससे पहले श्री राजबीर सिंह ने सभी का स्वागत किया तथा कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र के अंत में श्री इन्द्र कुमार गुलाटी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यशाला में "भारत सरकार की राजभाषा नीति" विषय पर अतिथि वक्ता श्री राजकुमार सैनी, निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ने सत्र का संचालन किया। उन्होंने अपने व्याख्यान में हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा नियम 1963 की धाराओं, उप धाराओं तथा राजभाषा नियम 1976 की विभिन्न अपेक्षाओं पर विस्तृत जानकारी दी।

"कार्यालयीन में कार्यों में हिन्दी का प्रयोग" विषय पर अतिथि वक्ता श्री हरशरण गोयल, सेवानिवृत्त उप प्रबंधक (रा०भा०) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ने व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने व्याख्यान में कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का प्रयोग कैसे बढ़ाएं, इसकी जानकारी दी।

"देवनागरी में कंप्यूटर सुविधाएं" विषय पर श्री उपेन्द्र तिवारी ने सत्र लिया। "पत्राचार अभ्यास" विषय पर श्री भरत सिंह यादव ने सत्र लिया जिसमें उन्होंने कंपनी में प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न पत्राचारों की जानकारी दी तथा प्रतिभागियों से अभ्यास कराया।

कार्यशाला के अंत में परीक्षा ली गई जिसका संचालन श्री राजबीर सिंह ने किया, जिसमें 2 पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रथम पुरस्कार श्री पी०के० चटर्जी (ईटीडी) को तथा द्वितीय पुरस्कार श्री डी०सी० ब्रह्मा (जनरल सिविल) को मिला। पुरस्कार में श्री हरदेव बाहरी द्वारा संपादित अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश दिए गए।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की इकाई राजपुरा दरीबा खान के राजभाषा विभाग के तत्वावधान में कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने एवं राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 30.5.95 से 1.6.95 तक "तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आमंत्रित विद्वान अतिथि श्री मनोज लोढ़ा, एसोसियेटेड प्रोफेसर कोटा विश्वविद्यालय एवं संभागीय संवाददाता राष्ट्रीय एकता ने "राष्ट्रीय एकता की संवाहक हिन्दी" विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए।

डा० पुरुषोतम छंगाणी, प्रबन्धक (राजभाषा) ने सम्पर्क भाषा, राजभाषा एवं बोली आदि का अन्तर स्पष्ट करते हुए क्या कार्य केवल हिन्दी में, क्या कार्य द्विभाषा में किये जाने हैं, के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी श्री गोपाल कृष्ण राही ने अनुवाद के बारे में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया। देवनागरी में तार देने सम्बन्धी जानकारी श्री सम्पत लाल माहेश्वरी ने दी।

कार्यशाला में क० राजभाषा अधिकारी डा० जयप्रकाश शाकद्विपीय ने आमतौर पर की जाने वाली अशुद्धियां एवं उनके शुद्ध रूप, अपूर्ण पर्यायवाची शब्दों, पत्राचार, हिन्दी में कार्यालयीन टिप्पणी लेखन, पैराग्राफ विभाजन में सूचक वर्षों तथा अंकों का प्रयोग, पदनाम, विराम चिह्नों, राजभाषा नियम, अधिनियम, संकल्प, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

श्री मांगी लाल मेनारिया ने गणन संख्याओं को शब्दों में लिखने सम्बन्धी अभ्यास करवाया।

समापन सत्र के प्रारंभ में क० राजभाषा अधिकारी ने सभी का स्वागत किया एवं कार्यशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि वरिष्ठ प्रबन्धक (खान) एवं सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री अखिलेश जोशी थे। उन्होंने अपने उदबोधन में कहा कि हिन्दी में काम करना काफी आसान है, इसकी लिपि वैज्ञानिक है एवं हम स्पष्ट रूप से सरल एवं छोटे-छोटे वाक्यों में मौलिक रूप से अभिव्यक्ति दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा जहां एक ओर संवैधानिक बाध्यता है वही हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हम ज्यादा-से ज्यादा कार्यालयीन कार्य राजभाषा हिन्दी में ही करें।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में 13.3.95 से 15-3-95 तक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन लाइब्रेरी बोर्ड की उपाध्यक्ष डा० माज़दा असद ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने राजभाषा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिन्दी एक समृद्ध भाषा है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी भाषाओं के शब्दों को अंगीकृत करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

प्रथम दिन डा० सूरजभान सिंह ने "राजभाषा नीति" विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। दूसरे दिन 14.3.95 को श्री राजेन्द्र अवस्थी ने "राजभाषा हिंदी और राष्ट्रीय एकता" और डा० भारत भूषण ने "टिप्पण-प्रारूपण-सिद्धान्त और प्रयोग" विषय पर भाषण दिया तथा प्रयोगिक कार्य करवाया। 15.3.95 को डा० प्रताप सहगल ने पत्र लेखन के महत्व, उसके प्रकार एवं प्रयोग के विषय में अपने विचार व्यक्त किए तथा पत्र-लेखन अभ्यास करवाया। कार्यशाला के समापन के अवसर पर श्री शंकर दयाल सिंह, सांसद एवं अध्यक्ष, दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तीन दिवसीय कार्यशाला से कर्मचारियों ने जो जानकारी प्राप्त की है उसको वे अपने दैनिक कार्यों में उपयोग में लाएंगे और हिंदी में कार्य करने में अधिकाधिक रूचि लेंगे।

भिलाई इस्पात संयंत्र

वायर रॉड मिल और मर्चेंट मिल के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 29.5.95 को राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में वायर रॉड मिल के सहायक महाप्रबंधक श्री पी के सेनगुप्ता ने कहा कि हमें तकनीकी क्षेत्र में भी अब हिन्दी के महत्व को स्वीकार करना होगा। आपस में हिन्दी में बातचीत और कार्य करके हमें शीघ्र काम को निपटाने में सहायता प्राप्त होती है। मिल क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों को हिन्दी में ही कार्य करने की दिशा में इस कार्यशाला को "एक सार्थक पहल" निरुपित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्पादन के साथ ही हिन्दी प्रयोग में भी बढ़ोतरी हो, इस दिशा में लक्ष्य निश्चित करके कार्य करना होगा।

मिल जोन के वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) श्री बलबीर सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि संयंत्र क्षेत्र में कार्मिक विभाग के साथ ही कार्य क्षेत्र में भी हिन्दी प्रयोग को बढ़ाने में यह कार्यशाला प्रभावी भूमिका अदा करेगी। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्होंने आव्हान किया कि हम मिल क्षेत्र में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने की दिशा में सामूहिक प्रयास करें।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में राजभाषा समन्वय सहायक श्री फिलिप ने सोदाहरण स्पष्ट किया कि किस प्रकार अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी में कार्यों को निपटाना सरल व सहज होता है? उन्होंने स्पष्ट किया कि मिल्स जोन में कौन-कौन से कार्यों को हिन्दी में शीघ्रता से निपटाया जा सकता है।

राजभाषा विभाग के उप प्रबंधक (राजभाषा), डा॰ गिरीश जी. सिंघल द्वारा "आंतरिक ग्राहक संतुष्टि में राजभाषा हिन्दी की प्रभावी भूमिका" पर सारगर्भित सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत किया गया।

अपने विवेचन में डा॰ सिंघल ने अनेक व्यावहारिक उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करते हुए बताया कि हम कार्मिकों से उनकी ही भाषा अर्थात् हिन्दी में संवाद स्थापित करके किस प्रकार से दैनिन्दन कार्यों को शीघ्र से शीघ्र निपटा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में सौहार्द स्थापित करने में भी हिन्दी का उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान की महत्वपूर्ण अवधारणा "आंतरिक ग्राहक संतुष्टि" में हिन्दी की सहभागिता से हम वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यशाला का सफल संचालन श्री पी भानू जी राव, राजभाषा समन्वयक सहायक के द्वारा और धन्यवाद ज्ञापन श्री एस यू प्रभाकर राव, उप प्रबंधक (का॰), वायर रॉड मिल के द्वारा किया गया।

कार्यशाला की सफलता तथा प्रतिभागियों की संख्या को देखते हुए निकट भविष्य में शीघ्र ही एक और राजभाषा कार्यशाला के आयोजन की आवश्यकता अनुभव की गई है।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, राजस्थान, जयपुर

राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 1995-96 की अनुपालना में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वितीय, राजस्थान कार्यालयों की एक संयुक्त हिन्दी कार्यशाला दिनांक 5.6.95 से 16.6.95 तक आयोजित की गई।

इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए हिन्दी कक्ष के लेखापरीक्षा अधिकारी ने हिन्दी कार्यशालाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सहभागियों से इसका अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान करते हुए आशा प्रकट की कि प्रशिक्षण के बाद सभी व्यक्ति अपना राज काज हिन्दी में ही करेंगे। इस कार्यशाला में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण के अतिरिक्त महालेखाकार कार्यालयों के लिए उपयोगी तकनीकी विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सैद्धान्तिक पक्ष के साथ-साथ व्यवहारिक अभ्यास भी करवाया गया। दो सप्ताह तक निर्धारित तीस घण्टे की इस कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा समापन के अवसर पर उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला बहुत उपयोगी तथा ज्ञानवर्धक रही। इस अवसर पर हिन्दी कक्ष के सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और इसके प्रचार प्रसार हेतु हर सम्भव प्रयास करने का अनुरोध किया।

कार्यशाला में भाग लेने वाले 12 प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण अधिकारी ने प्रमाण पत्र देते हुए आशा प्रकट की कि प्रशिक्षित व्यक्ति भविष्य में अपना समस्त कार्य हिन्दी में करके शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देंगे।

आकाशवाणी भोपाल

"भाषा का अपना उद्देश्य होता है। उसमें गंभीरता होती है। जनमानस के लिए वही भाषा ग्राह्य होती है। जिसमें सरलता, सहजता हो। मीडिया में काम करने वालों के लिए यह और भी आवश्यक है कि वे भाषा की बारीकियों को पहचानें, भाषा की ताकत को पहचानें"—ये उद्गार थे आकाशवाणी भोपाल के केन्द्र निदेशक श्री ज्ञान सिंह आर्य के। आकाशवाणी भोपाल द्वारा आयोजित दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला (28 और 29 जून 95) के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता श्री आर्य ने की। सहायक केन्द्र निदेशक श्री नरेन्द्र चंचल ने हिन्दी भाषा के स्वरूप पर व्याख्यान दिया। आकाशवाणी भोपाल राजभाषा समिति के सदस्य—सचिव श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिन्दी अधिकारी ने कार्यशाला का संचालन किया।

केन्द्र निदेशक श्री ज्ञान सिंह आर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के आरंभ में सदस्य-सचिव श्री यादव ने हिन्दी भाषा की क्षमता और शब्दावली-निर्माण में हिन्दी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत सरकार ने जिन अंकों को "भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप" स्वीकार किया है वे अंक मूलतः भारतीय अंकों के परिवर्तित रूप हैं। हिन्दी भाषा के स्वरूप पर व्याख्यान देते हुए आकाशवाणी भोपाल के सहायक केन्द्र निदेशक श्री नरेन्द्र चंचल ने कहा कि भाषा हर युग में अपना काम करती है। आदमी की सफलता का रहस्य है उसकी भाषा होती है। अच्छी भाषा हृदय जीत सकती है। आकाशवाणी के कार्मिकों का यह दायित्व है कि अपनी भाषा को निखारने का सतत प्रयत्न जारी रखें। चूंकि यह प्रसारण माध्यम है, इसलिए अपनी भाषा को निखारने के साथ हम लाखों श्रोताओं की भाषा निखारने में अहम् भूमिका निभाते हैं। लिखित भाषा और बोली जाने वाली भाषा में अंतर, मुहावरों की शक्ति का निरूपण करते हुए श्री चंचल ने कहा कि कम शब्दों में अर्थवान तरीके से हिन्दी भाषा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। भाषा की विनम्रता पर श्री चंचल ने जोर दिया।

समापन समारोह की अध्यक्षता स्टेशन इंजीनियर श्री चमन लाल ने की। कार्यशाला में राजभाषा हिन्दी के विकास के प्रति वचनबद्धता प्रकट करते हुए आकाशवाणी भोपाल के इंजीनियरों, कार्यक्रम सचिवों तथा लेखा प्रशासन अनुभाग के कार्मिकों ने राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए न केवल आकाशवाणी या अन्य मीडिया बल्कि केन्द्र और राज्य सरकारों के दायित्वों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम का संचालन आकाशवाणी भोपाल राजभाषा समिति के सदस्य-सचिव श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिन्दी अधिकारी ने किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में स्टेशन इंजीनियर श्री चमन लाल ने कहा कि संविधान में निहित प्रावधानों के अनुरूप हिन्दी का विकास हमारा सांविधानिक दायित्व है। आकाशवाणी एक प्रभावशाली मीडिया है। इस कारण एक और अपेक्षा होती है कि आकाशवाणी के कार्मिक हिन्दी के प्रति अपने सांविधानिक दायित्वों को पूरा करें वहीं दूसरी और मीडिया जन-चेतना जाग्रत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए आयोजित विचार-सत्र में विज्ञान और तकनीक, कृषि, लेखा तथा प्रशासन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी में उपलब्ध साहित्य की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

दूरदशन केन्द्र: भोपाल

दूरदर्शन केन्द्र भोपाल में दिनांक 8 मई 1995 से 10 मई 1995 तक तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री अक्ष्य कुमार जैन, अध्यक्ष मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन

भोपाल ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि राष्ट्र निर्माण में उस राष्ट्र की राजभाषा एक अहम् भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हमें अपने दैनिक कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए और भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग में अन्य भाषाओं के शब्दों से हमें परहेज नहीं करना चाहिए, हम कितनी भी भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन भाषाई अस्मिता और भाषाई गौरव के लिए यह आवश्यक है कि अपने दैनिक कामकाज में अपनी भाषा का ही प्रयोग करें।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केन्द्र निदेशक श्री लीलाधर मंडलोई ने कहा कि हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन से सरकारी कार्यालयों में एक हिन्दीमय वातावरण बना है जो राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए एक सुखद स्थिति है। उन्होंने कहा कि हमें निष्ठा और समर्पण भाव से राजभाषा हिन्दी में कार्य करना है। उन्होंने राजभाषा हिन्दी की सरलता और सरसता का वर्णन करते हुए बताया कि हिन्दी इतनी सरल भाषा है कि इसमें कार्य करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं है। आवश्यकता है केवल उसे अपनाने की। उन्होंने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना दैनिक कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने पर बल दिया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में केन्द्र के सहायक निदेशक श्री सैलानी सियोते ने सरस्वती वन्दना कर भागार्थियों को भावमग्न कर दिया। श्री रामनिवास शुक्ल, हिन्दी अधिकारी ने दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल में राजभाषा हिन्दी की संवर्द्धनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में राजभाषा हिन्दी पर बोलते हुए श्री अरूण कुमार तिवारी, सहायक निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल ने कहा कि हिन्दी इस देश की राजभाषा है। अतः हमारा पावन कर्तव्य है कि हम सब अपना दैनिक कामकाज राजभाषा हिन्दी में करें। कार्यक्रम का संचालन अभियांत्रिकी सहायक श्री संजय गुप्ता ने किया तथा आभार प्रदर्शन श्री भुवनपति शर्मा, सहायक केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल ने किया।

श्री रामरतन, राजभाषा अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया ने "हिन्दी शब्दावली तथा हिन्दी अनुवाद की समस्याओं" पर अधिकारियों/कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया तो दिनांक 9-5-95 को श्री शेखर अनुराग, हिन्दी अधिकारी, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय, भोपाल ने "हिन्दी में टिप्पण और उनका प्रयोग" विषय पर मार्गदर्शन किया। दिनांक 10-5-95 क्रमशः श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, भोपाल तथा आचार्य वीरचन्द्र द्विवेदी, राजभाषा अधिकारी, यूनाइटेड इण्डिया इन्श्यूरेन्स कम्पनी लिमिटेड, भोपाल ने "कार्यालय में प्रयुक्त हिन्दी पत्राचार के प्रकार और उनका प्रयोग" तथा "देवनागरी में तार भेजना कितना सस्ता और कितना सरल" विषय में अधिकारियों/कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया।

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे

केंन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में अधिकारी/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने हेतु प्रेरित करने तथा उन्हें हिन्दी में काम करते समय होने वाली झिझक दूर करने के उद्देश्य से प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला आयोजित की जाती है इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 21.6.95 और 22.6.95 को दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अनुसंधान शाला की प्रभारी निदेशक श्रीमती वैजयंती बेन्द्रे ने इसकी अध्यक्षता की। कार्यशाला में व्याख्याताओं की हैसियत से राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना, बंबई की सेवा निवृत्त उप निदेशक डा० (श्रीमती) अंशुमती दुनाखे और हिन्दी शिक्षण योजना, पुणे के प्राध्यापक श्री निदेश चंद्र उपस्थित थे।

प्रभारी निदेशक श्रीमती वैजयंती बेन्द्रे ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि अधिकारी राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम से पहले परिचित हो जाएं और तदनुसार वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम करवा लें। इस उद्देश्य से हमने अब तक वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया था। कार्यशालाओं से कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करते समय होने वाली झिझक दूर करने में अधिकारियों को सहायता मिल सकेगी। इससे सरकार द्वारा हिन्दी पत्राचार के लिए निश्चित किया गया लक्ष्य हासिल करने में भी मदद हो सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी पत्राचार व तार में बढ़ोतरी होनी चाहिए। परियोजना प्राधिकारियों को तकनीकी रिपोर्ट/सारांश आदि के अग्रेषण पत्र हिन्दी में भेजे जा रहे हैं। तथापि हमें इसकी संख्या में वृद्धि करनी है जिसमें हम निधारित लक्ष्यों तक पहुंच सकेंगे।

अध्यक्ष महोदया ने सहर्ष बताया कि अनुसंधान शाला को वर्ष 1992-93 के दौरान हिन्दी में किए गए काम के आधार पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रोत्साहन स्थान पर राजभाषा शील्ड व प्रमाण पत्र प्रदान किया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। अनुसंधान शाला में सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना कार्यालयीन कार्य अधिक से अधिक हिन्दी में करें ताकि हम इससे ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके।

इस कार्यशाला में अधिकारी बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए। कार्यशाला में कुल 17 अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम, वर्तनी, व्याकरण, कार्यालयीन भाषा में आने वाली कठिनाईयों का समाधान आदि विषयों पर व्याख्यान हुए। साथ ही साथ कार्यशाला में अधिकारियों ने तकनीकी शब्दावली और तकनीकी रिपोर्टों में हिन्दी के प्रयोग की दिक्कतों पर विचार किया।

हिन्दी अनुभाग द्वारा समेकित 40 पृष्ठों की "हिन्दी कार्यशाला" नामक पुस्तिका छपवाई गई है। यह पुस्तिका अधिकारियों को प्रतिदिन का कामकाज हिन्दी में करने के लिए सहायक सिद्ध होगी, जिसमें प्रचलित प्रशासकीय किस्म की टिप्पणियाँ, वाक्यांश, प्रभागों/अनुभागों के नाम, पदनाम, पत्रों, अनुस्मारकों तक तारों के नमूने आदि महत्वपूर्ण सामग्री सम्मिलित की गई है। कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारियों को इनकी प्रतियां वितरित की गई।

अंत में श्रीमती कारखानीस, हिन्दी अधिकारी द्वारा अतिथि व्याख्याताओं और उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यशाला का समापन हुआ।

समिति समाचार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जबलपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जबलपुर के तत्वावधान में दिनांक 22.5.95 से 26.5.95 तक आफीसर मेस में पांच दिवसीय संक्षिप्त अनुबाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पाठ्यक्रम में जबलपुर नगर स्थित 13 कार्यालयों से 25 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों नई दिल्ली के प्रशिक्षण अधिकारी श्री एन० के० चावला एवं श्री शिलाकान्त झा की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। पाठ्यक्रम का उद्घाटन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं तोपगाड़ी फैक्टरी के महाप्रबंधक श्री एन०आर० बनर्जी ने किया। पांच दिवसीय पाठ्यक्रम में प्रक्रिया अनुबाद के सिद्धांत, कार्यालयीन हिन्दी, पारिभाषिक शब्दावली, बर्तनी आदि का ज्ञान कराया गया। प्रशिक्षण का समापन दिनांक 26.5.95 को हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे गुणता आश्वासन नियंत्रणालय शस्त्र जबलपुर के नियंत्रक ब्रिगेडियर जोगेन्दर मोहन ने अपने सार-गर्भित उद्बोधन में कहा कि हिन्दी लिखते समय हमें केवल हिन्दी भाषी राज्यों को ध्यान में रखकर हिन्दी नहीं लिखना चाहिए बल्कि हमें कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से गुजरात तक सम्पूर्ण देश को दृष्टिगत रखते हुए हिन्दी लिखना चाहिए। आपने कहा कि शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो कहने वाले की भावनाओं को श्रोता तक आसानी से पहुंचा सके।

कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एन० आर० बनर्जी, महाप्रबंधक तोपगाड़ी फैक्टरी ने अपने उद्बोधन में प्रशिक्षार्थियों से अपील की कि वे प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान का सदुपयोग अपने कार्यालयीन कार्य में करें ताकि राजभाषा कार्यान्वयन को गति मिल सके। कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्ष श्री एम० डी० सिंह अपर महाप्रबंधक तो०गा०फै० ने प्रशिक्षार्थियों से प्राप्त सुझावों की ब्यौरेबार समीक्षा प्रस्तुत की और उन पर यथोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। संचालन नगर समिति से सचिव, उपमहाप्रबंधक (प्रशासन) श्री एस० के० नाफरी ने किया। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम की झलक आकाशवाणी जबलपुर ने दिनांक 30.5.95 को "परिक्रमा कार्यक्रम" में प्रसारित किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जोधपुर

जोधपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 19.5.1995 को मंडल रेल प्रबंधक, जोधपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में 39 सदस्यों ने भाग लिया।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने के पश्चात बैठक की कार्यसूची की विविध मदों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि प्रगति रिपोर्ट में जिन मदों के अंतर्गत सूचनाएं मंगाई जाती हैं और जिन मदों पर विचार विमर्श किया जाता है। उनमें एकरूपता, रखने के लिए राज भाषा विभाग से एक मानक प्रोफार्मा/मदों आदि का विवरण प्राप्त किया जाने चाहिए। इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्णय किया गया। बैठक में अनेक कार्यालयों में हो रही हिंदी की प्रगति की समीक्षा की गई। तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आकाशवाणी जोधपुर के अधिकांश कार्यक्रम मौखिक रूप से होते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग राजभाषा नीति के अंतर्गत रखी गई पुरस्कार योजना के पुरस्कार से वंचित रह जाता है यही स्थिति कर्मचारियों को पुरस्कृत करते समय भी, रहती है इस पर सचिव ने बताया कि हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों को विभागीय स्तर पर देने के लिए कार्यालय के प्रधान सक्षम है और उनके विभाग में हिंदी प्रयोग यदि सराहनीय है तो उसका मूल्यांकन करते समय विभाग की कार्य शैली को ध्यान में रखा जाता है। आयल इंडिया लिमिटेड में पत्राचार में हिंदी की पत्रों की अत्यधिक कमी का कारण वहां के सहायक हिंदी अधिकारी श्री विजय मोहन ने बताया कि मुख्यालय का गैर हिंदी प्रदेश में स्थित होना तथा संस्थान का तकनीकी होना है, फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि विभिन्न प्रकार के कार्यशालाओं के गठन के माध्यम से वे वातावरण को अनुकूल बनाने का प्रयास करते रहते हैं। केन्द्रीय अनुसंधान "काजरी" से आये प्रतिनिधि डा० पुरोहित ने बताया कि उनके संस्थान में अपना शौध संबंधित कार्य वैज्ञानिक अधिकांशतः अंग्रेजी में करते है जो पूर्णतया अभी हिंदी में होना सम्भव नहीं है ऐसी स्थिति में चालू रोमन टाइपराइटर के की बोर्ड बदल कर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना शोध के हित में नहीं होगा। नई मशीनें अभी खरीदी नहीं जा रही हैं इसी तरह अन्य सदस्यों ने इस बात पर अपनी असुविधा से समिति को अवगत कराया कि उनके कार्यालय में मात्र 2 टाइपराइटर अंग्रेजी के है जिसका अनुपात 50% से अधिक बढ़ाना सम्भव नहीं है इसलिए वार्षिक कार्यक्रम में दर्शाये लक्ष्य उनके लिए सम्भव नहीं है। सचिव ने बताया कि इस प्रकार की स्थिति विशेष से वे राजभाषा विभाग को अवगत करा देंगे किन्तु जब तक अन्यथा आदेश न हो तब तक स्थिति यथावत रखकर काम निपटाया जाना चाहिये। कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निदेश दिए गए।

भारतीय मौसम विभाग के लिए राजभाषा सहायक साहित्य उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से पत्र व्यवहार किया जाएगा। कुछ सदस्यों ने अपने यहां कार्यालयीन प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है जैसे कि रक्षा प्रयोगशाला से आये प्रशासनिक अधिकारी श्री इश्वरलाल ने बताया कि उनके यहां अधिकारी/कर्मचारी अहिंदी भाषी क्षेत्रों के है यदि किसी प्रकार की कक्षायें अथवा कार्यशाला आयोजित की जायें तो उन्हें हिंदी के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जा सकता है जिसके वे इच्छुक भी है। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि आप अपने विभाग में ऐसे कक्षायें आयोजित कर सकते है। यदि इसमें किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप हमारे कार्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष अथवा सचिव से कठिनाई के संबंध में विचार विमर्श कर सकते है। सभी सदस्यों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त विभिन्न सूचना साहित्य और वार्षिक कार्यक्रम 94-95 वितरित किया। समिति के उपाध्यक्ष श्री सुरजित कुमार दास, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ परिचालक प्रबंधक, उत्तर रेलवे ने बैठक में आये सभी सदस्यों और अध्यक्ष को धन्यबाद देते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

इलाहाबाद केन्द्रीय परिमंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 5-6-95 को श्री बी०के० बिस्वास, अधीक्षण इंजीनियर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में 10 सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक में परिमंडल, मंडल एवं उपमंडल कार्यालयों में हुई हिंदी की प्रगति की समीक्षा की गई। हिंदी पत्राचार के अन्तर्गत जिन कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में पत्र जारी किए गए, उन्हें अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि अंग्रेजी में पत्र कम से कम जारी हों। इलाहाबाद केन्द्र मंडल की प्रगति में सुधार लाने के लिए कहा गया। कानपुर मंडल की प्रगति की समीक्षा करते समय कार्यपालक इंजीनियर को दिया गया निर्देश कि वे सितम्बर, 95 तक 86.2% का लक्ष्य प्राप्त करें। इसी प्रकार गाजीपुर उपमंडल तथा लखनऊ मंडल में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक संबंधित अधिकारियों के निदेश दिए गए। मंडलों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के आयोजन पर विचार-विमर्श करने के दौरान कार्यपालक इंजीनियर ने समिति को आश्वासन दिया कि उनके कार्यालय में आगे से समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाएंगी।

दूरदर्शन केन्द्र, गोरखपुर

दूरदर्शन केन्द्र, गोरखपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 26.6.95 को केन्द्र निदेशक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई। तथ्यश्चात कार्यसूची की विभिन्न मदों पर विचार-विमर्श हआ। द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर की खरीद के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर एक मासिक पत्रिका के प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए हिंदी प्रभारी को निदेश दिया गया। मांग पत्र हिंदी में उपलब्ध कराया

एवं उपलब्ध मांग पत्रों को हिंदी में भरने का भी निर्णय लिया गया। तकनीकी विभाग में पूर्ण रूप से हिंदी में कार्य न किए जाने के विषय में चर्चा के दौरान निदेशक द्वारा निर्देश दिए गए कि जहां तक सम्भव हो अधिक से अधिक हिंदी में पत्र-व्यवहार किया जाए। इसके अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद जयन्ती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कवि गोष्ठी के आयोजन का भी निर्णय किया गया।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, उद्योग मंत्रालय

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 25 मई, 1995 को डा० पी०के० चौधरी, निदेशक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में 11 सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इसके बाद कार्यसूची की विविध मदों पर चर्चा हुई। कांच एवं मृदा अनुभाग, आर्थिक अन्वेषण अनुभान एवं अ०प्र०प्र० अनुभाग में हुई हिंदी पत्राचार की प्रगति की सराहना की गई। जिन अनुभागों में हिंदी पत्राचार की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई उन्हें इस दिशा में सुधार लाने को कहा गया। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में ही काम करने के संबंध में आदेश जारी करने का निर्णय किया गया।

आयकर आयुक्त, जालंधर

आयकर आयुक्त, जालंधर प्रभार की केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 23 मई, 1995 को श्री ए०सी० ग्रोवर, आयकर आयुक्त, जालंधर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में 9 सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक में राजभाषा विभाग द्वारा परिचारिक वार्षिक कार्यक्रम 1995-96 के मुख्य अंश सभी सदस्यों को दिए गए। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए। हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण के बारे में यह निर्णय किया गया कि सभी अवर श्रेणी लिपिकों को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से देवनागरी टाईपिंग का प्रशिक्षण दिलवाया जाए। जिन कर्मचारियों ने हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण नहीं लिया है। उनके लिए जुलाई, 1995 में कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय किया गया। हिंदी दिवास के अवसर पर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी विविध कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में निर्णय किया गया। कार्यालयों का निरीक्षण करते समय इस बात पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया कि राजभाषा कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए भावी कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं। "आयकर दोआबा" पत्रिका के अंको के बारे में देश के विभिन्न भागों संसद तथा सदस्यों से जो प्रतिक्रियाएं मिली वे पत्रिका की प्रशंसा से ओतप्रोत थे। इसके लिए पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े अधिकारियों को समिति ने बधाई दी। अंत में अध्यक्ष महोदय को आभार प्रगट करते हुए बैठक समाप्त हुई।

■

विविध

समाचार दर्शन

अंग्रेजी के बिना हर काम हो सकता है

—केशुभाई पटेल

प्रश्नः— आप गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। बधाई! आपको अंग्रेजी नहीं आती इससे आपको कोई बाधा तो न होगी?

उत्तरः—छे! छे! कोई अड़चन आने वाली नहीं। अंग्रेजी के बिना कोई काम नहीं हो सकता-ऐसा थोड़े ही है। रूसी लोग कभी अंग्रेजी नहीं बोले तब भी उनका काम चला न? और फिर मुझे हिन्दी तो आती ही है।

(राष्ट्रभाषा के जून 1995 के अंक से साभार)

हिन्दी के प्रयोग बढ़ाने के लिए

जब-जब भी आप केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में अवहेलना होती देखें अथवा आपके कुछ सुझाव हों तो संबंधित कार्यालय के प्रमुकों या मंत्रियों को निश्चित उदाहरण देते हुए शिष्ट भाषा में पत्र लिखते रहेंगे और लिखाते रहेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। निरन्तर रूप से लिखना और निश्चित अंतराल के बाद अनुस्मारक देना सफलता की आवश्यक शर्त है।

महाराष्ट्र के कानूनों में मराठी भाषा के प्रयोग के आदेश।

महाराष्ट्र की नई सरकार ने राज्य के विधेयक व राज्यपाल के अध्यादेश पहले मराठी भाषा में जारी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महाराष्ट्र की राजभाषा आज भी मराठी है, लेकिन राज्य सरकार के सभी विधेयक, अध्यादेश, अधिसूचना पहले अंग्रेजी में जारी होते हैं और फिर उनका अधिकृत मराठी अनुवाद जारी होता है। महाराष्ट्र सरकार का नया निर्णय इस जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए और अनुकरण भी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि राज्य सरकार बम्बई उच्च न्यायालय से भी आग्रह करेगी कि अदालत की कार्रवाई तथा निर्णय मराठी में हों।

भारतीय वायुसेना में एयरमैनों तथा तकनीकी ट्रेडों की भर्ती परीक्षा में हिन्दी माध्यम का विकल्प

श्री जगन्नाथ, संयोजक, राजभाषा कार्य०, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद ने रक्षा मंत्रालय से उक्त परीक्षा में हिन्दी के विकल्प के लिए अनुरोध किया था। उसके उत्तर में अब रक्षा मंत्रालय ने अपने 12 जून 1995 के पत्र संख्या -20(18)/93-रक्षा (रा०भा०) द्वारा निम्न प्रकार सूचित किया हैः—

(क) वायु सैनिकों की भर्ती सम्बन्धी परीक्षाओं का माध्यम द्विभाषी अर्थात् हिन्दी व अंग्रेजी कर दिया गया है।

(ख) तकनीकी एवं गैर-तकनीकी ट्रेडों की परीक्षाओं में उम्मीदवारों को अंग्रेजी के अतिरिक्त सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने की छूट है।

2. अनुरोध है कि इस विकल्प का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए जिससे कि परीक्षार्थी हिन्दी माध्यम का विकल्प ले सकें।

विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा।

कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में छपा था कि फ्रांसीसी भाषा में जो व्यक्ति अंग्रेजी अथवा अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करेंगे और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में फ्रांसीसी कार्यक्रमों में अंग्रेजी शब्दों की घुठपैठ करेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा। ईरान सरकार का भी कुछ इसी प्रकार का समाचार अखबारों में छपा था।

अब इण्डोनेशिया जैसे एक छोटे से किन्तु स्वा अभिमानी देश का समाचार 5 जून 1995 को नई दिल्ली के टाइम्स आ`फ इंडिया में प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार राष्ट्र की "भाषा-इंडोनेशिया" के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी शब्दों के प्रयोग पर रेडियो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्यक्रम प्रारम्भ करने अथवा उनका परिचय देने के लिए भी वहां विदेशी भाषाओं का प्रयोग सर्वथा बंद कर दिया गया है।

हिन्दी तथा खादी प्रचारकों को भी स्वतंत्रता सेनानियों जैसी पैंशन मिलेगी।

हिन्दी तथा खादी का प्रचार स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के दो महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम थे। इसीलिए केरल के स्वतंत्रता सेनानियों को

जो पेंशन दी जाती है, उसी प्रकार की पेंशन केरल सरकार द्वारा हिन्दी तथा खादी के प्रचारकों को भी दिए जाने के आदेश दे दिए गए हैं।

अनुरोध है कि अन्य राज्य सरकारों को भी हिन्दी तथा खादी के प्रचार में जिन सज्जनों ने सक्रिय योगदान दिया था उन्हें केरल सरकार की भांति पेंशन दिए जाने के आदेश शीघ्र ही जारी करने चाहिए। इन राज्यों की संस्थाओं को भी इस विषय में अपने-अपने राज्य की सरकार से पत्राचार करना चाहिए।

(इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की मई 1995 की पत्रिका "आई० आई० पी० ए० न्यूज लैटर" में छपे समाचार के आधार पर)

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में हिन्दी माध्यम की छूट

औद्योगिक विकास विभाग ने अपने 9 मई 1995 के सत्र संख्या-6(1)/95-पी० पी० एंड सी० द्वारा सूचित किया है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा चलाई जा रही प्रवेश परीक्षा में प्रायः ड्राईग तथा कुछ रंग अभ्यास आदि ही होते हैं जिनमें लिखाई की बहुत कम जरूरत होती है। फैकल्टी के सदस्यों द्वारा, जो इन परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, टैस्ट हिन्दी में भी समझाये जाते हैं। उम्मीदवारों को जो कुछ भी लिखना होता है उसमें हिन्दी के प्रयोग की छूट होती है। अतः यह सुनिश्चित है कि अंग्रेजी ज्ञान में कमी से कोई बाधा नहीं होती है।

प्रसिद्ध इतिहासकार डा० काशीप्रसाद जायसवाल हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने में गर्व महसूस करते थे। जहां तक हो सके वह हिंदी में भी काम करते थे। एक प्रोफेसर उनसे मिलने गए और विद्धता दिखाने के लिए अंग्रेजी में बोलते रहे। जायसवाल जी ने हिंदी में अपनी बातचीत जारी रखी। फिर भी वह विद्वान अंग्रेजी में बोलते रहे।

जायसवाल जी को बुरा लगा और वह फ्रैंच भाषा में बोलने लगे। प्रोफेसर हल्का बक्का रह गए, तो जायसवाल जी ने कहा, 'महोदय, जब विदेशी भाषा में ही बात करनी है तो हम क्यों न फ्रैंच भाषा में बात करें। यह भाषा अंग्रेजी से मधुर भी है और सुसस्कृत भी।'

मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ट्रेड में एयरमैनों की भर्ती परीक्षा में हिन्दी माध्यम का विकल्प हुआ।

रक्षा मंत्रालय के 12 जून 1995 के पत्र संख्या-20(18)/93-रक्षा (रा० भा०) के अनुसार भारतीय वायुसेना में मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी तथा मौखिक और सामान्य ज्ञान विषय हैं जिनमें से बौद्धिक और सामान्य ज्ञान विषय के प्रश्न पत्र द्विभाषी होते हैं और परीक्षार्थी को हिन्दी में उत्तर देने की छूट होती है।

मारिशस में हिन्दी के लिए कानून बना

नई दिल्ली, 13 जून (भाषा) मारिशस में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए वहां की नैशनल असेम्बली ने एक कानून पास किया है जिसका उद्देश्य मारिशस में और उसके बाहर हिन्दी के पठन-पाठन, अध्ययन-अध्यापन को प्रौत्साहन देना है।

मारिशस की पांच दिवसीय यात्रा से लौटने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने आज यहां यह जानकारी दी।

यात्रा के दौरान मारिशस सरकार द्वारा संस्थापित हिन्दी भाषी युनियन संगठन के उद्घाटन समारोह में भी श्री वाजपेयी ने भाग लिया। यह संगठन, मारिशस की नैशनल असैम्बली ने एक कानून बनाकर कायम किया है। इसका उद्देश्य मारिशस में और उसके बाहर हिन्दी के पठन-पाठन, अध्ययन-अध्यापन को प्रोत्साहन देना है। संगठन अन्य देशों के हिन्दी प्रेमी व्यक्तियों तथा संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहेगा और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन को भी प्रोत्साहित करेगा।

श्री वाजपेयी ने बताया कि भारत के अलावा मारिशस पहला देश है जहां संसद द्वारा कानून बनाकर हिन्दी को बढ़ावा देने का दायित्व सरकार ने संभाला है। भारत सरकार हिन्दी संगठन के लिए पहले ही 10 लाख रुपये की सहायता की घोषणा कर चुकी है।

हिन्दी के प्रयोग से कारोबार में वृद्धि हुई

संसदीय राजभाषा समिति ने विदेशों में हिन्दी की स्थिति जानने के लिए, अन्य देशों के अतिरिक्त, मारिशस की भी यात्रा की थी। समिति को सबसे दिलचस्प अनुभव मारिशस में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा का हुआ। वहां बताया गया कि जब से बैंक के काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है, तब से कारोबार में वृद्धि हुई है।

[दैनिक नवभारत टाइम्स के 2 जुलाई 1995 के अंक में प्रकाशित समाचार के आधार पर]

संत विनोबा भावे के अनुसार—

किस भाषा का कितना महत्व?

मैंने हिन्दी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर और असम से केरल के गांव-गांव में जाकर मैं भूदान-ग्रामदान का क्रांतिपूर्ण सन्देश जनता तक न पहुंचा सकता और यदि मैं मराठी भाषा का सहारा लेता तो महाराष्ट्र से बाहर और कहीं काम न करता। इसी तरह अंग्रेजी भाषा लेकर चलता तो कुछ प्रान्तों में काम चलता परन्तु गांव-गांव में जाकर क्रांति की बात अंग्रेजी द्वारा नहीं हो सकती थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिन्दी भाषा का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। इसने मेरी बहुत बड़ी सेवा की है।"

"प्रत्येक प्रान्तीय भाषा का अपना-अपना स्थान है। मैंने अनेक बार कहा कि जिस प्रकार मनुष्य को देखने के लिए दो आंखों की आवश्यकता होती है उसी तरह राष्ट्र के लिए दो भाषाओं प्रान्तीय भाषा और राष्ट्र भाषा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों ने दो भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य माना। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र था जिसे ज्ञान नेत्र कहते हैं। इसी तरह हम लोगों को भी तीसरे नेत्र की जरूरत अनुभव हो तो संस्कृत भाषा का भी अध्ययन लाभकारी सिद्ध होगा और उस समय अंग्रेजी भाषा चश्मे के रूप में काम आएगी। चश्मे की जरूरत सबको नहीं पड़ती। हां, कभी कुछ लोगों को उनकी जरूरत पड़ती है। बस इतना ही अंग्रेजी का स्थान है इससे अधिक नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिन्दी का प्रचार अच्छी तरह व्यापक रूप में होना चाहिए।"

हिंदीतर भाषियों की हिंदी कविताओं का अनुपम संकलनः शब्दभारती

सम्पादकः जोगेन्द्र सिंह

'भाव, भाषा की गहराई और संस्कृति—ये भारतीयता का मूल है। हिन्दी की सबसे बड़ी चेतना जनभाषा के रूप में है। इसकी सशक्तता यह है कि बिना पढ़े-लिखे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग भी व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

ये शब्द हैं संसदीय राजभाषा समिति के संयोजक श्री शंकर दयाल सिंह के, जो 'शब्दभारती' के लोकार्पण के समय उन्होंने व्यक्त किये। 'शब्दभारती' जोगेन्द्र सिंह द्वारा संपादित सोलह हिन्दीतर भाषी कवियों की 131 श्रेष्ठ हिन्दी कविताओं का संकलन है। पुस्तक को संपादित करने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली? इस बारे में बोलते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 1994 में उन्हें हिन्दीतर भाषी नवलेखक सम्मेलन में नवलेखकों के मार्गदर्शक साहित्यकार के रूप में तिरूवनन्तपुरम जाने का अवसर मिला। वहां केरल हिन्दी प्रचार सभा के सचिव श्रृध्येय एम०के० वेलायुघन नायर की हिन्दी निष्ठा और सेवा को देखकर मन गद्‌गद हो गया और विचार बना कि हिन्दीतर भाषी जो लोग मूलरूप से हिन्दी में लेखक कर रहे हैं उनकी रचनाओं को पुस्तक रूप में संकलित कर उनके भावों और क्षमताओं को हिन्दी जगत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अहिन्दी क्षेत्रों के जो लोग हिन्दी सेवा में रत हैं—उनके कामों को प्रकाश में लाने का दायित्व हम हिन्दी भाषी लोगों का बनता है। बस, यह विचार मन में आते ही मैंने अपने अन्य साथियों से इसकी चर्चा की। उन सभी ने मेरे इस विचार पर अपनी सहमति जताई और नवलेखन-शिविर के अन्तिम दिन इसकी घोषणा वहां उपस्थित कवियों के समक्ष करते हुए रचनाएं आमंत्रित कर लीं। कुल 50 लेखकों की रचनाएं मिलीं जिनमें से श्रेष्ठ 16 रचनाकारों को चुन लिया गया।

केरल हिन्दी प्रचार सभा के सचिव एम०के० वेलायुधन नायर, जिनकी हिन्दी सेवाओं को यह संकलन समर्पित किया गया है, ने कहा कि अपने जीवनकाल में हम अहिंदी भाषियों ने राजनीति, संस्कृति और अन्य अनेक हिन्दीभाषी क्षेत्रों के लोगों के कितने ही आश्वासन पाए हैं। लेकिन यह संभवतः पहला मौका है जब हिंदी के किसी आदमी ने जो वहां कह कर दिखाया मैं बहुत अभिभूत हूं। दरअसल हिंदीतर भाषी लोगों के कार्यों को हिंदी पाठकों के समक्ष लाने वाले इस कार्य ने देश को एकसूत्रता में बांधने का कार्य किया है। इस कार्य के लिए शब्दभारती के सम्पादक श्री जोगेन्द्र सिंह बधाई के पात्र हैं।

'राजभाषा भारती' एवं 'राजभाषा पुष्पमाला' के संपादक प्रखर कवि, कथाकार व आलोचक राजकुमार सैनी ने हिंदी की व्यापक परम्परा और व्यवहार पर बोलते हुए कहा कि हिंदी कभी भी एक समुदाय, सम्प्रदाय या क्षेत्र की भाषा नहीं रही। भारत अनेक संस्कृतियों वाला देश है परन्तु इस देश की समेकित संस्कृति की एक ही भाषा है और वह है हिंदी। एक थाल मोतियों से भरा—कहने वाले अमीर खुसरो जो फारसी के अनन्य विद्वान थे, ने हिंदी में लेखन किया। गुरू नानक ने कहा—राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ री चिड़िया भर-भर पेट। यह कौन सी भाषा है? गुरू गोविन्द सिंह ने हिन्दी में लिखा। गरज यह कि हिंदी कभी भी दबाव की भाषा नहीं रही। वह जनभाषा रही है और है। उन्होंने संग्रह की सभी श्रेष्ठ रचनाओं पर अपने विचार विस्तार पूर्वक रखे।

रूसी संस्कृति विभाग के भारत स्थित सचिव जौरी एस० सिकोलिया ने भी हिन्दी में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें साहित्यिक नहीं आम बोलचाल की हिन्दी आसानी से समझ में आती है और वे इसे आसानी से बोल लेते हैं। रूसी दूतावास में पुस्तकालाध्यक्ष नजकिन ने उपस्थित समुदाय का धन्यवाद किया।

डा० गंगाप्रसाद विमल ने कहा कि श्री वेलायुघन कर्मनिष्ठ हिंदी प्रेमी हैं और उनका यह सन्देश शत-प्रतिशत अनुकरणीय है कि हिन्दी लेखकों को अन्य भाषाओं और क्षेत्रों के लिए अपने सभी दरवाजे खुले रखने चाहिए। उन्होंने बताया कि इस ओर हिन्दी क्षेत्र निरन्तर अग्रसर है और आगे भी रहेगा।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रेम जनभेजय ने विश्वास व्यक्त किया कि शब्दभारती जैसे आयोजन आगे भी होते रहेंगे। उन्होंने उपस्थित समुदाय और आमंत्रित विद्वजनों का धन्यवाद किया

प्रस्तुतिः —बलराम अग्रवाल
संपादक 'वर्तमान जनगाथा' एम-70, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

"आप्रवासी टाइम्स"
नार्वे से प्रकाशित हो रहा है, प्रथम हिन्दी पत्र

दिल्ली, दिनांक 18 मई। नार्वे की राजधानी ओस्लो से प्रकाशित प्रथम हिन्दी समाचार-पत्र "आप्रवासी टाइम्स" की प्रथम प्रति राष्ट्रपति डा० शंकरदयाल शर्मा को राष्ट्रपति भवन में भेंट की गई। जिस में बर्मा के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री ऊ-नु की सुपुत्री मैडम तान-तान नु, सांसद शंकर दयाल सिंह तथा साहित्यकार हिमांशु जोशी आदि लेखक उपस्थित थे

पत्र के मुख्य सम्पादक, नार्वे में स्थायी रूप से रहने वाले आप्रवासी भारतीय अमित जोशी ने बतलाया कि गत छह वर्षों से नार्वे से प्रकाशित हिन्दी पत्रिका 'शांति दूत' के पश्चात उनके संस्थान का यह दूसरा प्रयास है यह पत्र नार्वे का ही नहीं, हिन्दी में प्रकाशित, सम्पूर्ण स्केण्डेनेविया का पहला पत्र है। इस का उद्देश्य नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों के आप्रवासी भारतीयों को मात्र एक मंच देना ही नहीं उन्हें हिन्दी के माध्यम से भारत तथा भारतीयता से जोड़े रखने का भी है

राष्ट्रपति ने अपने आशीर्वचनों में इन प्रयत्नों की सराहना की, कहा कि विदेश की धरती से उभरता हिन्दी का यह स्वरूप अनुकरणीय है।

"शांतिदूत" पत्रिका जिस तरह इस समय संसार के 156 देशों में पढ़ी जा रही है, उसी तरह यूरोपीय देशों में "आप्रवासी टाइम्स" आप्रवासी भारतीयों की सेवा में संलग्न रहे-शंकरदयाल सिंह ने कामना प्रकट की

स्मरण रहे कि यही संस्थान नार्वे में श्रेष्ठ भारतीय साहित्य का नार्वोजियन में अनूदित कर उसके प्रकाशन की योजना भी बना रहा है। आशा है मूल हिन्दी से "रामायण" का नार्वोजियन अनुवाद आगामी माह तक छप कर नार्वोजियन पाठकों के लिये उपलब्ध जो जायेगा। इसी श्रृंखला में अनेक भारतीय गौरव ग्रंथ भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र, बंबई के 42वें सत्र का प्रमाण-पत्र वितरण समारोह

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र, बंबई के 42वें सत्र का समापन समारोह दिनांक 30 जून, 1995 को संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए केन्द्र के संयुक्त निदेशक (प्रभारी), श्री के॰ एन॰ मेहता ने वर्तमान समय में वैज्ञानिकी एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग पर राष्ट्रों के बीच अनुवाद को एक महत्वपूर्ण सेतू बताया। प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अनुवादक का कार्य एक दुष्कर कार्य है, जिसे स्वाध्याय और पठन-पाठन से यथावत् बनाए रखना आवश्यक होता है। साथ ही अनुवाद के माध्यम से हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में अनुवादकों के योगदान को सराहा।

इस अवसर पर कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के श्री नरेश चंद्र पाण्डेय, अनुवादक को स्वर्ण पदक तथा मध्य रेलवे, बंबई वी॰ टी॰ की सुश्री रोशनी खूबचंदानी, राजभाषा सहायक को रजत पदक तथा प्रमात्र-पत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम का संचालन केन्द्र के कार्यालयाध्यक्ष, श्री एन॰ के॰ मिश्र ने किया। केन्द्र की ही प्रशिक्षण अधिकारी, श्रीमती साधना त्रिपाठी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र, बंबई के 43वें सत्र का उद्घाटन समारोह

केन्द्र अनुवाद ब्यूरो, अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र, बंबई द्वारा दिनांक 5-7-1995 को 43वां अनुवाद सत्र (जुलाई-सितंबर, 1995) को शुभारम्भ किया गया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के निदेशक, श्री विनोद कुमार बजाज उपस्थिति थे। कार्यक्रम का संचालन श्री नगेन्द्र मिश्र, प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा किया गया तथा श्री के॰ एन॰ मेहता, संयुक्त निदेशक द्वारा अध्यक्षीय भाषण में अनुवाद प्रशिक्षण को एक सतत प्रक्रिया के रूप में पारिभाषित किया तथा अनुवाद की भाषा को भारतीय संविधान की भावना के अनुकूल सरल एवं संबोधगम्य बनाने का अनुरोध भी किया।

इस अवसर पर श्री विनोद कुमार बजाज, निदेशक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अपने 30 वर्षीय सदीघ्र अनुवाद संबंधी अनुभव से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया तथा प्रशिक्षणार्थियों को उद्बोधित करते हुए कहा कि अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण सही मायने में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और अनुवाद का यह पाठ्यक्रम किसी भी विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम की तुलना में अत्यंत व्यावहारिक एवं अधिकतम अभ्यास पर आधारित है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा न केवल राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपना अभिन्न योगदान देते हुए केवल प्रशिक्षण ही प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों हेतु कोडों, मैनुअलों तथा सांविधिक किस्म का अनुवाद भी किया जाता है और अब तक इस प्रकार के अनुवाद 10 लाख से भी अधिक पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया जा चुका है। उन्होंने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार से तात्पर्य अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को कम आंकना या उनकी अवहेलना करना नहीं है। अपितु **"फर्स्ट हमोंग इक्विल्स"** के आधार पर हिन्दी का प्रयोग वांछनीय है। हिन्दी की प्रतिद्वंद्विता अन्य भारतीय भाषाओं से नहीं है, अपितु हिन्दी दिवस को भी **"भाषा सौहार्द दिवस"** बनाना अपेक्षित है। हिन्दी हमारे राष्ट्र की भाषा, राष्ट्रपति का संकल्प, संविधान का प्रावधान और देश की गरिमा का द्योतक है, जिसमें **"वांच्म उपासो"** अर्थात् वाणी की उपासना की भावना अभिप्रेत है। अनुवाद के नवीन क्षितिजों का उल्लेख करते हुए निदेशक महोदय ने बताया कि मंत्रालय स्तर पर अनुवाद को कंप्यूटर से जोड़ने की नीति भी विचारणीय है तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सौजन्य से **"निक-नेट"** के तहत इस प्रकार का पैनल बनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जिसमें विविध किस्म के अनुवाद कार्य में परम्परागत विद्वानों की एक सूची तथा अनुवाद संबंधी अन्य जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा समस्त भारत वर्ष में उपलब्ध करायी जा सकेगी तथा कंप्यूटर के माध्यम से अनुवाद करना/करवाना तथा अनुवाद संबंधी साफ्टवेयर विकसित करने का मामला भी विचाराधीन है।

श्रीमती साधना त्रिपाठी, प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन देते हुए यह जानकारी उपलब्ध करायी कि अनुवाद प्रतिक्षण केन्द्र, बंबई द्वारा अब तक 1097 सरकारी कर्मचारियों को अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और वर्तमान समय में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम होने का कारण केन्द्र पर छात्रवास की कमी का होना रहा है। फिर भी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा मध्य प्रदेश के सभी केन्द्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि से यह आह्वान किया गया है कि वे राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपना अभिन्न योगदान देते हुए अधिक-से-अधिक लोगों को नामित करें और राजभाषा संबंधी संकल्प को फलीभूत करने में अपना योगदान प्रदान करें।

■ ■ ■

आदेश-अनुदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 26.7.95 का कार्यालय ज्ञापन सं॰ 1/14034/4/95-रा॰-भा॰ (नीति 1)

विषय : हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/निगमों आदि में हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़ा के आयोजन किए जाते रहे हैं। इस विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 20.7.94 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 1/14034/5/94—रा॰भा॰ (क-1) द्वारा पिछले वर्ष भी सभी मंत्रालयों/विभागों से हिंदी पखवाड़े (14 सितम्बर, 94 से 28 सितम्बर, 94 तक) आयोजन के संबंध में अनुरोध किया गया था। इस वर्ष 1 सितम्बर से 15 सितम्बर, 1995 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे हिंदी पखवाड़े (1 सितम्बर, 1995 से 15 सितम्बर, 1995) के दौरान अपने यहां निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित कराएं:—

(1) हिन्दी पखवाड़ा 1 सितम्बर से 15 दिन (1 सितम्बर, 95 से 15 सितम्बर, 1995) के लिए मनाया जाए। कोई कार्यालय इन तिथियों में परिवर्तन करना चाहे तो अपनी सुविधानुसार कर सकता है किन्तु मुख्य समारोह 14 सितम्बर को अवश्य आयोजित हो।

(2) 14 सितम्बर को माननीय गृह मंत्री जी का संदेश सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में पढ़ा जाए जो उन्हें राजभाषा विभाग द्वारा यथा समय भेजा जाएगा।

(3) हिंदी दिवस को भारतीय भाषाओं के सौहार्द दिवस के रूप में महत्ता दें।

(4) 14 सितम्बर को कार्यालयों में हाजिरी यथासंभव शत-प्रतिशत हो।

(5) सभी मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करें कि 14 सितम्बर तक उनके यहां हिंदी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की कोई बैठक शेष न रहे।

(6) इस पखवाड़े के दौरान प्रकाशित की जाने वाली "इनहाउस मैगजीन" आदि की "राजभाषा विशेषांक" का रूप दिया जाए और उसकी प्रति राजभाषा विभाग को भी भेजी जाए।

(7) हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देने वाले हिंदी व हिंदीतर लोगों के योगदान पर जोर दिया जाए। इसके लिए प्रोग्राम, चर्चा आदि करें। पखवाड़े के दौरान राजभाषा संबंधी प्रतियोगिताएं करवाई जाएं तथा राजभाषा पुरस्कार वितरित किए जाएं।

(8) ये कार्यक्रम एक दिन मनाकर संतुष्ट होने के बजाए पूरे पखवाड़े के दौरान किए जाएं और इन कार्यक्रमों के आयोजन में मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

आप से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रमों का मंत्रालय/विभाग के सचिवालय, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों में व्यापक प्रचार किया जाए और "हिन्दी पखवाड़ा" मनाने के विषय में विस्तृत रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 17 मई, 1995 की अधिसूचना सं॰ 1013/4/-94-हि॰का॰क॰

का॰ आ॰ केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम-10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दीका कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:

कंपनी का नाम: **ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**

1. मंडल कार्यालय, पनवेल।
2. ताखा कार्यालय, उरण।
3. शाखा कार्यालय, माणगांव।
4. शाखा कार्यालय, पेण।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 16 जून, 1995 का का॰ ज्ञा॰ सं॰ 011/2/95-रा॰ भा॰ (का॰-2)

विषय:- मंत्रालयों/विभागों के लिए इन्दिरा गान्धी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 1994-95।

आपका ध्यान उपर्युक्तविषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं॰11/12013/2/85-रा॰भा॰ (क-2) दिनांक 30-7-1986 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मंत्रालयों/विभागों को पुरस्कार प्रदान करने

की योजना परिचालित की गई थी। इस विभाग के अन्य कार्यालय ज्ञापन संख्या-12011/4/89-रा०भा० (ख-1) दिः 2.6.1989 के द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि इस पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर दिए जाएंगे।

2. तदनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वर्ष 1994-95 की चारों तिमाही प्रगति रिपोर्टें, यदि अभी तक नहीं भेजी गई हैं तो, शीघ्रातिशीघ्र इस विभाग को अवश्य भेज दी जाएं ताकि उन पर पुरस्कार योजना में विचार किया जा सके। जिन मंत्रालयों/विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं होती है, उनको इस पुरस्कार योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

3. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भेजें।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 16 जून, 1995 का का० ज्ञा० सं० 12024/8/95 रा०भा० (का-1)

विषयः—नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थानीय बैठकों में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/उपसंस्थानों तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाना।

राजभाषा विभाग के दिनांक 13.6.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं० 20001/58/93-रा०भा० (का-2) में विभिन्न नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों आदि की बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि में हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों/प्राध्यापकों को भी निमंत्रित करने के अनुदेश दिए गए थे।

अब उक्त क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थानीय बैठकों में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारियों के अतिरिक्त हिंदी शिक्षण योजना, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों के अधिकारी भी सदस्य के रूप में भाग लेंगे। अतः सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों से अनुरोध है कि समिति की अर्ध-वार्षिक बैठकों में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के स्थानीय उपकेन्द्रों के अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए।

इस कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति की सूचना कृपया इस विभाग को भेजी जाए।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 22 जून, 1995 का का० ज्ञा० सं० 12011/5/95-रा०भा० (का०-2)

विषयः—हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार—वर्ष 1994-95.

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12013/2/85-रा०भा० (क-2) दिनांक 30 जुलाई, 1986 (आदेशों का संकलन पृ० 95/96) के द्वारा हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों/बैंकों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी भाग लेने के पात्र हैं। उक्त वर्ष के लिए कर्मचारियों द्वारा विचारार्थ भेजी जाने वाली पुस्तकें उनके द्वारा किए जा रहे सरकारी काम से संबंधित होना चाहिएं। संबंधित कर्मचारी के विभाग द्वारा ऐसी कृतियों की विधिवत् सिफारिश भी होनी चाहिए। सिफारिश करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:—

(1) पुस्तक एक मौलिक रचना हो।
(2) पुस्तकें 01 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1995 के बीच में लिखी अथवा प्रकाशित हों।
(3) पुस्तक के लेखक केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन उपक्रम, बैंक आदि के अधिकारी/कर्मचारी हों।
(4) पुस्तक का विषय केन्द्रीय सरकार के अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किए जा रहे कार्य से संबंधित हो।

3. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से केवल दो प्रविष्टियां संलग्न प्रोफार्म में इस विभाग को भेजी जानी चाहिए। प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार प्रतियां भेजी जाएं। सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानों, बैंकों आदि के कर्मचारियों तथा सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रविष्टियां भी संबंधित मंत्रालय/विभाग के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए।

4. वर्ष 1993-94 से यह निर्णय लिया गया है कि इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत राजभाषा विभाग को भेजी जाने वाली सभी मौलिक पुस्तकों पर विशेषज्ञ की राय अनिवार्यतः प्राप्त की जाए। विशेषज्ञों की राय लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन्हें विषयक हिन्दी शब्दावली तथा हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो। यद्यपि विशेषज्ञों को जांच करवाने तथा राय जानने के लिए हर विभाग/मंत्रालय को इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए पहले ही से हर वर्ष लिखा जाता रहा है और इसके परिणामस्वरूप कुछ प्रविष्टियों के साथ विशेषज्ञों को राय भी उपलब्ध होती रही है, परन्तु कुछेक प्रविष्टियां ऐसी राय के बिना भी कभी-कभार प्राप्त हुई हैं। इस विभाग में प्राप्त विशेषज्ञों को राय भी अनेकानेक ढंग से प्रस्तुत की जाती रही है। ऐसी स्थिति में कृतियों पर निर्णय लेते समय इन रिपोर्टों के मूल्यांकन में असुविधा सामने आई।

5. अतः अब भी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार की मौलिक पुस्तक-लेखन योजना के अंतर्गत इस विभाग को भेजी जाने वाली सभी प्रविष्टियों के साथ, बन्द लिफाफे में, उपयुक्त विषय विशेषज्ञों की सिफारिश भी अनिवार्यतः भिजवाएं। विशेषज्ञ कोई गैर-सरकार व्यक्ति, जैसे कि सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा विश्वविद्यालयों/इंजीनियरों संस्थाओं में कार्यरत प्रोफेसर आदि हो सकते हैं। विशेषज्ञों की राय लेने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग सरकार आदेशों के अनुसार मानदेय आदि देने पर निर्णय स्वयं ले सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा

लिखी गई जांच रिपोर्ट कार्य प्रयोजक रखने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि रिपोर्ट लिखने के लिए एक प्रोफार्मा निर्धारित किया जाए। इसके लिए निर्धारित प्रोफार्मे, जिसके ऊपर विशेषज्ञ महोदय को अपनी जांच-रिपोर्ट लिखनी है, की एक प्रति सूचना एवं आगामी प्रयोजन के लिए परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। विभागों/मंत्रालयों से अनुरोध है कि विशेषज्ञों से रिपोर्ट मंगवाते समय विशेषज्ञ को इस अनुलग्नक की प्रति उपलब्ध कराएं तथा आग्रह करें कि विशेषज्ञ अपनी राय इसी प्रोफार्मे में दें।

6. इस योजना के अंतर्गत तीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं:—

1. प्रथम पुरस्कार	— रु० 10,000/-
2. द्वितीय पुरस्कार	— रु० 8,000/-
3. तृतीय पुरस्कार	— रु० 5,000/-

पुरस्कारों का निर्णय एक निर्णायक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दो गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाते हैं।

7. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने की उपर्युक्त योजना को अपने सभी संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में परिचालित कर दें। प्रविष्टियों को इस विभाग में भेजने की अंतिम तारीख 14-7-1995 रखी गई है।

अनुलग्नक 'क'

पुस्तक-विशेषज्ञ के लिए निर्देश

1. अपनी हस्ताक्षरित रिपोर्ट, मोहरबंद लिफाफे में यह अंकित कर लौटाएं कि ये केवल राजभाषा विभाग में खोले जाएंगे।
2. लिफाफे के ऊपर पुस्तक का नाम तथा अपना पता देने की कृपा करें। कृपया इस प्रोफार्मा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित जांच-बिन्दुओं पर अपनी राय अवश्य दें। जांच के अन्य मानक बिन्दुओं का समावेश यदि चाहें, तो अलग-से कर लें, परंतु यदि निम्नलिखित जांच-बिन्दुओं में से आपकी राय प्राप्त न होगी, तो पुरस्कार पर निर्णय लेने में बाधा आएगी।
3. विशेषज्ञ की राय गोपनीय होगी तथा इसे संबंधित मंत्रालय/विभाग राजभाषा विभाग को अग्रेषित करेंगे, जहां वे पहली व अंतिम बार खोली व पढ़ी जाएंगी।

पुस्तक को संस्तुति संबंधी प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम
2. लेखक/सम्पादक का नाम
3. क्या पुस्तक को विषयवस्तु पर हिंदी में यह पहली रचना है:
4. पुस्तक में प्रयुक्त तथ्य शुद्ध तथा अद्यतन हैं:
5. क्या विषयवस्तु में मौलिकता का निर्वाह हुआ है:
6. क्या लेखक को कृति अद्यतन चेतना तथा भविष्यगामी परिकल्पनायुक्त है:
7. क्या पुस्तक एक सामान्य पाठक के लिए रोचक तथा उपयोगी है:
8. कोई अन्य उल्लेखनीय विचार:
9. समेकित रूप में आपकी राय में विवेच्य पुस्तक किस श्रेणी में रखी जा सकती है:

"क" (85 प्रतिशत से ऊपर)
"ख" (60 से 85 प्रतिशत)
"ग" (60 प्रतिशत से कम)

विशेषज्ञ का नाम
व पूरा डाक-पता:

दूरभाष:

विभाग/मंत्रालय/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

लेखक द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों तथा सम्बद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिन्दी मौलिक पुस्तक-लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वर्ष 1994-95 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, एतदर्थ संस्तुति की जाती है।

2. इस मंत्रालय/विभाग द्वारा अब तक वर्ष 1994-95 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई, यह प्रथम/द्वितीय पुस्तक है।

3. उपर्युक्त पुस्तक को पहले इंदिरा गांधी पुरस्कार योजना के अंतर्गत मौलिक पुस्तेक-लेखन पुरस्कार के लिए सिफारिश नहीं की गई।

अध्यक्ष,
राजभाषा कार्यान्वयन समिति,

नाम:
पदनाम:
दिनांक: मंत्रालय/विभाग:
दूरभाष

अनुलग्नक "ख"

हिन्दी में मौलिक पुस्तक-लेखन हेतु,
"इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना— वर्ष 1994-95"

1. (क) लेखक का नाम
   (ख) पदनाम या पूर्व पदनाम
   (ग) कार्यालय या पूर्व कार्यालय का नाम
   (घ) मंत्रालय/विभाग
2. पुस्तक का नाम
3. पुस्तक का विषय
4. प्रकाशक का नाम, पता व प्रकाशन वर्ष
5. पुस्तक के लिखने का कार्य सम्पन्न करने की तिथि (माह-वर्ष)
6. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि:—

(1) _____ पुस्तक मेरी मौलिक रचना है।

(2) उक्त पुस्तक _____ के बीच में लिखी गई है/प्रकाशित हुई है।

(3) मैं केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन उपक्रम/बैंक का वर्ष_____ अथवा इससे पूर्व (सेवानिवृत्त) अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में) अधिकारी/कर्मचारी रहा हूं।

(4) मेरी उक्त पुस्तक के विषय का मेरे द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य से संबंध है।

दिनांक: लेखक के हस्ताक्षर

"निकनेट" पर राजभाषा सूचना प्रणाली

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने राजभाषा हिन्दी से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचना "निकनेट" पर उपलब्ध कराने के आशय से "राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र", नई दिल्ली से एक "राजभाषा सूचना प्रणाली' विकसित करवाई है। यह सूचना प्रणाली आंशिक दस्तावेज के रूप में "बेसिस प्लस" में विकसित की गई है। इस सूचना पद्धति का उदेश्य निम्नलिखित के संबंध में समय से तथा अद्यतन सूचना उपलब्ध कराना है:—

"संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों की नियम पुस्तक, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की वरिष्ठता सूची, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण कलेंडर और केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के हिन्दी भाषा/हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि पाठ्यक्रम।"

इस व्यवस्था से देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों पर यह सूचना हिन्दी या अंग्रेजी में आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

यह कार्यक्रम मेनू के अनुसार चलाया जाता है और प्रयोग मैनुअल संबंधी जानकारी सुलभ संदर्भ के लिए नीचे दी गयी है इस प्रणाली के चलाने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है और इस संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सूचना अधिकारियों से सहायता ली जा सकती है। इस सूचना को समय-समय पर अद्यतन किया जायेगा। और इस प्रणाली के अंतर्गत यथा समय राजभाषा विभाग द्वारा और सूचना भी उपलब्ध करायी जायेगी आशा है कि ऊपर लिखित सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोगकर्ता निकनेट प्रणाली का प्रयोग करेंगे।

प्रयोक्ता मैनुअल

राजभाषा सूचना प्रणाली

आवश्यकताएं

1. **'यूनिक्स/जेनिक्स'** आपरेटिंग सिस्टम पर आधारित कंप्यूटर तथा Radix साफ्टवेयर
2. 'जिस्ट' टर्मिनल
3. डाट मैट्रिक्स या लाईन मैट्रिक्स प्रिंटर

आरम्भ करने के लिए

1. टर्मिनल को शुरू करने के लिए बटन दबाईए। login: प्रम्पट का इन्तजार कीजिए।
2. login: प्राम्पट आने पर guest टाइप कीजिए। अब कंप्यूटर $ प्राम्पट दिखाएगा।
3. 'जिस्ट' टर्मिनल को देवनागरी मोड़ में सैट करें (यह Alt-S-DV कुंजियां दबाने पर आएगा) टर्मिनल को 7-bit में लाने के लिए Alt-M-7 कुंजियां दबाएं।
4. अब $ प्राम्पट पर Radix टाइप करके Enter कुंजी दबाएं।
5. अब टर्मिनल पर NICNET> या * प्राम्पट दिखाएगा।
6. NICNET> या * प्राम्पट पर Basis Plus 486 सिस्टम का निकनेट नम्बर (40445004860900) टाइप कीजिए। टर्मिनल सक्रीन पर login प्राम्पट दिखाएगा।
7. login प्राम्पट पर dol टाइप कीजिए। सिस्टमं Password पुछेगा, अब पुनः dol टाइप कीजिए।
8. सिस्टम अब निम्न प्रकार दिखाएगा।

--DOL circular system -

1. Hindi version
2. English version
3. Exit

अब आपका सिस्टम निम्नलिखित राजभाषा सूचना प्राप्त करने व देखने के लिए तैयार है:—

1. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम
2. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक
3. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा-वरियता सूची
4. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम
5. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिन्दी शिक्षण योजना, हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी आशुलिपिक पाठ्यक्रम।
6. **राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट।**

यदि आप हिन्दी में उपरोलिखित सूचनाओं को देखना/प्रिंट करना चाहते हैं तो विकल्प 1 चुनिए और यदि अंग्रेजी में सूचनाओं को देखना चाहते हैं तो विकल्प 2 चुनिए और बाहर आने के लिए विकल्प 3 चुनिए। यदि आपने विकल्प 1 या 2 को चुना है तो सिस्टम Term ID तथा TERM (अध्यायों के नाम) दिखाएगा, जैसे:—

(यदि हिन्दी में देखने के लिए विकल्प 1 चुना तो नेटवर्क में हिन्दी में जानकारी प्राप्त करने हेतु Ctrl-W कुंजियां दबाऐं)।

Term Id	Members	References	Term
1	1	1	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम
2	1	1	राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तिका

Enter Term Id number:

अब जिस अध्याय को आप देखना चाहते हैं उस अध्याय का Term ID number टाइप करें, सिस्टम इस अध्याय का विवरण दिखाएगा। सिस्टम एक समय में टर्मिनल स्क्रीन पर 15 पंक्तियां दिखाएगा, उसके बाद सिस्टम पुछेगा :—

<Enter scroll command>

Scroll Commands निम्नलिखित प्रकार की है:—

N W (Next Window) - अगली 15 पंक्तियां देखने के लिए

N L (Next Line) -अगली लाइन में जाने के लिए

N S (Nest Section) - अगला सैक्शन देखने लिए

P W (Prior Window) -पिछली 15 लाइनें देखने के लिए

P L (Prior Line) - पिछली लाइन देखने के लिए

P S (Prior Section) - पिछला सैक्शन देखने के लिए

TOP - पूरा अध्याय एक ही बार देखने के लिए

अपनी मनपसन्द Text में जाने के लिए उपरोलिखित में से कोई कमांड <Enter Scroll Command> के आगे टाइप कीजिए।

यदि आप चुने हुए अध्याय के sections को देखना चाहते हैं तो <Enter Scroll Command> के आगे toc टाइप कीजिए। सिस्टम अब चुने हुए अध्याय के सभी Sections दिखाएगा। जैसे:—

ID	Section entries
1	5.1 पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग
2.	5.2 तार/बेतार/फेक्स/आरेख
3.	5.3 देवनागरी टाइपराइटर

यदि आप कोई विशेष Section चुनना चाहते हैं तो <Enter Scroll Command> के आगे gs तथा ID number टाइप कीजिए। जैसे:—

<Enter Scroll Command> g s 1 (1 - ID number) अब, सिस्टम 1 का विवरण दिखाएगा। 15 लाइनें दिखाने के बाद सिस्टम <Enter Scroll Command> पुछेगा।

Direct Movement Commands

Goto Section ID show screen

यदि आप इस सूचना प्रणाली से बाहर आना चाहते हैं तो <Enter Scroll Command> के आगे Exit टाइप कीजिए।

सिस्टम अब FQM> प्राम्पट दिखाएगा। FQM> के आगे फिर से exit टाइप कीजिए व return कुंजी दबाइए। सिस्टम फिर से निम्न प्रकार दिखाएगा।

DOL Circular system>

1. Hindi version
2. English version
3. Exit

यदि आप अगला अध्याय देखना चाहते हैं तो फिर से उपरोक्त विवरण repeat कीजिए अन्यथा 3 टाइप कीजिए। सिस्टम radix menu से बाहर आ जाएगा।

यदि आपको कोई कठिनाई हो तो कृपया इस पते पर संपर्क करे।

श्री केवल कृष्ण
प्रणाली विश्लेषक
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
योजना आयोग
'ए' ब्लाक, सी० जी० ओ० काम्पलैक्स
नई दिल्ली - 110 003
फोन : 4362371, 4362386

email address:
Sec-dol @ x400. nicgw. nic. in

■ ■ ■

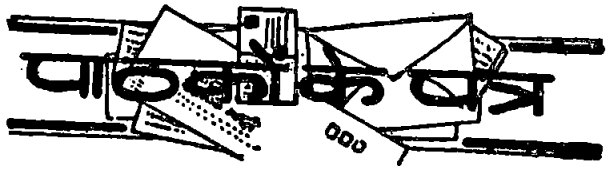

राजभाषा भारती का अप्रैल-जून, 1994 का अंक प्राप्त हुआ इस अंक में राष्ट्रभाषा राजभाषा संबंधी विविध जानकारी देकर अपने हिंदी के पक्ष को सफल बनाया है। राजभाषा भारती का जुलाई-सितम्बर, 1994 के अंक को तो आपने संदर्भ ग्रंथ ही बना दिया है। राजभाषा भारती में प्रादेशिक भाषाओं की रचनाओं को अनुवाद के साथ देना प्रारम्भ किया गया है यह अत्यंत उपयोगी कदम है। प्रादेशिक भाषाओं के साहित्यकारों और उनकी रचनाओं से हमारा परिचय बढ़ना ही चाहिए और यह हिंदी के माध्यम से ही संभव होगा। सुसम्पादन के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें।

—रामेश्वर दयाल दूबे

आपके द्वारा प्रेषित राजभाषा भारती के अंक 65 और 66 प्राप्त हुए। अंक 65 में विश्व हिंदी दर्शन स्तम्भ के अन्तर्गत श्री विष्णु प्रभाकर ने "चैक देश में हिंदी" लेख में डा० पोरिजका, उसके शिष्य डा० स्मेकल, डा० व्लादिमीर मिल्तनेर इत्यादि हिंदी विद्वानों के हिंदी प्रेम को बहुत ही निकट से दर्शाया है जो हमें अपने ही देश में हिंदी को उसका न्यायोचित पद न मिलने पर सोचने के लिए विवश करती है। इस लेख को पढ़ने के बाद मुझे उस विदेशी यात्री का कथन याद आता है जिसने भारत भ्रमण करने के बाद कहा था कि "भारत देश सचमुच बहुत ही अच्छा है मगर इस देश में रहने वाले लोग, इसमें रहने लायक नहीं है।"

—नरसिंह राम, सहायक निदेशक (रा० भा०), परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तमिलनाडु

राजभाषा भारती के अंक 65, 66 की एक-एक प्रति प्राप्त हुई। कोटि-कोटि धन्यवाद। पत्रिका आकर्षण आवरण साजसज्जा और ज्ञानबर्धन सामग्री चयन आदि सराहनीय है। निः संदेह यह अपनी उत्कृष्टता के कारण पाठकों को सदैव आकर्षित करती है जिससे इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। पत्रिका निरन्तर प्रगति के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रेषित रहे यही मेरी कामना है।

—राजकुमार शर्मा
वरिष्ठ सहायक (राजभाषा), हिंदुस्तान न्यूज पेपर लि०, न्यूज प्रिंट नगर, ओटायम

राजभाषा भारती का अंक 65 प्राप्त हुआ। इस अंक में डा० बुद्धिनाथ मिश्र तथा भ्हराम मंहरौत्रा के राजभाषा प्रबंध पर निबंध चेतनापरक और विश्लेषणपूर्ण लगे। साथ ही डा० शंकर दयाल शर्मा का साहित्यक निबंध स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य की अतश्चेतना अच्छा लगा।

—संजीव कुमार जैन, हिंदी अधिकारी

आपके द्वारा प्रेषित राजभाषा भारती अंक 65, 66 प्राप्त हुए। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। राजभाषा भारती में राजभाषा से संबंधित लेखों को पढ़ने से ज्ञानवर्धन होता है। भारत की "संविधान सभा में प्रथम दिन ही भाषा का प्रवेश" होना "राजभाषा हिंदी ही क्यों" स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य की अश्रचेतना आदि के अलावा अन्य साहित्यिक सामग्री बहुत रूचिकर एवं ज्ञानवर्धन लगी।

—डा० कैलाश नाथ पाठक, शाखा मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, वाराणसी।

कुछ समय पूर्व सुना कि आपके विभाग द्वारा राजभाषा भारती बहुत अच्छी तरह निकल रही है। कल डा० जयन्ती प्रसाद मिश्र के सौजन्य से अक्तूबर-दिसंबर, 1994 का अंक देखने को मिला सचमुच बहुत परिश्रम से पत्रिका निकाल रहे हैं। पत्रिका की सारी सामग्री पठनीय और विचारोत्तेजक है।

—वेद प्रकाश अमिताभ, 14/5, द्वारकापुरी, उत्तर प्रदेश

आपकी पत्रिका राजभाषा भारती राजभाषा के क्षेत्र में -उल्लेखनीय कार्य कर रही है। तथा हिंदी साहित्य को एक ज्योतिमर्य स्तम्भ बन गई है।

—कृते उप महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, नई दिल्ली।

आकाशवाणी मथुरा के सौजन्य से आपकी पत्रिका राजभाषा भारती को पढ़ने का सौभाग्य मिला। इतनी उच्च स्तरीय, उत्कृष्ट पत्रिका से मैं अभी तक पूर्णतया अनभिज्ञ था। पत्रिका का सम्पादकीय, मुद्रण एवं रचना चयन एवं सभी कुछ उच्च स्तरीय है।

—दिनेश "पाठक" सम्पादक, शोषित दुनिया, रेलवे क्वाटर्स, मथुरा

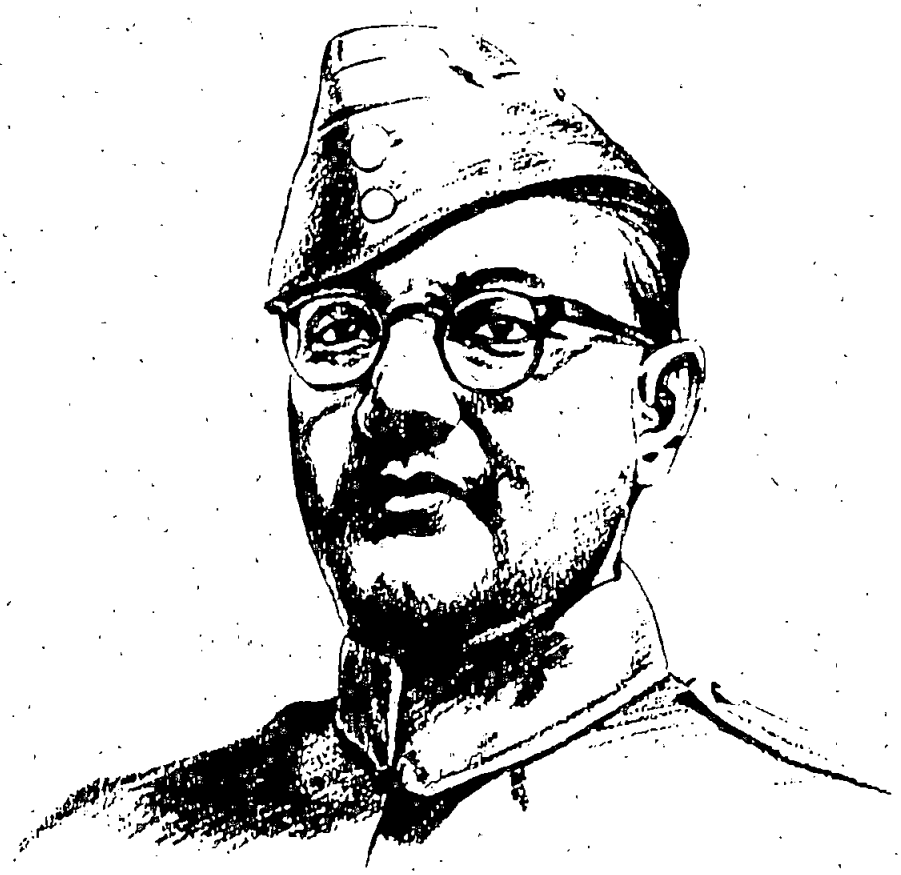

देश के सबसे बड़े भाग में बोली जाने वाली
हिन्दी ही राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी है।

– सुभाष चन्द्र बोस

हिंदी दिवस 1995

गृह मंत्री
भारत सरकार

सन्देश

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कृपया मेरी बधाई स्वीकार करें। आप जानते ही हैं कि संविधान के लागू होने से पहले देश की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। उसी दिन की याद में हर वर्ष देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस साल भी देशभर में 14 सितम्बर को हिंदी दिवस, 1 सितम्बर से 14 सितम्बर तक हिंदी पखवाड़ा और पूरे सितम्बर माह के दौरान हिंदी मास मनाया जा रहा है।

संविधान में देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को राज्यों की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी देश की राजभाषा है। सभी राज्यों की भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं और हिंदी देश की प्रमुख राष्ट्रभाषा और सम्पर्क भाषा है।

लगभग पिछले एक हजार साल से हिंदी इस देश की सम्पर्क भाषा रही है। अमीर खुसरो, कबीर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, मुगल शहज़ादा दारा, स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी, श्री जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, श्री सुभाष चन्द्र बोस और आचार्य विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने अपनी देशव्यापी राष्ट्रीय कार्रवाईयों के लिए हिंदी को अपनाया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो हिंदी के ही माध्यम से अपने स्वदेशी आन्दोलन का संचालन किया। गांधी जी इसे हिन्दुस्तानी कहकर पुकारना पसंद करते थे। वे चाहते थे कि सभी भारतवासी अपनी प्रादेशिक कार्रवाईयां अपनी-अपनी भाषाओं में करें और राष्ट्रीय कार्रवाईयों की भाषा हिंदी हो। देश के आज़ाद होने से कई वर्ष पहले कलकत्ता में दिए गए एक भाषण के दौरान उन्होंने इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे, वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन को सामने रखकर भारत सरकार ने राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति निर्धारित की है।

इसी संदर्भ में तमिल के महान कवि सुब्रह्मण्य भारती की याद आना स्वाभाविक है। हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रीय कवियों में उनकी गणना की जाती है। महाकवि सुब्रह्मण्य भारती हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के सबसे बड़े कवियों में से एक हैं। महाकवि सुब्रह्मण्य भारती ने सन 1906 में ''इंडिया'' नामक पत्रिका में लिखा था —''भारत विभिन्न क्षेत्रों का देश है, सभी क्षेत्रों की अलग-अलग भाषाएं हैं, लेकिन पूरे भारत के लिए एक आम भाषा (कॉमन लेंग्वेज) आवश्यक है।'' भारती जी ने इस प्रकार एक सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने का सुझाव दिया था। दक्षिण भारत में हिंदी कक्षाएं चलाने की परम्परा की शुरूआत राष्ट्र कवि सुब्रह्मण्य भारती की प्रेरणा पर हुई थी। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य विनोबा भावे ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान हिंदी को देश की प्रमुख राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा और राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए अपने-अपने ढंग से उद्‌गार प्रकट किए थे। हमारा कर्तव्य है कि हम इन सभी महापुरूषों की भावनाओं को याद रखें और हिंदी को देश की सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में अपनाएं।

26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह निर्देश दिया गया कि केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की साझी संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसी अनुच्छेद के तहत संविधान ने यह भी निर्देश दिया कि सभी भारतीय भाषाओं के और हिन्दुस्तानी के प्रचलित रूपों, शैलियों, शब्दों और पदों को अपनाते हुए हिंदी भाषा का राजभाषा के रूप में विकास और प्रसार किया जाए। संविधान द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार भारत सरकार राजभाषा हिंदी के विकास और प्रसार के लिए प्रयत्नशील रही है और इसके लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के समय से ही यह विभाग भारत सरकार के कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास करता आ रहा है।

मैं इस अवसर पर सभी भारतवासियों से अपील करता हूं कि वे अपने कामकाज और व्यवहार में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को अपनाएं तथा सम्पर्क भाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी का मान बढ़ाएं।

जयहिंद!